Monday 18, Nov,1974

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र / **Twelfth Session**]

Preservation 1-9-96
Fumigated On 30-7-85
Parliament Library

[खंड 45 में अंक 1 से 10 तक हैं / **Vol. XLV contains Nos. 1 to 10**]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 4, सोमवार, 18 नवम्बर, 1974/27 कार्तिक, 1896 (शक)

No. 4, Monday, November 18, 1974/Kartika 27, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	
नार्वे की संसद के अध्यक्ष तथा महासचिव का स्वागत	Welcome to Speaker and Secretary General of Norwegian Parliament	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
81 अनाज तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के व्यापार को नियंत्रण में लेना	Take over of Trade in Foodgrains and other essential commodities .	1
83 कीट नाशक दवाइयों की कमी के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन की चेतावनी ।	FAOs Warning regarding pesticide shortage . . .	3
85 उर्दू के विकास के बारे में समिति	Committee on Development of Urdu	4
86 प्रायः सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के लिये विश्व बैंक की विकास परियोजना	World Bank Development Project for Drought Prone Areas . .	7
89 उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से धान का बीज के रूप में निर्यात	Export of Paddy as seeds from Tarai Region of U.P.	10
90 दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में सुविधाओं की कमी	Lack of amenities in DDA Colonies	12
91 उच्च शिक्षा में केन्द्र के उत्तरदायित्व की जांच करने के लिये समिति	Committee to examine Central responsibility in higher education .	14
92 कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पुनरीक्षण समिति	UGC Review Committee Report on Calcutta University . . .	16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
82 किसानों तथा कृषि श्रमिकों की विकास एजेंसियों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को लाभ	Benefits to Scheduled Castes and Scheduled Tribes from Farmers and Agricultural Labourers Development Agencies	17

किसी नाम पर अंकित यह† इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign† smarked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
84	पशु प्रजनन फार्मों के लिये आस्ट्रेलिया से सहायता	Australian aid for Cattle Breeding Farms	17
87	मद्रास में नए विश्वविद्यालय की स्थापना करना	Opening of a new University in Madras	18
88	भारतीय खाद्य निगम कलकत्ता के छंटनी किए गए श्रमिकों को खपाना	Absorption of Retrenched Labourers of FCI Calcutta . . .	18
93	कोसी परियोजना को पूरा करने में विलम्ब	Delay in Completion of Kosi Project	19
94	दिल्ली में अनधिकृत कालोनियां	Unauthorised Colonies in Delhi .	19
95	राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिये सिंचाई सुविधायें	Irrigation facilities for Rajasthan and Madhya Pradesh . . .	20
96	नियंत्रित तथा खुले बाजार में बिकने वाली चीनी का खुदरा मूल्य और रिलीज की गई चीनी की मात्रा	Retail price and Release of levy and Free Sale Sugar . .	21
97	गन्ने से सामान्यतः प्राप्त होने वाली चीनी की मात्रा से अधिक चीनी की प्राप्ति पर प्रीमियम में वृद्धि का प्रस्ताव	Proposal for increase in Premium over the basic recovery from Sugarcane	21
98	मारिजक्नेंग विकास खण्ड में ऋण के वितरण की जांच	Enquiry into disbursement of loans in Mawryngkeng Development block	22
99	केन्द्रीय सूची में शिक्षा को शामिल करना	Inclusion of Education in Union List	22
100	आल इण्डिया स्पोर्टस काउंसिल द्वारा विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance by all India Sports Council to various States . . .	22
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
801	मध्य प्रदेश को गेहूं और चावल	Wheat and Rice to Madhya Pradesh	23
802	दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग के दक्षिणी जोन के अधीन आयोजित बैठक में जैन मुनि का भाषण	Lecture of Jain Muni at Meeting held under South Zone Education Department of M.C.D. . .	24
803	पंजाब को उर्वरकों का आवंटन	Allocation of Fertilizers to Punjab .	24
804	कृषि विकास के लिये गुजरात को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Gujarat for Agricultural Development .	24
805	महाराष्ट्र को घटिया बीजों की सप्लाई	Supply of Sub Standard Seeds to Maharashtra	25
806	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिला नियमों का कथित उल्लंघन	Alleged Violation of Admission in Jawaharlal Nehru University .	25

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
807	आर्थिक दृष्टि से निर्बल वर्गों और कम आय वाले ग्रुपों को आवास और नगरीय विकास निगम द्वारा सहायता	H.U.D.C. Assistance to Economically Weaker Section and Low Income Groups	26
808	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा धन-राशि का उचित उपयोग	Utilisation of Budget Allotments by DDA	26
809	उर्वरकों का प्रयोग करने संबंधी नई योजना	New Fertiliser Application Schedule	26
810	तीस्ता बाढ़ संबंधी मानसिंह समिति का प्रतिवेदन	Report of Man Singh Committee on Teesta Flood .	27
811	भारतीय खाद्य निगम में खजान्वी द्वारा दुर्विनियोजन	Misappropriation by Cashier in FCI	28
812	भारत के खाद्यान्न के आयात के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन का अनुमान	F.A.O's Estimate of Food Import of India	28
813	डिब्रूगढ़ (आसाम) में कथित कटाव	Reported Erosion at Dibrugarh (Assam)	28
814	डी० डी० टी० का खेती पर प्रभाव	Effect of DDT on Agriculture .	29
815	सेक्टर 'डी' गोल मार्केट, नई दिल्ली के टाइप II के क्वार्टरों में पावर पाइंटों का लगाया जाना	Installation of Power Points in Type II Quarters of Sector 'D' Gole Market, New Delhi . . .	39
816	फार्म वन तथा प्लाई लकड़ी की खेती	Farm Forestry Cum Plywood Plantation	30
817	चीनी कारखानों के लिये ईरान से ऋण	Loan from Iran for Sugar Factories .	31
818	राजस्थान में सिंचाई परियोजना	Irrigation Project in Rajasthan	31
819	चना बोने की प्रवृत्ति	Shift to Gram Sowing . .	32
820	परिवहन आदि में फल और सब्जियां खराब हो जाना	Loss of Fruits and Vegetables in Transport etc. . . .	32
821	महात्मा गांधी की समाधि पर नहर का पूरा किया जाना	Completion of Canal at Mahatma Gandhi's Samadhi . .	32
822	अखिल भारतीय नेत्र सुधार संघ, लाजपत नगर, नई दिल्ली को आवंटित की गई भूमि	Land allotted to Akhil Bharatiya Netra Sudhar Sangh, Lajpat Nagar, New Delhi . . .	33
824	तवा सिंचित क्षेत्र में मूंगफली का विकास	Groundnuts Development in Tawa Command Area . . .	34
825	चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये चीनी मिलों को सुविधाएं	Facilities to Sugar Mills to increase Sugarcane Production	34

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
826	दिल्ली में अनधिकृत निर्माण	Unauthorised Constructions in Delhi	34
827	खाद्यान्नों की वसूली का लक्ष्य पूरा करने के कार्य को सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय सरकार का अनुरोध	Request from Central Government to ensure Foodgrains Procurement Targets	35
828	केरल में स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को सहायता अनुदान	Grant in Aid to Voluntary Cultural Organisations in Kerala . .	35
829	खेती में पूंजी नियोजन	Investment in Agricultural Cultivation	36
830	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट अलाट किया जाना	Allotment of Flats to registered persons by DDA	36
831	दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग के कार्यों की जांच करने की मांग	Demand for probe into affairs of Education Department of Delhi Administration . . .	38
832	अमरीका के समाचार पत्रों द्वारा भारत में खाद्य संकट की खबरें बढ़ा-चढ़ा कर प्रकाशित करना	Exaggerated American Press Reports on Food Crisis in India	39
833	विभिन्न देशों के साथ सद्भावना शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान	Exchange of Goodwill Missions with various Countries	39
834	वर्ष 1973-74 के दौरान सद्भावना यात्रा तथा व्याख्यान यात्रा के लिये विदेशों को भेजे गए भारतीय विद्वान	Indian Scholars sent on Goodwill Visits and Lecture Tours abroad during 1973-74	40
835	पश्चिमी यूरोप से कम्बाईनों का आयात	Imports of combines from Western Europe	40
837	पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कब्जे में लिये गये भवनों के किराये का भुगतान	Payment of rent on buildings occupied by Central Government in West Bengal	41
838	खाद्यान्न की वसूली और उसके वितरण संबंधी नीति का मूल्य वृद्धि पर प्रभाव	Effect of Procurement and Distribution Policy of Foodgrain on Rise in Prices	41
839	गंग नहर से दिल्ली को पेय जल की सप्लाई	Drinking Water Supply to Delhi from Gang Canal . .	42
840	श्री विष्णु शूगर मिल्स, गोपालगंज बिहार द्वारा घटिया किस्म की चीनी का उत्पादन	Production of Sub Standard Sugar by Shree Vishnu Sugar Mills, Gopalganj	43
841	उड़ीसा में भीमकुण्ड बांध का निर्माण	Construction of Bhimkund Dam in Orissa	43
842	अकाल पीड़ित जिले	Famine Affected Districts	43

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
843	गोबर गैस संयंत्रों के लिये किसानों को सहायता	Assistance to Farmers for Gobar Gas. . . .	44
844	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधूरे फ्लैटों का आवंटन	Allotment of Incomplete Flats by DDA	44
845	खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये कार्यवाही	Steps for Food Production	44
846	मनोहर नगर, दिल्ली में मकानों का गिराया जाना	Demolition of Houses in Manohar Nagar, Delhi . .	45
847	स्कूली इमारतों के निर्माण के लिये डी० आई० जेड० क्षेत्र में भूमि	Land for School Buildings in DIZ Area . . .	46
848	आवश्यक अनाजों की खुली बिक्री के लिये अधिकतम मूल्य का निर्धारण	Fixation of free Sale Ceiling Price of Essential Cereals . .	46
849	मुनीरका में मध्यम आय समूह के लिए फ्लैटों का आवंटन	Allotment of flats in Munirka to Middle Income Group People	47
850	मध्यम आय समूह और निम्न आय समूह के लिये आवास की समस्या	Problem of Housing for Middle Income and Lower Income Groups	47
851	अधिक फर्श वाले मकानों के निर्माण पर रोक	Ban on Construction of Houses with Large Floor Area .	48
852	बागमती नदी के बदलते प्रवाह के कारण घाटा	Damage due to changing course of River Bagmati . . .	48
853	सतह सिंचाई सुविधाओं वाली जमीन का उपयोग	Use of Land with Surface Irrigation Facilities	49
854	प्रारम्भिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में यौन शिक्षा	Sex Education in Primary and Secondary Schools .	49
855	उड़ीसा के लिए चावल . . .	Rice for Orissa . . .	50
856	खाद्य तेलों के आयात के लिये करार	Agreements for Import of Edible oils	50
857	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में कृषि वैज्ञानिकों का तबादला और नियुक्ति	Agricultural Scientists Transfers and postings of—in ICAR . . .	50
858	अपूर्ण सिंचाई परियोजनायें	Incomplete Irrigation Projects . .	51
859	पश्चिम बंगाल में भूख तथा कुपोषण से हुई मौतें	Deaths from Starvation and Malnutrition in West Bengal . . .	51
860	कडना बांध के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों को मुआवजा	Compensation to Kadana Dam Oustees	52

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
861	बाढ़ और सूखा के कारण खाद्यान्न दालों और तिलहनों की कमी	Deficit of Foodgrain, pulses and oil seeds due to Floods and Drought .	52
862	अमरीकी वाणिज्य दूतावास और यू० एस० आई० एस० के कर्मचारियों द्वारा पश्चिम बंगाल में खाद्य स्थिति का सर्वेक्षण	Survey of Food position in West Bengal by American Consulate and USIS Staff . . .	52
863	निर्माण और आवास मंत्रालय के विषयों के बारे में दिल्ली प्रशासन के विधेयक	Delhi Administration Bills concerning Subjects dealt with by Ministry of Works and Housing . .	5 3
864	देहरादून में शिक्षित तथा प्रशिक्षित नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार	Employment to Blind Persons Educated and Trained at Dehra Dun . .	
865	दुर्लभ इस्पात के विकल्प के रूप में बांस का उपयोग	Bamboo as a substitute for Scarce Steel	54
866	चीनी जांच समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय	Decision on Report of the Sugar Enquiry Committee	54
867	कृषि उपकरण निर्माताओं को सहायता	Assistance to manufacturers of Agricultural Implements . . .	54
868	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विद्यार्थी और अध्यापकों का अनुपात	Student Teachers Ratio in Jawaharlal Nehru University . . .	55
869	आयातित गेहूं तथा उर्वरक को ले जाने के लिये मद्रास पत्तन पर वैगनों का उपलब्ध न होना	Non-availability of Wagons at Madras Harbour to lift Imported Wheat and Fertilizer	56
870	खुले बाजार में अनुज्ञेय कोटे से अधिक मात्रा में चीनी की बिक्री	Sale of more than permissible quota of Sugar in open market .	56
871	परीक्षा सुधार संबंधी वर्कशाप	Workshop on Examination Reforms	57
872	नगरीय क्षेत्रों में पेय जल योजनायें	Potable Water Schemes in Urban Areas	57
873	पुरी का जगन्नाथ मन्दिर	Jagannath Temple Puri . . .	57
874	विदेशों में अध्ययन हेतु राष्ट्रीय छात्र-वृत्ति के लिये नियम एवं विनियम	Rules and Regulations for National Scholarship for Study Abroad .	58
875	अपहृत लड़कियों की बिक्री	Sale of Kidnapped Girls . . .	58
876	दिल्ली किराया नियंत्रण संशोधन विधेयक	Delhi Rent Control Amendment Bill	59
877	डी० आई० जैड० क्षेत्र में नई दिल्ली के 'डी' सैक्टर के बहुमंजिले क्वार्टरों में पानी का शुल्क लेना	Water Charges in Multi Storey Quarters in Sector 'D' of DIZ Area, New Delhi	59

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGES
878	राज्यों के अकालग्रस्त क्षेत्रों में कुपोषण के कारण हुई मौतें	Deaths due to Malnutrition in Famine Hit Areas of States . . .	60
879	दिल्ली के लिये शुष्क पत्तन की स्थापना	Setting up of Dry Port at Delhi .	60
880	विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षा संबंधी सुधारों की योजना की स्वीकृति	Acceptance of Plan on Examination Reforms by various Universities .	60
881	दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान में पर्चेज फाईल पर कार्यवाही	Action on Purchase File of Delhi Water Supply Sewage Disposal Undertaking	63
882	दिल्ली में देश भक्तों की कांस्य प्रतिमाओं की स्थापना	Installation of Bronze Statues of Patriots in Delhi . . .	63
883	कृष्णा और कावेरी के साथ गोदावरी के बेसिन से नदी जल का वितरण	Distribution of River Waters from Basins of Godwari with Krishna and Kauvery	64
884	गन्ने तथा आलू की अधिक उपज देने वाली नई किस्में	New High Yielding varieties of Sugar-cane and Potatos	64
885	डिप्लोमाधारी इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Imparting Training to Diploma Holder Engineers .	65
886	केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों की कमी	Shortage of Foodgrains in FCI Godowns, Kerala .	66
887	सरकार द्वारा गन्ने के मूल्य में वृद्धि से उत्पादकों में असन्तोष	Discontentment Among Growers on Increase in Sugar Price made by Government	66
888	चीनी का उत्पादन तथा उसके दोहरे मूल्य	Production and Dual Pricing System of Sugar . . .	67
889	राज्यों द्वारा कोठारी आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना	Implementation of Kothari Commission Recommendations by States	67
890	गुजरात में अनाज की कमी	Foodgrains Deficit in Gujarat	68
892	पटना टाऊन गन्दी बस्ती सफाई योजना	Patna Town Slum Clearance Plan .	68
893	केन्द्रीय शिक्षण संस्थान को दिल्ली विश्वविद्यालय को सौंपना	Transfer of Central Institute of Education to University of Delhi .	69
894	बम्बई में सासून गोदी में मछली पकड़ने का पत्तन	Fishing Harbour at Sassoon Dock, Bombay . .	69
895	कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर	Cotton Research Institute, Nagpur .	69
896	कपास प्रोटीन का स्रोत	Cotton a Source of Protein.	70

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGES
897	ताजमहल के मुख्य प्रवेश द्वार से गायब संगमरमर	Marble Mising from Main Enterance of Taj Mahal . . .	70
898	अरुणाचल प्रदेश में कालेजों का उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध किया जाना	Affiliation of Colleges in Arunachal Pradesh with North Eastern Hills University	71
899	दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों की समस्याओं की जांच के लिये समिति का गठन	Setting up of Committee to look into problems of Unauthorised Colonies in Delhi . . .	71
900	उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये उर्वरकों का किफायती उपयोग	Economical use of Fertilisers to increase productivity . . .	72
901	वन विकास योजनाओं पर किया गया व्यय	Expenditure on Forest Development Schemes . .	72
902	वानिकी बोर्ड	Board of Forestry	72
903	शीघ्र बढ़ने वाली जाति के पौधों का रोपण	Plantation of Quick Growing Species	73
904	औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोगों हेतु वनारोपण	Forest Plantations of Industrial and Commercial Uses . . .	73
905	पश्चिमी बर्लिन संग्रहालयों के महानिदेशक के राष्ट्रीय संग्रहालय के बारे में विचार	Views of Director General of West Berlin Museums on National Museum . . .	4
906	संकर बीज को बदलने के बारे में डा० नर्मन बोरलाग का वक्तव्य	Statement of Dr. Norman Borlaug on Hybrid Quality Seed . . .	74
908	बिहार में ग्रामीण आवास परियोजना के अन्तर्गत आवास प्रदान करने के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for providing Accommodation under the Rural Housing Project Schemes in Bihar	75
909	दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास फ्लैटों के नियतन के लिये विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत निलंबित पड़े प्रार्थनापत्र	Applications pending for Allotment of Flats under various Income Groups with DDA	76
910	वर्ष 1973-74 के दौरान भारत में आए विदेशी विद्वान	Foreign Scholars to India in 1973-74	76
911	उड़ीसा को वनस्पति की अतिरिक्त मात्रा	Additional Quantity of Vanaspati to Orissa	76
912	उड़ीसा में कपास और कपास बीजों का उत्पादन	Production of Cotton and Cotton Seeds in Orissa	77

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
913	उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं	Irrigation projects in Orissa .	77
914	अनौपचारिक शिक्षा के लिए व्यवस्था	Provision for Informal Education	78
915	कलकत्ता विश्वविद्यालय	Calcutta University. . .	78
916	नागार्जुन सागर परियोजना के लिये 15 करोड़ रुपये	Rs. 15 Crores for Nagarjunsagar .	78
917	फतहपुर राजस्थान में भेड़ प्रजनन फार्म के लिये सोवियत सहायता	Soviet Aid for Sheep Breeding Farm at Fatehpur, Rajasthan .	79
918	राजस्थान में कपास और कपास के बीजों का उत्पादन	Production of Cotton and Cotton Seeds in Rajasthan . . .	79
919	राजस्थान को वनस्पति की अतिरिक्त मात्रा	Additional Quantity of Vanaspati to Rajasthan . .	80
920	वसूली उपायों के विरोध में भारत कृषक संघ की धमकी	Protest by Farmers Federation of India against Procurement Measures	80
921	दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री पूर्वपाठ्यक्रमों का पुनर्निर्धारण	Reorientation of Under Graduate Course by Delhi University .	80
923	रुई का उत्पादन	Production of Cotton . . .	81
925	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रिहायशी प्लाटों के आवंटन सम्बन्धी सामान्य नियम	Norms of allotment of residential Plots in National Capital Region	81
926	ग्रामों के सिंचाई परियोजनाओं के उपयोग के लिये ग्राम्य सहकारी समितियां	Rural Cooperatives for use of Irrigation Works of villages . .	82
927	केरल में सामूहिक फार्म	Collective Farm in Kerala .	83
928	केरल में सिंचाई की भूमि के क्षेत्र में वृद्धि	Increase in acreage under Irrigation in Kerala	83
929	विदेश में अध्ययन करने हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	National Scholarship for study abroad	83
930	दिल्ली प्रशासन द्वारा संचालित स्कूलों में ड्राइंग अध्यापकों की अर्हता	Qualification for drawing teachers in Delhi Schools . .	84
931	गोआ के लिये वनस्पति की अतिरिक्त मात्रा	Additional quantity of Vanaspati to Goa	85
932	गोआ में सिंचाई परियोजना	Irrigation project in Goa .	85
933	गोआ में कपास के बीजों का उत्पादन	Production of cotton seeds in Goa	85

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
934	ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक आवास सुविधायें	Modern housing facilities in rural areas	86
935	राष्ट्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान की स्थापना	Setting up of a National Agricultural Engineering Institute . . .	86
936	सेक्टर 'डी' मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली के बहुमंजिली क्वार्टरों का सौंपा जाना	Handing over of multi-storeyed quarters of Sector 'D' Mandir Marg, New Delhi	86
937	सफाई कर्मचारियों की रहन-सहन की हालत	Living conditions of Sweepers . .	87
938	पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिये विशेष पोषाहार कार्यक्रम	Special nutrition programme for backward classes children . .	87
939	भारत में अकाल की स्थिति के बारे में ब्रिटिश समाचार पत्र	British Press on famine conditions in India	88
940	पश्चिम बंगाल बाघ परियोजना के लिये अनुदान	Grant for West Bengal Tiger Project	88
941	मत्स्य पालन के विकास के लिये ऋण और उनका उपयोग	Loans for development of fishery and their utilisation . . .	89
942	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का आवास सहकारिताओं के सदस्यों के रूप में नामांकन	Membership of S.Cs. and S.Ts. of housing co-operatives . . .	89
943	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये सरकारी आवासों के आरक्षण में वृद्धि	Increase in reservation of Government accommodation for S.C./S.T. . .	90
944	मछली उत्पादन तथा इसका निर्यात	Fish production and its export	90
945	जमाखोरों के विरुद्ध की गई कार्यवाही तथा तस्करी विरोधी अभियान के कारण खाद्यान्न के मूल्यों में गिरावट	Fall in Foodgrains prices due to action taken against Hoarders and Anti smuggling drive . . .	91
946	कालागढ़ बांध, उत्तर प्रदेश का निर्माण	Construction of Kalagarh Dam, Uttar Pradesh	91
947	स्टेट फार्म कारपोरेशन का कार्यकरण	Working of State Farms Corporation	92
948	राज्यों में तिलहनों का उत्पादन कार्यक्रम	Oil Seeds production programme in States	92
949	नगरीय सम्पत्ति अधिकतम सीमा विधेयक	Urban Property Ceiling Bill . .	93

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
950	समेकित ग्रामीण विकास योजना	Integrated Rural Development Scheme	93
951	भूमि प्रयोग आयोग	Land use Commission . .	94
952	वनस्पति उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up Vanaspati Industries . . .	95
953	भारतीय खाद्य निगम के उपरिव्यय को कम करने सम्बन्धी समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Committee appointed to reduce overhead charges of FCI .	95
954	परियोजनाओं के लिये कृषि वित्त आयोग द्वारा सहायता	Aid by Agricultural Refinance Corporation for Projects . . .	96
955	भूमि की अधिकतम सीमा संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति तथा उसकी क्रियान्विति	President's assent and implementation of land Ceiling Amendment Act .	96
956	फालतू भूमि का वितरण	Distribution of surplus land .	97
957	वनों का आरक्षण	Preservation of Forests . . .	99
958	खाद्य की कमी के बारे में मंत्री का वक्तव्य	Minister's statement on food scarcity	100
959	पटसन के उत्पादन में कमी	Fall in production of Jute .	100
960	रामचरितमानस का दक्षिण भारतीय भाषाओं में अनुवाद	Translation of Ram Charit Manas into South Indian Languages .	101
961	बिहार के पालामाऊ जिले में कुंओं का खोदा जाना	Digging of wells in Palamau District of Bihar	101
962	बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में केन्द्रीय सिंचाई योजनाएं	Central Irrigation schemes in Chotanagpur region of Bihar . .	102
964	भाखड़ा बान्ध में पानी का स्तर गिर जाना	Fall in water level in Bhakra Dam .	102
965	"शुगर बैरन्स मिनट् मनी" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार	News item with the caption "Sugar Barons Mint Money" . . .	103
966	वर्ष 1971-72 और 1973-74 के दौरान अनाज का आयात	Import of Cereals during 1971-72 and 1973-74	103
967	बेकरियों को सप्लाई किया गया आटा	Flour supplied to Bakeries . .	105
968	दिल्ली में निर्मित किये गए फ्लैटों की संख्या	Number of Flats constructed in Delhi .	105

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
969	तेहरान एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन	India's Performance in Teheran Asian Games	107
970	बिहार के लिये बाढ़ राहत योजना	Flood relief Scheme for Bihar .	107
971	कृषि के मूल्य आयोग द्वारा किसानों के हितों की सुरक्षा	Safeguards of Farmers' interests by Agricultural Price Commission .	108
972	बिहार में रबी अभियान	Rabi Campaign in Bihar .	108
973	आगामी सचेतक सम्मेलन	Next Whips Conference .	109
974	उड़ीसा के लिये अतिरिक्त गेहूं	Additional Wheat for Orissa .	109
975	सहकारी संस्थाओं से उर्वरक के लिये ऋण	Fertiliser Loans from Cooperatives	109
976	राज्यों में गेहूं के थोक व्यापार को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जाना	Take over of wholesale trade for Wheat in States	110
977	भूमि कटाव, बाढ़ और जल ठहराव की समस्याओं से निपटने के लये कार्यवाही	Steps to combate soil erosion, Flood and Water Logging . . .	110
978	खाद्यान्नों पर लेवी लगाना	Imposition of Foodgrain Levy. .	111
979	सार्वजनिक वितरण द्धति को चलाने के लिये किसानों पर श्रेणीकृत अनिवार्य लेवी	Compulsory graded levy on Farmers to feed the Public Distribution System	111
980	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों पर खर्च की गई राशि	Amount Spent on Central Universities	112
981	शहरी जनसंख्या में वृद्धि	Growth of urban population. .	114
982	राजकीय प्रौढ़ उच्चतर माध्यकि विद्यालय, बदरपुर, नई दिल्ली के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों द्वारा अभ्यावेदन	Representation by S.C. students of Government Adult H.S. School, Badarpur, New Delhi. . .	114
983	आल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाईटी	All India Blind Relief Society . .	115
984	जमाखोरों तथा व्यापारियों से पंजाब सरकार द्वारा पकड़ा गया गेहूं केन्द्र को दिया जाना	Wheat given to Centre by Pubjab seized from Hoarders and Traders	115
985	खाद्यान्नों के आयात के बारे में केन्द्रीय कृषि मंत्री का वक्तव्य	Statement of Union Minister of Agriculture on Import of Foodgrain	106

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
986	नेशनल केपीटल रीजन प्लान	National Capital Region Plan .	116
987	दिल्ली में स्लम बोर्ड	Slum Board for Delhi . .	117
988	फसल को क्षति	Damage to Crop . .	117
989	नदियों में जल दूषण	Water Pollution in Rivers .	117
990	राज्यों में वन संसाधन सर्वेक्षण	Forest Resources survey in States	118
991	कृषि सम्बन्धी आकड़ों के लिये उत्तर पूर्वी राज्यों को केन्द्र द्वारा सहायता	Central Assistance to North Eastern States for Agricultural Census .	118
992	धान के उत्पादन के लिये द्रुत कार्यक्रम	Crash programme for Paddy Production	119
993	विभिन्न विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के लिये प्रइवेट उम्मीदवारों को पात्रता	Conditions for Eligibility of Private Candidates to various Universities Examinations	119
994	उर्दू विश्व शब्दकोष का तैयार किया जाना	Preparation of Urdu Encyclopaedia	120
995	इंजीनियरिंग में स्नातक तथा डिप्लोमाधारी	Graduates and Diploma Holders in Engineering	120
996	भाखड़ा जल ग्रहण क्षेत्र में भूसंरक्षण कार्यक्रम	Soil conservation programme in the Bhakra Catchment Area.	121
997	वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान गुजरात को सप्लाई किया गया चावल तथा चीनी	Rice and Sugar to Gujarat during 1972-73 and 1973-74 . .	122
998	गुजरात में निम्न आय वर्ग वाले लोगों के लिये निर्मित मकान	Houses built for Low Income Group People in Gujarat . .	123
999	पांचवीं योजना में गुजरात में आवास के लिये नियतन	Allocation for Housing in Gujarat during 5th Plan . . .	123
1000	एशियाई खेल	Asian Games	123
	'आसुंका' के बारे में जारी किये गये राष्ट्रपति के 16 नवम्बर, 1974 के आदेश (सभा पटल पर रखे गये) के बारे में और उस पर स्थगन प्रस्ताव	Re. Presidential Order dated 16-11-74 on MISA (laid on the Table) and Adjournment Motion thereon .	124

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	Papers Laid on the Table—	133
कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक	Taxation Laws (Amendment) Bill .	134
श्री सी० सुब्रह्मण्यम की प्रवर समिति में नियुक्ति	Appointment of Shri C. Subramaniam to Select Committee . .	134
संविधान (32वां संशोधन) विधेयक	Constitution (Thirty-Second Amendment) Bill	135
संयुक्त समिति में दो सदस्य नियुक्त करने के लिये राज्य सभा से सिफारिश	Recommendation to Rajya Sabha to appoint two members to Joint Committee	135
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) 1974-75	Supplementary Demands for Grants (General) 1974-75 . . .	135
विवरण प्रस्तुत	Statement presented . .	135
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to the Matter of Urgent Public Importance— .	136
भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल में भारी विद्युत उपकरणों के जमा हो जाने का समाचार	Reported accumulation of heavy electrical equipment with BHEL, Bhopal	136
रेल मंत्री द्वारा 5 सितम्बर 1974 की सभा में दी गई जानकारी के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य	Statement by Member Re. Information given by Railway Minister on 5-9-74	141
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	141
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L.N. Mishra	141
भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक	Reserve Bank of India (Amendment) Bill	142
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	142
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga . . .	142
श्री इराज्मु द सेकरा	Shri Erasmo de Sequeira .	143
खंड 2 से 26 और 1	Clauses 2 to 26 and 1 . . .	145
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri . .	148
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . . .	149
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi. . .	150
भारतीय तार (संशोधन) विधेयक	Indian Telegraph (Amendment) Bill	150
विचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider as passed by Rajya Sabha	150
डा० शंकर दयाल शर्मा	Dr. Shanker Dayal Sharma . .	150
श्री दिनेश जोरदर	Shri Dinesh Joardar . . .	150

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 18 नवम्बर, 1974/27 कार्तिक, 1896 (शक)
Monday, November 18, 1974/Kartika 27, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Shbha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नार्वे की संसद् के अध्यक्ष तथा महासचिव का स्वागत
WELCOME TO SPEAKER AND SECRETARY GENERAL OF NORWEGIAN PARLIAMENT

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे एक घोषणा करनी है। मुझे अपनी ओर से और सदन के माननीय सदस्यों की ओर से महामहिम श्री गुट्टार्म हानसेन, नार्वेजियन स्टौरटिंग के प्रधान,—इसे संसद नहीं कहा जाता है—श्रीमती हानसेन, श्री गुन्नार हौफ, स्टौरटिंग के महासचिव तथा श्रीमती हौफ का स्वागत करता हूं, जो हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर हैं।

वे इस समय विशेष कक्ष में बैठे हैं। हम अपने देश में उनकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम नार्वे की संसद, सरकार तथा वहां की जनता को अपनी शुभ कामनाएं अर्पित करते हैं।

अनाज तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के व्यापार को नियंत्रण में लेना

*81. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :**
श्री एम० एस० पुरती :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज, खाने योग्य तेल तथा चीनी के व्यापार तथा वितरण को अपने नियंत्रण में लेने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या इस प्रकार नियंत्रण से अनाज तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं का, जिनका कि देश के बहुत से क्षेत्रों में बाढ़ों तथा सूखे के कारण कमी हो जाती है, समान तथा न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित हो सकेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या अत्यावश्यक वस्तुओं के बहुत अधिक मूल्य तथा इनके अभाव को ध्यान में रखते हुए इनके न्यायोचित वितरण को सुनिश्चित करने का कोई अन्य प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक खरीफ के मौसम का सम्बन्ध है, खरीफ की वसूली नीति मुख्य मंत्रियों और कृषि मंत्रालय की मंत्रणा समिति से सलाह करके बनाई गई थी । कुछ माननीय सदस्य उस समिति के सदस्य भी हैं । उत्पादक लेवी और चावल के मामले में मिल लेवी से अधिक वसूली करने की हमारी नीति है । लेकिन यदि माननीय सदस्य का आशय यह है कि इनको अपने अधिकार में लेने से सब समस्याएं हल हो जायेंगी, तो मैं यह कहूंगा कि सरकार इस से सहमत नहीं है ।

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : मेरा प्रश्न न्यायोचित वितरण से सम्बन्धित है । क्या मंत्रालय अपने पूर्व अनुभव के आधार पर अनाज का व्यापार पुनः अपने अधिकार में लेने पर विचार करेगा ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री डी० एन० तिवारी : क्या अपने पूर्व अनुभव के कारण सरकार अब अनाज का व्यापार अपने नियंत्रण में लेने से हिचक रही है ? क्या किसानो द्वारा अपनी आवश्यकता के कारण विवश होकर कम मूल्य पर अनाज बेचे जाने की सरकार को जानकारी है ? क्या सरकार ने उनसे उचित मूल्य पर अनाज खरीदने के बारे में कोई तरीका निकाला है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सरकार यह नहीं चाहती कि छोटे किसान विवश होकर अनाज बेचें । वास्तव में हमारी नीति बहुत स्पष्ट है । हम छोटे किसानों अथवा किसी भी किसान से न केवल समर्थित मूल्य बल्कि वसूली मूल्यों पर, जिनकी घोषणा पहले ही कर दी गई है, अनाज खरीद सकते हैं ।

श्री डी० एन० तिवारी : मेरे प्रश्न के प्रथम भाग का क्या बना ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : अनाज के व्यापार को नियंत्रण में लेने के बारे में मैं उन अन्य सदस्यों को उत्तर दे चुका हूं जिन्होंने यह प्रश्न पूछा है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने यह उल्लेखकिया था कि इस समय वह नीति में कोई नया परिवर्तन करने पर विचार नहीं कर रहे हैं । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनेक राज्यों को अकाल का सामना करना पड़ रहा है तथा केरल में केन्द्र द्वारा आश्वासन दी गई मात्रा में चावल सप्लाई न किये जाने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठप्प हो गई है, सरकार ऐसी नीति अपनाने के लिए क्यों ज़ोर दे रही है जो पहले ही असफल रही है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं उनके प्रश्न का आशय नहीं समझ सका । वह समस्या को अत्यधिक सरल समझ रहे हैं । यदि अपने नियंत्रण में लेने से सब समस्याएं हल हो जायें तो सरकार बहुत प्रसन्न होती, लेकिन सरकार ऐसा नहीं समझती है । केरल के बारे में यह कहना कि राज्य में अनाज की सप्लाई पूर्णतया अस्त-व्यस्त हो गई है, सच नहीं है । ऐसा इसलिए भी नहीं हुआ है क्योंकि राज्य को काफी मात्रा में अनाज का आवंटन होता रहा है । केरल राज्य को लगभग 87,000 टन अनाज की सप्लाई जारी है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : राज्य के मुख्य मंत्री ने बतलाया है कि इस महीने 80,000 टन चावल सप्लाई करने का वचन दिया गया था जबकि राज्य को केवल 25,000 टन चावल सप्लाई किया गया है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : चावल की कमी गेहूं से पूरी की गई है । अतः इस प्रकार अनाज की पूरी मात्रा सप्लाई की जाती रही है । इस सम्बन्ध में कोई बाधा नहीं आई है । मेरे विचार से देश में ऐसी स्थिति नहीं है कि हम जैसा अनाज पसन्द करें वैसे की मांग करें ।

कीट नाशक दवाइयों की कमी के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन की चेतावनी

*83. **श्री अनादि चरण दास**† :
श्री पुरुषोतम काकोडकर :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन ने विश्व में कीटनाशक दवाइयों की भारी कमी के बारे में चेतावनी दी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, हां । खाद्य और कृषि संगठन ने आगामी वर्ष में विश्व में कृमिनाशक औषधियों की होने वाली कमी के बारे में चेतावनी दी है ।

(ख) विश्व में कृमिनाशक औष-धियों की होने वाली कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में भारत सरकार, देशी उत्पादन बढ़ाने तथा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से अधिक कृमिनाशक औषधियों का आयात करने के लिये विशेष कदम उठा रही है । भारत सरकार ने देश के भीतर उपलब्ध कृमिनाशक औषधियों के आन्तरिक वितरण को युक्तिसंगत बनाने के लिये भी कदम उठाये हैं । कृमिनाशक औषधियों के उपयोग को कम करने के लिये भारत सरकार ने कृमि निगरानी पूर्वानुमान तथा चेतावनी प्रणालियों, के विकास के लिये भी कदम उठाये है, ताकि कृमियों की महामारी के बड़े पैमाने पर फैलने से पहले इन पर नियंत्रण किया जा सके । भारत सरकार कृमियों के जेविक नियंत्रण और उसके फलस्वरूप कृमिनाशक औषधियों के उपयोग को कम करने के विषय में भी काफी ध्यान दे रही है ।

Shri Anadi Charan Das : I want to know what is the difficulty in producing pesticide according to the requirements in the country ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : अनेक कीटनाशक औषधियां पैट्रो-रसायन पर आधारित हैं और ऊर्जा के संकट के कारण कुछ मूल कच्ची सामग्री की विश्व भर में कमी है । लेकिन जहां तक उत्पादन के सामान्य कार्यक्रम का सम्बन्ध है, हम निर्धारित लक्ष्य से बहुत आगे हैं । हम देश में ही अपनी आवश्यकता के एक बड़े भाग का उत्पादन कर रहे हैं । हमें भविष्य में भी यह देखना है कि हम अपने देश में उत्पादन कार्यक्रम का आयोजन करने में कहां तक सफल होते हैं । लेकिन कुछ मूल सामग्री देश में उपलब्ध नहीं होती है । इस सम्बन्ध में यही कठिनाई है, तकनीकी जानकारी की कोई कठिनाई नहीं है । वास्तव में हमें पर्याप्त तकनीकी जानकारी उपलब्ध है ।

Shri Anadi Charan Das : I want to know the names of the chemicals imported and countries from which they have been imported ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : बहुत प्रकार के रसायन हैं । उदाहरण के तौर पर बी०एच०सी० और डी०डी०टी० का मुख्य रूप से देश में उत्पादन होता है और इनका बहुत कम मात्रा में रूस, अमरीका, पोलैण्ड तथा अन्य देशों से आयात होता है । एंडरीन, कार्बेल और ऐण्डोसल्फर का अमरीका से आयात होता है । कुछ अन्य रसायनों का पश्चिम यूरोप से आयात होता है ।

श्री जी० विश्वनाथन : देश में कीटनाशक औषधियों की कुल आवश्यकता कितनी है और उनका उत्पान कितना है ? इनका कुल कितनी कीमत का आयात होता है ? कीटनाशक औषधियों के मामले में हम कब तक आत्म-निर्भर हो जायेंगे ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : पौधों को सुरक्षित रखने के लिये बहुत सी चीजें हैं । बी०एच०सी० बहुत महत्वपूर्ण रसायन है । इसकी हमारी आवश्यकता 30,000 टन है जबकि इसका देश में उत्पादन 24,000 टन है । अतः इसकी 6,000 टन की कमी है । डी०डी०टी० की हमारी आवश्यकता 7,500 टन है जबकि हमारा इसका उत्पादन 4,000 टन है । एंडरीन एक महत्वपूर्ण वस्तु है । हम 5,000 टन कार्बेल का उत्पदन करते हैं और एंडोसल्फर का लगभग 800 से 1,000 टन आयात करते हैं । इस प्रकार हमारी कुल आवश्यकता लगभग 56,000 टन है और हम इसका लगभग 35,000 टन का उत्पादन करते हैं ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : अभी अभी माननीय मंत्री ने बताया है कि कीटनाशी दवाइयां और कच्चे माल की कमी मुख्यतया पेट्रो-रसायन पर आधारित है । क्या कीटनाशी दवाइयों के उत्पादन के लिये वैकल्पिक कच्चे माल का पता लगाने का प्रयास किया जायेगा ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह बहुत कठिन समस्या है । यदि कच्चा माल आदि आसानी से उपलब्ध है तो हमें बहत प्रसन्नता होगी । इस मामले में अनुसंधान के प्रयास किये जा रहे हैं, लेकिन यह आसान कार्य नहीं है ।

उर्दू के विकास के बारे में समिति

*85. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्दू के विकास के बारे में गुजराल समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव):

(क) उर्दू के विकास से सम्बन्धित समिति (गुजराल समिति) ने अभी तक अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश नहीं की है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एस० एन० मिश्र: प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है ?

श्री डी० पी० यादव: बहुत शीघ्र ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Have Government laid down any criteria on the basis of which a particular language in any particular state can be given the status of state language ?

Shri D. P. Yadav : Question does not arise.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I will put this question in another form. Is it a fact that there is a demand for making Urdu an additional state language in U.P. ? If so, has Government laid down any criteria on the basis of which a particular language can be given the status of state language ?

Mr. Speaker : The question is about the Gujral Committee. I don't know whether it is relevant or not.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Even before elections in U.P. it is being said that Government wants to promote Urdu. Now, the matter is under consideration of Gujral Committee.

Mr. Speaker : Let the report come.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Has the Gujral Committee any proposal to accord Urdu the status of state language in any state ?

Shri D. P. Yadav : It would have been better if you had addressed this question to the Home Ministry. I will read out the terms of reference of the Gujral Committee.

Mr. Speaker : You just tell whether the matter is being considered by Gujral committee.

Shri D. P. Yadav : Let me read it. The whole thing will become more clear then "To advise the Government on measures to be adopted for the promotion of Urdu language and the steps to be taken to provide adequate facilities for Urdu-speaking people in educational, cultural and administrative matters."

Shri Shanker Dayal Singh : When this Committee was thus constituted, how many states has it visited till now and who are its members ?

Shri D. P. Yadav : The committee was constituted in May 1972. The number of its members is sixteen. If you wish I will read out their names. It has visited eleven or twelve states so far.

Shrimati T. Lakhmi Kantamma : What is the difficulty in making Urdu language as another state language in those states where it is spoken by majority of its people ? Is it a fact that Urdu has been made second state language of Andhra Pradesh, if so, what is the difficulty in making it a second state language of U.P. ?

Mr. Speaker : The report has not been submitted as yet.

Shri S. M. Banerjee : Two years have passed and yet the report has not been submitted. By the time its report will come, Urdu language will be dead and gone. I want to know besides constituting this committee what steps Government is taking for the development of Urdu language ? I would like you to make some such arrangements in Parliament also that if a member speaks in Urdu it should be noted down in Urdu itself. There are no such arrangements. Mr. Shamim speaks in Urdu. I also try to speak in Urdu. I want that you might at least make such arrangements before the Report is submitted so that Urdu-loving people might be ensured that Urdu would never die.

Mr. Speaker : When the report will be submitted it will be laid on the Table of the House. Why are you so much worried about that ?

Shri Madhu Limaye : I want to know from the hon. Minister whether he is aware of the fact that Urdu is the language of this soil and not the language of Pakistan or any other state only.

Mr. Speaker : This question is about Gujral Committee. You are digressing from the point.

Shri Madhu Limaye : What has the Gujral Committee been doing for the last 2 years...... *(Interruption)*

First it should be clearly stated whether the hon. Minister considers Urdu as the language of this soil or not ? Because a number of people are under the impression that it is the language of Pakistan alone.

Shri N. K. P. Salve : Mr. Speaker, Sir, Urdu is our own language, we love this language and we are interested in its promotion. We wish that it should reach the common man and the illiterate people like me. Whether the report of the Committee will be given atleast in Devnagari script so that we also could know what Government proposes to do for the promotion of Urdu language ?

Mr. Speaker : The question is about Gujral Committee and he has brought state language and his love for Urdu into it.

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : समिति की रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

श्री एस० ए० शमीम : कब रखी जाएगी ? समिति का गठन तो 1972 में हुआ था ।

प्रो० नुरूल हसन : जब समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी और सरकार द्वारा इस पर विचार कर लिया जाएगा तो सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

प्रायः सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के लिये विश्व बैंक की विकास परियोजना

***86. श्री धामनकर :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य ने प्रायः सूखा-ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों सम्बन्धी विश्व बैंक की 82 करोड़ रुपये की विकास परियोजना के लिए 6 जिलों का चयन करते समय उसके साथ उचित न्याय न किये जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार से विरोध प्रकट किया है;

(ख) उक्त योजना में गुजरात के जिलों को शामिल न करने के मुख्य क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह परियोजना महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों को अधिक लाभ देगी जब कि लगातार सूखे से बुरी तरह प्रभावित गुजरात को इसमें शामिल नहीं किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) विश्व बैंक पाइलट परियोजना के तौर पर एक छोटा सा कार्यक्रम आरम्भ करना चाहता था । अनेकों राज्यों के अनेकों जिलों के एक से उचित दावों को देखते हुए, कुछ राज्यों का विश्व बैंक की सहायता से रह जाना लाजिमी है ।

(ग) विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के चार राज्यों में चुने छः जिलों को केन्द्र से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी और इतनी ही धनराशि राज्य सरकारों द्वारा भी दी जानी है ।

श्री धामनकर : हाल में रोम सम्मेलन में हुई वार्ता को ध्यान में रखते हुए, बहुत अधिक सम्भावना है कि भारत सहित हमेशा से सूखा-ग्रस्त अन्य क्षेत्रों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से और सहायता मिलेगी । प्रत्येक राज्य का यह सोचना स्वाभाविक है कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ मिले । मंत्री महोदय के वक्तव्य से लगता है कि केवल 6 जिलों का चयन किया गया है और महाराष्ट्र में शोलापुर और अहमदनगर ज़िलों को चुना गया है जिनकी मिट्टी की किस्म तथा फसल का मौसम एक जैसा है और कोंकण तथा मराठावाड़ा जिले का चयन नहीं किया गया है जिनकी मिट्टी की किस्म तथा फसल का मौसम भिन्न प्रकार का है । इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु ज़िलों का चयन करने से पूर्व राज्य सरकार से सलाह ली गई थी और क्या ज़िलों का चयन निष्पक्ष मानदण्ड पर आधारित होने तथा राज्यों की आपसी कलह को रोकने के लिए निश्चित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी ।

श्री शाहनवाज खां : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, लगभग 72 सूखा-पीड़ित क्षेत्र परियोजनाएं पहले से ही क्रियान्वयनाधीन हैं । वर्तमान पेशकश विश्व बैंक ने बहुत थोड़े ज़िलों के लिए की है । प्रारम्भतः हमने 16 ज़िलों का प्रस्ताव किया । इसके उपरान्त उन्होंने एक दल भेजा जिसमें बताया कि वह 4 ज़िलों के लिए 6 परियोजनाएं शुरू करेगा । हमें आशा है कि विश्व बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत और अधिक ज़िलों को शामिल किया जायेगा । अगर ऐसा हो गया तो हम राज्यों में और

अधिक परियोजनाएं शुरू कर सकेंगे । इसका अर्थ यह नहीं कि ज़िलों में परियोजनाएं नहीं चल रही हैं । 72 परियोजनाएं पहले ही चालू हो चुकी है । विश्व बैंक सहायता प्राप्त ज़िलों को कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए क्षेत्र को आधार मानकर 3 करोड़ रुपये से लेकर 30 लाख रुपये तक की केन्द्रीय सहायता मिली है । इस प्रकार अन्तर बहुत कम है ।

श्री धामनकर : सूखा-पीड़ित क्षेत्रों के लिए विश्व बैंक से हमें कुल कितनी सहायता मिल रही है ?

श्री शाहनवाज खां : लगभग 3 करोड़ 50 लाख डालर ।

श्री डी० पी० जदेजा : आश्चर्य की बात है कि केन्द्रीय सरकार गुजरात को सूखा-पीड़ित क्षेत्र नहीं समझती । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गुजरात सरकार को कोई ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें कुछ ज़िलों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने अथवा सौराष्ट्र समुद्र तट पर अमरेली-डेरी परियोजना तथा अपक्षारीकरण संयंत्र को शामिल करने के लिए कहा गया हो ?

श्री शाहनवाज खां : हम निश्चित रूप से यह स्वीकार करते हैं कि गुजरात में कुछ सूखा-ग्रस्त क्षेत्र हैं । हम पंचमहल, कच्छ, जामनगर, अमरेली तथा सुरेन्द्र नगर आदि में पहले ही योजना में सम्मिलित परियोजनाएं चल रही हैं । ये परियोजनाएं सूखा-पीड़ित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रही हैं यद्यपि ये विश्व बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आती । चूंकि विश्व बैंक की सहायता बहुत कम मिल रही है, इसलिए हम अपने कार्यक्रमों के अन्तर्गत परियोजनाएं चला रहे हैं ।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल की भांति पूर्वी क्षेत्र के बांकुरा, पुरुलिया तथा मिदनापुर सूखा पीड़ित क्षेत्र हैं तथा उड़ीसा, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में भी कई सूखा-ग्रस्त क्षेत्र हैं । इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि पूर्वी क्षेत्र विशेषकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार क्षेत्र में कौन से क्षेत्र सूखा-ग्रस्त हैं तथा वहां किस प्रकार की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं तथा पश्चिम बंगाल में विश्व बैंक की सहायता से परियोजना न शुरू करने के क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न गुजरात और महाराष्ट्र के सम्बन्ध में है ।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय ने 72 परियोजनाओं का हवाला दिया है । मेरा प्रश्न उसी से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या ये 72 परियोजनाएं दो राज्यों के लिए हैं अथवा सभी राज्यों के लिए ?

श्री शाहनवाज खां : ये परियोजनाएं 13 राज्यों के लिए हैं । पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, मिदनापुर तथा बांकुरा; उड़ीसा में कालाहांडी तथा फुलवनी एवं बिहार में मुंगेर, पालामऊ, नवादा तथा रोहतास में परियोजनाएं चल रही हैं । प्रत्येक योजना पर लगभग 60 लाख से 6 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे । यह राशि कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल क्षेत्रों के लिए राज्यों के अंशदान पर निर्भर होगी ।

श्री बसंत साठे : सूखा-पीड़ित क्षेत्रों के चयन के लिए विश्व बैंक ने क्या मानदण्ड निर्धारित किया है ? क्या केन्द्रीय सरकार ने ज़िलों का चयन किया था अथवा विश्व बैंक ने ज़िलों का चयन किया था । क्या विश्व बैंक ने सूखा-पीड़ित क्षेत्रों का चयन करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किया था ?

श्री शाहनवाज खां : विश्व बैंक ने यह मानदण्ड निर्धारित किया था कि ये परियोजनाएं मुख्य परियोजनाओं के रूप में उन क्षेत्रों तक सीमित रहेंगी जिनको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये परियोजनाएं उन क्षेत्रों तक सीमित रहेंगी जिनमें वारानी खेती परियोजनाएं पहले ही चल रही हैं । वहां सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी तथा पशु-पालन तथा अन्य परियोजनाएं भी शुरू की जाएंगी ।

श्री पी० जी० मावलंकर : 'डी.पी.ए.पी' का उल्लेख करते हुए मंत्री महोदय ने गुजरात के कच्छ, सुरेन्द्र नगर, बनासकांठा, अमरेली तथा जामनगर तथा अन्य ऐसे ज़िलों के बारे में बताया था । इन ज़िलों को नई परियोजना में शामिल न करने के क्या कारण हैं जिससे विश्व बैंक से विकासीय सहायता हमें मिल रही है । गुजरात में गत 75 वर्षों में ऐसा सूखा नहीं पड़ा था जितना इस बार पड़ा है । गुजरात के इन ज़िलों को इन कार्यक्रमों में शामिल क्यों नहीं किया गया जिनके लिए विश्व बैंक से सहायता मिलनी है ?

श्री शाहनवाज खां : विश्व बैंक सहायता केवल 6 ज़िलों तक सीमित थी । हमें कुछ ज़िलों का चयन करना था तथा अन्य को छोड़ देना था । यदि हम ऐसा नहीं करते तो अन्य राज्य भी इस बारे में कहते ।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या सरकार यह बताएगी कि क्या अन्य राज्यों के ज़िले चयनित ज़िलों से अधिक सूखा ग्रस्त थे ? क्या अन्य राज्यों के ज़िले सरकारी सूचना के आधार पर इस तरह कभी सूखा-ग्रस्त नहीं हुए थे ?

श्री शाहनवाज खां : प्रारम्भ में हमारा विचार 16 जिलों को शामिल करने का था परन्तु बाद में हमने संख्या 6 कर दी । अब विश्व बैंक का और अधिक ज़िलों को शामिल करने का विचार है । जब भी विश्व बैंक हमें कुछ कहेगा, हम गुजरात के ज़िलों को निश्चित रूप से शामिल कर लेंगे ।

डा० कैलाश : क्या विश्व बैंक के दल ने गुजरात के सूखा पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया था अथवा नहीं ? यदि किया था तो उन्होंने इन ज़िलों को रद्द क्यों कर दिया ?

श्री शाहनवाज खां : उन्होंने कुछ क्षेत्रों का दौरा किया था और उनके मानदण्ड के आधार पर गुजरात को शामिल नहीं किया जा सकता था । बहुत कम ज़िलों को शामिल किया गया । जैसा कि मैं बता चुका हूं अगली बार हम गुजरात को शामिल करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री डी० बसुमतारी : क्या मंत्री महोदय ने सूखे के प्रश्न पर विश्व बैंक से बातचीत करते समय आसाम के बार-बार बुरी तरह बाढ़-ग्रस्त होने वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में बात की थी ? उनको शामिल क्यों नहीं किया गया ? सहायता का उपयोग करने तथा धन का वितरण करने के मामले में उनको क्यों नहीं चुना गया ?

श्री शाहनवाज खां : यह प्रश्न सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों से सम्बन्धित है । जब बाढ़ का प्रश्न आएगा तो हम इस पर विचार करेंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या सरकार प्रायः सूखा-ग्रस्त होने वाले क्षेत्रों को सहायता देने की योजनाओं के पर्यवेक्षण और निरीक्षण हेतु संसद सदस्यों की एक समन्वय समिति स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकार करेगी ?

श्री शाहनवाज खां : ऐसी कोई योजना नहीं है किन्तु यदि कोई सदस्य उन क्षेत्रों का दौरा करना चाहता है तो उसका स्वागत है ।

श्री पी० आर० शिनाय : क्या सूखे की वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या विश्व बैंक से अधिक सहायता लेने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो प्रस्ताव क्या है ?

श्री शाहनवाज खां : विश्व बैंक समय-समय पर विभिन्न परियोजनाओं के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित करता है और जब भी वहां से धन उपलब्ध होता है हम उसे उपयोग में लाते हैं ।

Export of Paddy as seeds from Tarai Region of U.P.

***89. Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3458 on 26th August, 1974 regarding export of paddy as seeds from Tarai Region of U.P. and state :

(a) whether investigations by C.B.I. into the case has since been completed; and

(b) if so, with what results ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) In reply to the Unstarred Question No. 3458 answered on 26th August, 1974, it had been stated that the State Government are investigating the cases and that a reference had also been made by them to the C.B.I. The CBI had examined the matter and, decided that it will not be possible for it to take up the investigations of the cases referred to it by the State Government of Uttar Pradesh. The investigations by the State Government are continuing and a detailed report is awaited.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, I would like to know whether a large quantity of rice from 'Tarai' area of Uttar Pradesh was sent to drought affected areas in the name of supply of seed. It is alleged that about 1 1/2 crores of rupees have been unlawfully earned from this shaddy deal. This matter was raised in U.P Vidhan Sabha and Government told there that they were going to take help of C.B.I. in the matter. Here it is told just now that it would not be possible for C.B.I. to investigate into these cases. Is it due to the fact that some persons occupying high posts are involved in it that the C.B.I. has refused to investigate into the matter ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जैसा अनुमान माननीय सदस्य ने लगाया है वैसा अनुमान लगाना उचित नहीं है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किया जाना और न किया जाना इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि मामले से सम्बन्धित व्यक्ति कौन है । कई बार गलत सूचना के आधार पर कई प्रमुख व्यक्तियों ने नाम भी मामले से जोड़ दिये जाते हैं । मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से इस बारे में बातचीत की थी और उन्होंने मुझे बताया है कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर उन लोगों पर प्रथमतः कोई मामला नहीं बनता, जो शायद श्री वाजपेयी के मन में हैं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, hon. Minister is evading the answer. I asked a specific question as to whether a large quantity of rice from U.P. was sent to other states in the name of seed supply. I would also like to know the findings of the invstigations made by state Government.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : समस्या के दो पहलू हैं । यदि कुछ व्यक्तियों ने कानून का उल्लंघन करके उत्तर प्रदेश से बाहर चावल या धान भेजा है तो इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए और अपराधियों को दण्डित किया जाना जाहिए । हम उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करेंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति बख्शा न जाये । हमें पता है कि कुछ तस्करी हुई है और हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में शीघ्र जांच कराये । जांच जारी है और वह अभी तक पूरी नहीं हुई है । किन्तु सभा में या सभा से बाहर केवल ईर्ष्या-द्वेष अथवा गलत जानकारी के आधार पर कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे देश के प्रमुख व्यक्तियों के सम्मान पर बट्टा लगे ।

Shri Jagannath Rao Joshi : Sir, this question was first asked on 26th August 1974 and it was replied that the U.P. Government was conducting the investigations and had requested C.B.I. to help in the investigations. Now in November it has been told that the C.B.I. has refused to help in the matter. I want to know whether hon. Minister is aware of the scandal if so, whether government is unable to bring the culprits to book.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इनमें कुछ तथ्य गलत हैं । मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नहीं सौंपा गया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनसे सहायता के लिए अनुरोध किया था किन्तु अब उन्होंने इस मामले में सहायता देने में असमर्थता प्रकट की है । राज्य सरकार समर्थ है और वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो से सहायता के लिए पुनः अनुरोध कर सकती है । माननीय सदस्य का यह अनुमान गलत है कि राज्य सरकार द्वारा जांच बन्द किये जाने का कारण मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपना है । उत्तर प्रदेश सरकार के पास पर्याप्त साधन हैं और वह जांच कर रही है और यदि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सहायता आवश्यक मानती है तो वह इसके लिए पुनः अनुरोध कर सकती है ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : यदि उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम थी तो उसने केन्द्रीय जांच व्यूरों की सहायता क्यों मांगी थी और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सहायता देने से इन्कार क्यों किया ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : विधान सभा में यह मांग की गई थी कि यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जाये । कई मामलों में हम भी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जाये—चाहे वह वैध हो अथवा अवैध । उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा था कि वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो से अनुरोध करेगी । किन्तु यह उसने कभी नहीं कहां कि वह मामले की जांच करने के लिए सक्षम नहीं है या वह पूर्ण जांच नहीं कर सकती ।

Shri Jagannath Rao Joshi : Sir, it is no reply to my question. May I know the reasons why C.B.I. refused to investigate into the matter and whether U.P. Government did not want shoulder the responsibility themselves because some big officers are involved therein?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो से पता करुंगा कि उसने किन कारणों से मना किया । परन्तु मामले की पूर्ण जांच करने के मार्ग में उत्तर प्रदेश सरकार के सामने कोई रुकावट नहीं है ।

Shri Bibhuti Mishra : The central Government should take interest in the matter and take a decision. If this matter comes under the jurisdiction of state Government the Central Government should fix a time limit for the enquiry to be conducted by the state Government otherwise if the matter is allowed to hang in balance, it will have adverse effect on

the entire country. I would like to ask whether the central Government has fixed a . time-limit for the enquiry to be conducted by the U.P. Government and for submitting this report to the Central Government so that the Central Government may clearly in the house as to who is involved in this.

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : हम उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इस मामले पर बातचीत करेंगे और उन्हें इस जांच को शीघ्र निपटाने के लिए अनुरोध करेंगे क्योंकि भारत सरकार जनता अथवा संसद से कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। वास्तव में तथ्यों को प्रकाश में लाया जाए ताकि गलतफहमी दूर की जा सके। हम उन्हें जांच जल्दी से जल्दी पूरा करने का अनुरोध कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य के सुझाव पर उत्तर प्रदेश सरकार से बाचचीत करूंगा और यह देखने का प्रयत्न करूंगा कि जांच जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं। धान अथवा चावल एक राज्य से अन्य कई राज्यों में ले जाया जाता है। अतः यह एक राज्य की समस्या न रहकर सम्पूर्ण भारत की समस्या बन जाती है। समझ में नहीं आता कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इसे लेने से क्यों इन्कार कर दिया। यदि एक बार उन्होंने मना कर दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार कैसे उन्हें दुबारा यह मामला लेने के लिए अनुरोध कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या खाद्य मंत्री इस बात को सुनिश्चित करने हेतु कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो इसकी जांच करे, कुछ पहल कर रह हैं यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : हम उनकी कठिनाइयां दूर करने के लिए प्रयत्न करेंगे और सरकार की ओर से उन्हें सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में सुविधाओं की कमी

*90. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली में नई कालोनियों में वह सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफल रहा है जो बृहत योजना के अनुसार उपलब्ध की जानी चाहिए थी;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में अनेक डिजाइन-दोष भी हैं;

(ग) क्या इस बारे में 19 सितम्बर, 1974 की एक स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्य के स्तर को सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी कालोनियों में सड़कों, नालियों, जलपूर्ति तथा मल-निर्यास जैसी सुख-सुविधाओं की व्यवस्था की हुई है तथा पार्कों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों आदि के लिए अपेक्षित आयोजना मानकों के अनसार पर्याप्त आकारों के प्लाट भी अलग से रखे हुए हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ऐसे डिजाइन तैयार किए हैं जो व्यावहारिक तौर पर उपयोगी, सस्ते तथा सौन्दर्य की दृष्टि से सन्तोषजनक हैं।

(ग) समाचार-पत्र की चर्चाधीन रिपोर्ट, दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों के निवासियों के संगठनों के महासंघ द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यो का मूल्यांकन करने के लिए निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा बनाई गई विशेषज्ञों की समिति को दिए गए एक ज्ञापन पर आधारित है ।

(घ) ज्ञापन में उठाए गए प्रश्नों पर जो कार्रवाई आवश्यक समझी जाएगी वह समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर की जाएगी ।

Shri Bhogentra Jha : Mr. Speaker, Sir, I would like to know, whether there is any fault in the design or not ? It is a fact that there is one foot concrete railing behind which there is some space where some children go and stand. That place is not safe. Some 10 to 12 accidents have already taken place there. The children lost their lives. One child died on account of a wall collapse. Moreover the construction is not good, water leaks from ceilings which causes exchange of bitter words between the resident of the flats. What measures are being taken to remove such defects.

Shri Mohan Dharia : A committee is looking into the matter. If some such fault is found, we will try to remove it as early as possible.

Shri BhogenIra Jha : Even before the completion of the construction some of the roofs collapsed. I wish to know whether any action is being taken against the official who gave approval to the contractors for these houses.

Shri Mohan Dharia : I am not aware of it. If the hon. member will refer to some such instance we will certainly look into it. The memorandum is before the committee and the committee's report is expected in another six months. The action will be taken against the officers held responsible.

Shri R. S. Pandey : How many citizens of Delhi have been provided with the houses ? What is the number of the houses under the categories A. B. C. D. etc.

Mr. Speaker : The Question is about the defect in design.

Shri R.S. Pandey : Houses under category A. B. C. D. are built in accordance with their designs, what is the number of designs according to which D. D. A. is constructing houses ?

Mr. Speaker : Give a separate notice for this question. I will admit it.

Shri Hukam Chand Kachwai: Sub-standard material has been used in the construction of houses and there have been cases of pilferage, bungling and other irregularities with the result that cracks are appearing on the walls of the houses. Whether today's newspaper reports about the collapse of a house would be enquired? Persons of Class III or IV are required to deposit half of the amount in cash. Would you reduce this amount? It is very difficult for them to pay 20 thousand or so at a time. An employee cannot deposit such huge amount. Banks have stopped advancing loans. Do you propose to give any relief to the Harijans ?

Shri Mohan Dharia : As I stated earlier, the Committee will look into these points positively. It is not proper to say that the entire housing construction is dangerous. The

people have admitted in their memorandum that "D.D.A.'s housing programmes have, been, on the whole dynamic". So this allegation is uncalled for.

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has not said anything about Class III and IV employees. They cannot afford to pay such a huge amount in cash. They want to make the payment in instalments.

Mr. Speaker : It is irrelevant point.

उच्च शिक्षा में केन्द्र के उत्तरदायित्व की जांच करने के लिए समिति

91. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान संवैधानिक ढांचे के अन्दर उच्च शिक्षा में केन्द्र के उत्तरदायित्व की जांच करने के लिए गठित सी० ए० बी० ई० समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो समिति द्वारा प्रतिवेदन पेश किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं और समिति किस संभावित तारीख तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (ग) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 18-19 सितम्बर, 1972 को आयोजित 36वीं बैठक में बोर्ड के कुछ सदस्यों द्वारा इस आशय का सुझाव देने वाले एक संकल्प को पेश किया गया था कि बोर्ड की एक उप-समिति को उच्चस्तर शिक्षा के लिये केन्द्रीय उत्तरदायित्व की जांच करनी चाहिए । बोर्ड का यह विचार था कि इस प्रश्न पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचार विमर्श किया जाना चाहिए। तदनुसार इस मामले को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उसके विचारार्थ भेजा गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 12-13 अप्रैल, 1973 को हुई अपनी बैठक में इस प्रश्न पर विचार किया और इस बात की इच्छा प्रकट की कि शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय से प्राप्त मामले पर एक समिति द्वारा विचार किया जाये, समिति ने 12 जुलाई, 1973 को हुई अपनी बैठक में इस मामले पर विचार किया और आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । समिति ने निम्नलिखित विचार/सिफारिशें की :—

(1) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा को राज्य सूची से संघ सूची अथवा समवर्ती सूची में हस्तान्तरित करने के लिए भारत के संविधान को संशोधित करना न तो व्यवहार्य है और न ही वांछनीय है।

(2) शैक्षिक और प्रशासनिक आधारों पर भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे स्वायत्ता प्राप्त निकाय को उच्चस्तर शिक्षा मंत्रालय में संभावेश करने से सम्बन्धित प्रस्ताव अवनतिशील विचार होगा ।

(3) राज्यों को यह बात अवश्य महसूस करायी जानी चाहिए कि उनकी भी उच्चस्तर शिक्षा में साझेदारी है और उन्हें भी "विकास" के एक अंग के रूप में इस राष्ट्र निर्माण वाले कार्यकलाप के प्रति आवश्यक योगदान करना चाहिए। अतः इस वर्तमान ढांचे में मूल रूप से परिवर्तन करना यथार्थवादी और खतरनाक होगा।

(4) उत्तर स्नातक शिक्षा तथा अनुसंधान के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सीधी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए आयोग के पास पर्याप्त धन होना ही चाहिए। उच्चस्तर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में और अधिक धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 10 दिसम्बर, 1973 को हुई अपनी बैठक में समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और समिति की इस सिफारिश से सहमति व्यक्त की कि उच्च शिक्षा को समवर्ती अथवा केन्द्रीय विषय बनाना वांछनीय नहीं होगा। इस बात पर सहमति व्यक्त की गयी थी कि केन्द्रीय क्षेत्र में अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि विश्वविद्यालय और कालेजों में उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के विकास हेतु आयोग और बड़ा उत्तरदायित्व ले सके।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : विवरण से यह स्पष्ट नहीं होता कि समिति ने क्या किया, क्योंकि तीन मामले तो बहुत ही निराशाजनक चित्र उपस्थित करते हैं और केवल चौथे मामले में और अधिक राशि की मांग की गई है। हाल में हुई 'सी० ए० बी० ए०' की मीटिंग में समिति के प्रतिवेदन की आलोचना की गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संकल्प में उन क्षेत्रों के बारे में पूछा गया है जिनकी उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है। संकल्प के सही शब्दों को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह समिति को उन क्षेत्रों की परिभाषा देने के लिए कहें जहां केन्द्रीय सरकार संविधान के वर्तमान ढांचे के अंतर्गत अपना उत्तरदायित्व निभा सकती है। यह राज्यों को कम अधिकार देने अथवा केन्द्र को अधिक अधिकार देने का मामला नहीं है। संकल्प में क्षेत्रों की परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है।

प्रो० एस० नूरुल हसन : रिकार्ड से पता चलता है कि संकल्प का प्रस्ताव केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड में किया गया था परन्तु उसका अनुमोदन उस रूप में नहीं किया गया। अतः मूल प्रश्न यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों में उच्च शिक्षा के विकास तथा प्रगति के लिए और अधिक राशि दे सकती है? मामले पर योजना आयोग विचार कर रहा है और अंतिम निर्णय राशि की उपलब्धता तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् के इस निर्णय पर आधारित होगा कि उच्च शिक्षा के मामले में केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों को किए जाने वाले आवंटन का क्या अनुपात हो।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : राशि का प्रश्न एक अलग प्रश्न है। उच्च शिक्षा की विभिन्न एजेन्सियों में समन्वय का एक क्षेत्र होता है। उदाहरणार्थ पंजाब उच्च-न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि कि जब किसी एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में क्षेत्र के प्रवेश का मामला स्पष्ट न हो, उसकी परिभाषा और अन्तिम निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा करना होगा। उच्च शिक्षा के समन्वय क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार की क्या भूमिका होता है?

प्रो० एस० नुरुल हसन : मुझे आशंका है कि मैंने प्रश्न के महत्व को नहीं समझा। उच्च शिक्षा का समन्वय करना तथा इसे स्तर पर लाने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग ने तथा कभी-कभी केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक मामले के स्वरूप को देखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों अथवा विश्वविद्यालयों को सिफारिशें भेजी। अभी तक विश्वविद्यालयों को कोई भी निदेश भेजना वांछनीय नहीं समझा गया क्योंकि सरकार नीति-निर्णयों के अनुरूप विश्वविद्यालयों को चलाना बेहतर समझती है। अत: इसके अतिरिक्त समिति किस विषय पर विचार कर सकती है, मैं इसको नहीं समझ सका हूं।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुनरीक्षण समिति

*92. **श्री समर गुह :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट कब तक प्रकाशित की जायेगी ;

(ख) क्या समिति की सिफारिशें समाचार-पत्रों में पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय संबंधी अपनी समिति की रिपोर्ट के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के विचार आमंत्रित किए हैं। आयोग द्वारा राज्य सरकार तथा विश्व-विद्यालय के विचारों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही रिपोर्ट के प्रकाशित करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

(ख) और (ग) आयोग द्वारा समिति की रिपोर्ट अथवा सिफारिशें प्रेस को जारी नहीं की गई हैं। चूंकि इन पर अभी आयोग द्वारा विचार किया जाना है, अत: उनके कार्यान्वयन की पद्धति के संबंध में सूचना देना अभी असामयिक है।

श्री समर गुह : मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि प्रतिवेदन प्रकाशित करने के मार्ग में सरकार के समक्ष क्या बाधाएं हैं जबकि प्रतिवेदन की प्रतियां कई व्यक्तियों के पास हैं और यह प्रतिवेदन पश्चिम बंगाल में चर्चा का विषय बन गया है और प्रतिवेदन के आधार पर सम्मेलन भी हो चुका है। यह प्रतिवेदन सभा-पटल पर क्यों नहीं रखा जाता अथवा इसे प्रकाशित क्यों नहीं करवा दिया जाता ? हम प्रतिवेदन के गुण दोषों पर विचार कर सकते हैं। सिफारिशों को क्रियान्वित करने का मामला एक अलग मामला है। क्या इस प्रतिवेदन में कलकत्ता विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय समझने की सिफारिशें की गई हैं। यदि हां, तो वित्तीय और प्रशासनिक दायित्वों के सम्बन्ध में तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालय की जिम्मेदारियों में स्पष्ट रूप से क्या अन्तर है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : मेरा ध्यान समिति की विशिष्ट सिफारिश की ओर दिलाया गया है लेकिन हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसमें सिफारिशें करने से पूर्व विश्वविद्यालय के बारे में विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार के विचार मांगे गए हैं। हमारे पास एक ही प्रतिवेदन उपलब्ध है जिसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा पश्चिम बंगाल सरकार की सिफारिशें एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचार दिए गए हैं।

श्री समर गुह : मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय महत्व के विश्व-विद्यालय के बीच क्या अन्तर है।

अध्यक्ष महोदय : समय पूरा हो चुका है।

श्री समर गुह : पश्चिम बंगाल सरकार में इस विषय पर विवाद चल रहा है। मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। कलकत्ता में सम्मेलन सभाएं तथा विचार गोष्ठियां हो रही हैं। मैं अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहता। मंत्री महोदय को चाहिए कि वे उत्तर को पूरा करें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं समय को नहीं रोक सकता। समय पहले ही पूरा हो चुका है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

किसानों तथा कृषि श्रमिकों की विकास एजेंसियों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को लाभ

*82. **श्री पी० एम० सईद : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसान विकास एजेन्सियों और सीमान्तक किसान तथा कृषि श्रमिक विकास एजेन्सियों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा उठाये गये लाभों को दर्शाने वाले आंकड़े कृषि मंत्रालय द्वारा एकत्र किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन जातियों को कौन-कौन से आर्थिक तथा अन्य लाभ प्राप्त हुए ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) चौथी योजना के दौरान छोटे किसानों, सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों की विकास एजेन्सियों के अन्तर्गत कृषक समुदाय के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए इन विशेष कार्यक्रमों के अंतर्गत भाग लेने वालों का चुनाव करने हेतु अपनाये गये सिद्धातों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के किसानों और जो इन जातियों तथा जनजातियों के नहीं हैं, के बीच कोई भेद नहीं किया जाता। तथापि, वास्तव में इन कार्यक्रमों से लाभ उठाने वाले छोटे तथा सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों में से बहुत से अनुसूचित जातियों और कुछ अनुसूचित जनजातियों के लोग होंगे, यद्यपि इनके ठीक-ठीक आंकड़े रखे नहीं गये हैं। पांचवीं योजना के अंतर्गत नई छोटे किसान विकास एजेन्सी परियोजनाओं में विशेष रूप से इन वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयत्न किये जायेंगे।

पशु प्रजनन फार्मों के लिये आस्ट्रेलिया से सहायता

*84. **श्री राजदेव सिंह : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया हरियाणा के हिसार क्षेत्र में तथा आसाम के बारपेटा क्षेत्र में एक एक पशु प्रजनन फार्म खोलने हेतु भारत को सहायता देने के लिए सहमत हो गया है ;

(ख) क्या इसमें शीतानुकूलित वीर्य केन्द्र भी शामिल होगा; और

(ग) क्या नस्ल सुधार कार्यक्रम के लिए संतति परीक्षित सांडों के उत्पादन के लिए फाउंडेशन स्टाक उपलब्ध कराने के लिए जरसी और फ्रेशियन किस्म के शुद्ध नस्ल वाले पशु समुदाय बनाने हेतु ये परियोजनाएं बनाई गई हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। भारत-आस्ट्रेलिया पशु प्रजनन परियोजना, हिसार में विशुद्ध नस्ल के जर्सी और फ्रेशियन पशुओं का रखरखाव तथा भारत-आस्ट्रेलिया पशु प्रजनन परियोजना, वारपेटा में संकर प्रजनन कार्यक्रमों के लिए अच्छी किस्म के सांडों के उत्पादन के लिए केवल विशुद्ध नस्ल के जर्सी पशुओं का ही रखरखाव होगा।

मद्रास में नए विश्वविद्यालय की स्थापना करना

*87. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पांचवी पंचवर्षीय योजना में मद्रास में किसी नए विश्वविद्यालय की स्थापना करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विश्वविद्यालय का क्या नाम होगा और वह किस प्रकार का होगा और वह कब स्थापित किया जायेगा?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार नहीं है। तथापि, एक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में तमिलनाडु सरकार का एक प्रस्ताव आयोग के विचाराधीन है।

भारतीय खाद्य निगम कलकत्ता के छंटनी किए गए श्रमिकों को खपाना

*88. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आश्वासन दिया था कि भारतीय खाद्य निगम, कलकत्ता कार्यालय के छंटनी किए गए 1,000 श्रमिकों को शीघ्र ही खपाया जाएगा, और

(ख) क्या उन्हें खपाया जा चुका है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) कलकत्ता कमप्लैक्स में भारतीय खाद्य निगम की आवश्यकताओं से फालतू किराये पर ली गई भण्डारण क्षमता को छोड़ने के परिणामस्वरूप लगभग 887 विभागीय मजदूरों/कर्मचारियों को 24-8-1974 तक उनकी मजदूरी तथा अन्य छंटनी संबंधी लाभ देने के बाद निकाल दिया गया था। इनमें से कुछेक मजदूरों/कर्मचारियों को खपाने के प्रश्न के बारे में भारतीय खाद्य निगम/पश्चिमी बंगाल सरकार और संबंधित संघों के बीच बातचीत हो रही है।

कोसी परियोजना को पूरा करने में विलम्ब

***93. श्री एन० ई० होरो:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोसी परियोजना को पूरा करने के संबंध में नेपाल की ओर से कोई विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विलम्ब के कारण भारत सरकार हानि उठा रही है; और

(ग) सरकार द्वारा अब तक कितनी हानि उठाई गई है तथा इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने की दिशा में क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदारनाथ सिंह): (क) से (ग) परियोजना प्राधिकारियों को नेपाल में 15.5 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच के भाग के लिए भूमि का कब्जा न मिलने के कारण पश्चिम कोसी नहर परियोजना के निर्माण में देरी हुई है। इसके अतिरिक्त नेपाल में 15.5 किलोमीटर तक के लिए भूमि का कब्जा तो मिल चुका है परन्तु वहां किसानों ने खरीफ के दौरान धान की फसल बो रखी है तथा वे जब तक फसल नहीं काटी जाती, नहर की खुदाई नहीं करने दे रहे हैं।

नेपाल क्षेत्र में नहर के भाग का निर्माण कार्य 1975 तक तथा भारतीय क्षेत्र में 1979-80 में पूरा करने का लक्ष्य रखा था।

इस मामले को नेपाल सरकार के साथ उठाया गया है।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियां

***94. कुमारी कमला कुमारी:** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में अनधिकृत कालोनियां कौन-कौन सी हैं और इन कालोनियों में अनुमानतः कितने लोग रह रहे हैं;

(ख) इन कालोनियों के विकास के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन सभी कालोनियों को मान्यता प्रदान करने का है और यदि हां, तो कब?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) से (ग) "मान्यता रद्द कालोनी" का अर्थ उस कालोनी से होगा जिसे पहले मान्यता दी गई थी, किन्तु अब मान्यता समाप्त कर दी गई हो। दिल्ली में ऐसी कोई कालोनी नहीं है, जो इस श्रेणी के अन्तर्गत आती हो। संभवतः इस प्रश्न का संदर्भ 'अनधिकृत कालोनियों' से है जिनमें से कुछ को नियमित कर दिया गया है।

कानूनन, किसी भी भूमि को प्लाटों में नहीं बांटा जा सकता और मकान बनाने के लिए नहीं बेचा जा सकता, जब तक कि इसके विन्यास, नक्शे तथा सेवा संस्थापन के नक्शे, सक्षम अधिकरण द्वारा मंजूर न किए जाएं और इसके मालिक ने इन नक्शों के तदनुरूप भूमि का विकास न किया हो। तत्पश्चात् प्रत्येक प्लाटधारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व

अपने मकान के नक्शों को मंजूर कराये। अनधिकृत कालोनियों में कानून के इन उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया गया। कई मामलों में अनधिकृत निर्माण/कालोनियां ऐसे क्षेत्रों/भूमि में बन गई हैं जो दिल्ली के योजनाबद्ध विकासार्थ अर्जित करने के लिए अधिसूचित की गई थी, और जिसका विभिन्न चरणों में अर्जन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, कालोनियों एसे क्षेत्रों में भी बस गई हैं जिन्हें "'रिहायशी" प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया था।

इन कालोनियों के सम्बन्ध में सरकार ने समय-समय पर स्थिति का पुनरीक्षण किया है। तदनुसार, 171 कालोनियों को नियमित कर दिया गया था। अन्य 33 कालोनियों को नियमित नहीं किया गया था क्योंकि वे "हरित क्षेत्रों" अथवा ऐसे क्षेत्रों में स्थित थीं जो विन्सास के अनुरूप नहीं थे। कतिपय मामलों में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया।

सभी अनधिकृत कालोनियों, विशेषकर वे जो दिल्ली में 15-6-72 से पूर्व बनी है, के अलग-अलग मामलों का अध्ययन करने की दृष्टि से भारत सरकार ने निर्माण और आवास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है ताकि सरकार इन कालोनियों के भविष्य के बारे में निर्णय ले सके।

यह कहना ठीक नहीं है कि इन कालोनियों को बसाने के लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार है। यह समस्या, नौकरी की तलाश में लोगों के बड़ी संख्या में शहर में आने, पर्याप्त मकानों की कमी होने, भूमि में मुनाफाखोरी करने कीं दृष्टि से गैर-सरकारी लोगों में अनधिकृत सौदेबाजी करने आदि जैसे बहुत से कारणों से पैदा हुई है।

Irrigation Facilities for Rajasthan and Madhya Pradesh

***95. Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether any fresh steps are being taken by Government for providing irrigation facilities to Rajasthan and Madhya Pradesh in view of the unprecedented drought situation this year; and

(b) if so, the nature and extent of these steps ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Sh. Kedar Nath Singh) : (a) and (b) During 1974-75 an allocation of Rs. 339.40 lakhs has been made for irrigation works in Madhya Pradesh under the Drought Prone Area Programme. The Government of Rajasthan have also proposed an allocation of Rs. 77 lakhs under the same programme. The State Governments have been advised that all Drought Prone Area Programme irrigation schemes spilling over to 1974-75 should be completed on a top priority basis.

In addition, normal programme under Major, Medium and Minor Irrigation schemes is continuing for providing irrigation facilities to the two States.

नियंत्रित तथा खुले बाजार में बिकने वाली चीनी का खुदरा मूल्य और रिलीज की गई चीनी की मात्रा

*96. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री यमुनाप्रसाद मंडल :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से सितम्बर, 1974 तक प्रत्येक राज्य में प्रत्येक माह नियंत्रित (कोट) तथा खुले बाजार में बिकने वाली चीनी का मूल्य कितना-कितना रहा है; और

(ख) इस वर्ष आरम्भ से ही खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख) जनवरी से सितम्बर, 1974 के दौरान देश भर में लेवी चीनी खुदरा मूल्य 2.15 रु० प्रति किलोग्राम पर अपरिवर्तित रूप में समान रहा । उसी अवधि के दौरान देश के प्रमुख केन्द्रों पर मुक्त बिक्री की चीनी का खुदरा मूल्य बताने वाला एक विवरण (परिशिष्ट) संलग्न है । यह देखा जाएगा कि लगभग जून, 1974 तक मुक्त बिक्री की चीनी के खुदरा मूल्य काफी स्थिर रहे । उसके बाद निम्नलिखित कारणों से मूल्यों में वृद्धि हुई :—

(i) आन्तरिक खपत के लिए निर्मुक्त किए गए चीनी के कोटे में कटौती करने के कारण, जिसके परिणामस्वरूप उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिए लेवी चीनी की मात्रा में कमी करनी पड़ी और इससे मुक्त बिक्री की चीनी पर दबाव पड़ा ।

(ii) 15 दिसम्बर, 1974 से मुक्त बिक्री की चीनी के उत्पादन-शुल्क की दर को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर $37\frac{1}{2}$ प्रतिशत यथा मूल्य कर दिया गया और जून, 1974 से मुक्त बिक्री की चीनी के टैरिफ मूल्य में भी वृद्धि कर दी गई ।

(iii) 1973 की तुलना में 1974 के दौरान चीनी का बहुत अधिक निर्यात किया गया ।

(iv) अर्थ-व्यवस्था में मुद्रास्फीति की आम प्रवृत्ति ।

गन्ने से सामान्यतः प्राप्त होने वाली चीनी की मात्रा से अधिक चीनी की प्राप्ति पर प्रीमियम में वृद्धि का प्रस्ताव

*97. **श्री नरेन्द्र सिंह : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू पिराई मौसम में गन्ने से सामान्यत : प्राप्त होने वाली चीनी की मात्रा से अधिक चीनी की प्राप्ति पर प्रीमियम में वृद्धि करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत; और

(ग) उसके संबंध में चीनी उद्योगों और गन्ना उत्पादकों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) से (ग) भारत सरकार ने मौजूदा पेराई मौसम 1974-75 के लिए गन्ने का मूल्य न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत या उससे कम उपलब्धि पर 8.50 रुपये प्रति क्विंटल पर पहले ही निर्धारित कर दिया है । उपलब्धि में 8.5 प्रतिशत से प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर मूल्य में 10 पैसे अधिक देने की व्यवस्था है । पिछले दो पेराई

मौसमों के दौरान गन्ने का न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत या उससे कम उपलब्धि पर 8 रु० प्रति क्विंटल था और उपलब्धि में 8.5 प्रतिशत से प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर मूल्य में 9.4 पैसे प्रति क्विंटल अधिक देने की व्यवस्था थी और इसलिए यह अधिसूचित मूल्य पिछले मूल्य से अधिक है।

अब तक प्राप्त सूचना से पता चलता है कि उद्योग और उत्पादक इस वृद्धि से संतुष्ट नहीं हैं।

मारिंजक्नेंग विकास खंड में ऋण के वितरण की जांच

*98. **श्री बीरेन एंगती** :

श्री बी० के० दास चौधरी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री 19 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2778 के उत्तर के सम्बध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० एफ० डी० ए० योजना के अन्तर्गत खासी हिल्ज के मारिंजक्नेंग विकास खंड में ऋणों तथा अनुदानों के वितरण में बड़े पैमाने पर व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के बारे में मेघालय राज्य सरकार से रिपोर्ट मिली है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Inclusion of Education in Union List

*99. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government contemplate to include education in the Union List;

(b) if so, the time by which it would be included; and

(c) the outlines of the proposal ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Professor S. Nurul Hasan) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Financial Assistance by all India Sports Council to various States

***100. Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Educational, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the All India Sports Council gives any financial assistance to each State every year for the development of Sports in States and if so, the amount of financial assistance given to various States in 1971-72, 1972-73 and 1973-74 separately; and

(b) whether Bihar has not been given any representation in the said Council and if so, the reasons therefor ?

Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) Grants are given by the Ministry of Education and Social Welfare to the State Governments/State Sports Councils, on the recommendation of the

All India Council of Sports, for the construction of Utility Stadia, Indoor Stadia, Swimming Pools, flood-lighting of Play Grounds, holding of Coaching Camps, setting up of Rural Sports Centres etc. Details of grants given to various State Governments/State Sports Councils during 1971-72, 1972-73 and 1973-74 are given in the statement laid on the table of the Sabha.

[Placed in the Library *See* No. L.T.—8482/74]

(b) According to the Government Resolution setting up the All India Council of Sports, no representation for individual States is provided.

Wheat and Rice to Madhya Pradesh

801. Shri R. V. Bade : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the quantity of wheat and rice supplied to Madhya Pradesh by the Central Government this year month-wise; and

(b) the month-wise demand of foodgrains made by the State Government ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) No rice was demanded by or allotted to Madhya Pradesh this year. The quantities of wheat & coarse grains demanded by the State Govt. and the quantities supplied from the Central Pool are given below :

(In thousand tonnes)

Month 1974	Demand		Supplies	
	Wheat	Coarse grains	Wheat	Coarse grains
January	38.8	—	13.7	—
February	38.8	—	16.1	—
March	38.8	—	11.9	—
April	38.8	—	8.4	—
May	N.R.	N.R.	4.4	—
June	10.0	—	0.3	0.1
July	3.0	—	1.5	0.8
August	3.0	—	2.3	0.4
September	3.0	—	2.3	0.6
October	25.0	10.0	14.6	0.1
November	25.0	10.0	*12.0	—

(*Allotment)/N.R.—Not received.

दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग के दक्षिणी जोन के अधीन आयोजित बैठक में जैन मुनि का भाषण

802. **श्री सरजू पांडे :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग ने ग्रीन पार्क जोनल कार्यालय में 19 सितम्बर, 1974 को दक्षिणी जोन के अध्यापकों तथा मुख्याध्यापकों के सामने जैन मुनि को भाषण देने के लिये आमंत्रित किया था;

(ख) क्या भाषण के दौरान जैन मुनि ने लालफीताशाही और लाइसेंस घोटाले तथा सदन में लगाये गये आरोपों का सरकार द्वारा उत्तर देने की असफलता की चर्चा की थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित बैठकों में इस प्रकार की चर्चा करना उचित है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया था ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब को उर्वरकों का आवंटन

803. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं के बारे में उर्वरक की सप्लाई की समस्या का सामना कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में पंजाब को कितने उर्वरक का आवंटन किया गया है ; और

(ग) क्या उक्त राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह पर्याप्त है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) समग्र उपलब्धि की कठिन स्थिति होने के बाबजूद भी पंजाब की मांग को पूरा करने के लिए हर सम्भव प्रयास किये गये हैं । रवी 74-75 (अगस्त, 1974-जनवरी, 1975) के लिए एन० की स्वीकृत निबल मांग 1,98,000 मीटरी टन, पी०$_2$ ओ०$_5$ की 72,500 मीटरी टन और के०2 ओ० की 20,000 मीटरी टन थी । इसकी तुलना में राज्य को वस्तुत : 1,67,200 मीटरी टन एन०, 50,750 मीटरी टन पी०$_2$ ओ०$_5$ और 20,000 मीटरी टन के०2 ओ० का आवंटन किया गया है ।

(ग) यह आवंटन राज्य की मांग से कुछ कम है, जो अपरिहार्य है ।

कृषि विकास के लिये गुजरात को वित्तीय सहायता

804. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1972-73 और 1973-74 में कृषि विकास योजनाओं के लिये गुजरात राज्य को कोई वित्तीय सहायता दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

महाराष्ट्र को घटिया बीजों की सप्लाई

805. **श्री वसन्त साठे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा महाराष्ट्र के काश्तकारों को सप्लाई किये गये बीज घटिया किस्म के पाये गये हैं जिसके कारण फसलों को भारी हानि हुई है :

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार के साथ यह मामला उठाया है : और

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा प्रभावशाली किस्म नियन्त्रण सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं या करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम ने महाराष्ट्र के किसानों को घटिया किस्म के बीज सप्लाई नहीं किए हैं ।

(ख) भारत सरकार को महाराष्ट्र सरकार से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम गुण नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर रही है । बीजों के लिए उगाई जाने वाली फसलों का निगम के निरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है और बीज सप्लाई करने से पहले प्रयोगशाला में उनके अंकुरण, शुद्धता आदि का परीक्षण किया जाता है ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिला नियमों का कथित उल्लंघन

806. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा दाखिला नियमों का गम्भीर उल्लंघन किया गया है ;

(ख) क्या दाखिले और छात्रवृत्ति के मामले में भी राजनैतिक प्रभुत्व का बोलबाला रहता है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, दाखिले अथवा छात्रवृत्तियां प्रदान करने के मामले में न तो नियमों का उल्लंधन हुआ है और न ही किसी प्रकार का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है ।

दाखिला चाहने वाले उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता के साथ-साथ जिन पहलुओं पर महत्व दिया जाता है तथा जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुकूल हैं, वे निम्नलिखित हैं :—

(1) आर्थिक पिछड़ापन

(2) सामाजिक पिछड़ापन

(3) क्षेत्रीय पिछड़ापन

छात्रों को उनके समग्र गुणावगुणों के आधार पर तथा नियमों के अनुसार ही छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आर्थिक दृष्टि से निर्बल वर्ग और कम आय वाले ग्रुपों को आवास और नगरीय विकास निगम द्वारा सहायता

807. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और नगरीय विकास निगम लिमिटेड समाज के आर्थिक दृष्टि से निर्बल वर्ग और कम आय वाले ग्रुपों को सहायता देने में कहां तक सफल रहा है ; और

(ख) उक्त संगठन द्वारा दी गई रियायत का कितने लोगों ने लाभ उठाया है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) आवास तथा नगर विकास निगम लि० ने अपने प्रभाव कार्य करने के पिछले 3 वर्षों के दौरान, लगभग 106.25 करोड़ रुपये की लागत की योजनाएं मंजूर की हैं । मंजूर की गई योजनाओं में से, 3,000 मकानों/फ्लैटों का निर्माण हो चुका है, जिनमें से 2,300 मकान आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के लिए हैं । लगभग 18,500 मकान/फ्लैट निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 15,700 मकान इन वर्गों के लिए हैं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा धनराशि का उचित उपयोग

808. **श्री एन० आर० वेकारिया** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष आवंटित बजट की पूरी धनराशि व्यय करने में असमर्थ रहा है और वह बहुत सी धनराशि का उपयोग नहीं कर पाता; और

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को बजट तैयार करने के लिए और वर्ष के दौरान केवल उन्हीं कार्यों के लिये प्रावधानों जिनके पूरा होने की सम्भावना है का उपबन्ध करने के लिये उचित वित्तीय अनुशासन से काम लेने के निदेश दियें जायेंगे ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण आय तथा व्यय की अपनी योजना बनाता है। यह योजना 1973-74 के दौरान सीमेंट की अत्यन्त कमी तथा सप्लाई की अनिश्चितता और प्रत्याशित ऋण के उपलब्ध न होने के कारण अस्त-व्यस्त हो गई थी । तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने झुग्गी-झोंपडी उन्मूलन योजना के लिए सरकार द्वारा आवंटित विधियों का उपयोग कर लिया था ।

(ख) सीमेंट, कोयले की कमी, धन के उपलब्ध न होने तथा वाणिज्यिक भवनों के निर्माण पर रोक को देखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण अपनी वजट सम्बन्धी स्थिति का पुनरीक्षण कर रहा है।

उर्वरकों का प्रयोग करने सम्बन्धी नई योजना

809. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने मितव्ययता और कार्यकुशलता के लिये यनिट-वार उर्वरको का प्रयोग करने सम्बन्धी नई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इस नई योजना की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) उर्वरको के प्रयोग की नई योजना से रबी की फसल को कहां तक लाभ होने की आशा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खान) : (क) जी हां ।

(ख) गेहूं, जौ, चना, और सरसों जैसी रबी की फसलों का एक बहुत बड़ा भाग बारानी स्थितियों के अन्तर्गत उगाया जाता है । आम तौर पर, बुआई के समय मिट्टी में काफी नमी रहती है, लेकिन कुछ समय बाद कम हो जाती है। देश के बहुत से भागों में अक्तूबर के पहले पखवाड़े में वर्षा हुई थी और ऐसा सोचा गया था कि बुआई के समय मिट्टी में की कम से कम मात्रा में उर्वरक देकर इस वर्षा का लाभ उठाया जाएगा और बाद में नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ने पर, खड़ी फसल में नाइट्रोजन छिड़क कर उसकी पूर्ति की जा सकेगी ।

उर्वरक देने के कारगर तरीके का विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया है। एक साथ बीज और उर्वरक डालने वाली सीड-ड्रिल की मदद से बुआई के समय सभी उर्वरकों (नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश) को बीज के नीचे देने का तरीका सबसे अधिक कारगार पाया गया और सामान्य प्रयोग के लिए इसकी सिफारिश की गई है । पर अभी तक ऐसी सीड ड्रिले (एक साथ बीज और उर्वरक डालने वाली) किसानों में अधिक प्रचलित नहीं हैं । इसलिये, जहां एक साथ बीज और उर्वरक डालने वाली ड्रिले उपलब्ध नहीं है, वहां 'पोरा' विधि से मिट्टी में उर्वरक देने का तरीका सबसे अच्छा है। साथ ही हल के पीछे कूंड़ में हाथ से बीज बोया जाता है ।

जहां उर्वरक देने के उपरोक्त दोनों तरीकों में से किसी को भी अपनाना असम्भव न हो, वहां खेत तैयार करने के लिए अन्तिम जुताई करते समय खुले कूंडो में उर्वरक डाल दिया जाता है और बीज स्थानीय विधि से बो दिया जाता है ।

जहां मिट्टी में मौजूद पोटाश की मात्रा कम हो, वहां गेहूं और जौ की फसलों में 20 से 25 किलो ग्राम पोटाश फी हेक्टर की दर से मूल खाद के रूप में दी जा सकती है ।

उत्तरी गंगा-सिन्धु के मैदान की कुछ जलोढ़ मिट्टयों में उपलब्ध जिंक (जस्ता) की मात्रा में कमी पायी गयी है जिनमें उगायी गयी गेहूं और जौ की फसलों में जिंक (जस्ता) की कमी के लक्षण दिखाई पड़ते है और इसके फलस्वरुप फसल की उपज कम होती है । ऐसे क्षेत्रों में, अन्य उर्वरकों के साथ मूल खाद के रूप में 10 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट फी हेक्टर की दर से दिया जा सकता है और इस प्रकार यह एक रोगरोधी उपाय के रूप में भी आशाजनक सावित हो सकता है ।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा सुझायी गयी उर्वरक प्रयोग की नयी योजना से रबी की फसलों के लिए उपलब्ध उर्वरक का अत्यधिक कारगर ढंग से उपयोग करने में मदद मिलेगी ।

तीस्ता बाद संबंधी मानसिंह समिति का प्रतिवेदन

810. **श्री देवेन्द्र नाथ महाता :**

श्री लुतफल हक :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीस्ता बाढ़ संबन्धी मानसिंह समिति के प्रतिवेदन के बारे में आज तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) समिति बनाने और प्रतिवेदन तैयार करने पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अकेदार नाथ सिंह) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित मानसिंह समिति (पश्चिम बंगाल बांढ़ जांच समिति, 1959) ने अपनी रिपोट में तीस्ता की बाढ़ों की समस्या पर विचार नहीं किया था और नहीं समिति के कार्यों में तेस्ता को सम्मिलित किया गया था ।

भारतीय खाद्य निगम में खजान्ची द्वारा दुर्विनियोजन

811. **श्री रामचन्द्रन कड़नापल्ली** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारतीय खाद्य निगम के एक खजान्ची के लेखों में गड़बड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई है , और

(ग) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी. शिन्दे) : (क) से (ग) :जी हां बंगलौर पुलिस द्वारा कोषाध्यक्ष के विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है । पुलिस और जांच कर रही है ।

भारत के खाद्यान्न के आयात के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन का अनुमान

812. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन ने भारत की खाद्यान्न की आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं का कोई अनुमान लगाया है,

(ख) यदि हां, तो उनका अनुमान क्या है,

(ग) सरकार के अपने अनुमान से यह कितना न्यूनाधिक है, और

(घ) सरकार का इस आवश्यकता को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : खाद्यान्न संबंधी खाद्य तथा कृषि संगठन के अन्तर सरकारी ग्रुप के 18 वें अधिवेशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुसार ,भारत की आयात संबंधी आवश्यकताओं का जो अनुमान लगाया गया है वह गेहूं के मामले में 30 लाख से 50 लाख मीटरी टन तक है तथा मोटे अनाजों के बारे में 8 लाख से 10 लाख मीटरी टन तक है ।

(ग) और (घ) : भारत सरकार विदेशों से जितनी मात्रा में खाद्यानों के आयात करने तथा खरीदने की आवश्यकता समझती है, उससे संबंधित स्थिति की निरंतर समीक्षा करती है ।

डिबरुगढ़ (आसाम) में कथित कटाव

813. **श्री नरुल हुडा** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान डिबरुगढ़ (आसाम) में कथित कटाव की ओर दिलाया गया है जिस से डिबरुगढ़ में अनेक चाय बागान और आसाम मेडिकल कालेज को खतरा हो गया है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने माजुलि को, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीतटीय द्वीप और प्रचीन संस्कृति का केन्द्र है, रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) जी हां राज्य सरकार ने, जिसें यह मामला निर्दिष्ट किया गया था, सूचना दी है कि और कटाव को रोकने के लिए सभी संभव उपाय किए गय थे तथा स्थिति नियंत्रण में है ।

(ख) बाढ़ सुरक्षा कार्यो के आयोजन तथा कार्यान्वयन का कार्य राज्य सरकार का है, जिसे मजूली प्रायद्वीय को कथित बाढ़ तथा कटाव समस्या का मामला निर्दिष्ट कर दिया गया है ।

Effect of D.D.T. on Agriculture

814. Shri Shrikrishan Agarwal : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the quantity of D.D.T. made available for agricultural purposes in the country;

(b) whether many scientists of the world are of the view that excessive use of D.D.T. in agricultural is harmful for health;

(c) whether the scientists have warned the developing countries, particularly India, for its excessive use in agriculture; and

(d) if so, the percentage of its use in agriculture and the reaction of the Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) In 1973-74, about 3,000 metric tonnes of technical grade DDT was made available for agricultural purposes.

(b) & (c) : Conflicting views on the hazards to human health because of excessive use of DDT in agriculture have been expressed by scientists based on circumstantial evidence of the effect on other forms of life, including birds. Scientists in the field of ecology and wild life conservation have warned about the continuous accummulation of DDT in the environment and in certain forms of birds through food which produces carcinogenic effect. However, there is yet no well substantiated evidence of the effects on human health.

(d) The present level of consumption of pesticides in India is very low. The consumption of all pesticides annually is only about 35,000 to 40,000 tonnes. Of this quantity, DDT accounts for only 8%. DDT is relatively inexpensive and a broad spectrum pesticides and is, therefore, sidely adopted by the farmers. Considering that the benefit-risk ratio is in favour of DDT it has been decided to continue the use of this chemical both in public health and agricultural programmes.

सेक्टर 'डी' गोल मार्कीट, नई दिल्ली के टाइप II के क्वाटेरों में 'पावर' पाइन्टों का लगाया जाना

815. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली के गोल मार्केट के सेक्टर 'डी' (टाइप II) क्वार्टरों के निवासियों से अपने क्वार्टरों में 'पावर-पाइन्टों' की स्थापना सम्बन्धी आवेदन-पत्र लम्बी अवधि से प्राधिकारियों के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो इन आवेदन -पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है, जबकि सम्बन्ध व्यक्ति स्वीकृत सीमा से अधिक व्यय वहन करने के लिए तैयार है?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां। (ख) वित्तीय कठिनाई तथा प्रतिबंध के कारण, कार्य को इस समय आरम्भ करना सम्भव नहीं है ।

फार्म-वन तथा प्लाई लकड़ी को खेती

816. **श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या कृषि और सिचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वन विज्ञान विकास के अधीन फार्म-वन तथा प्लाई लकड़ी की खेती संबंधी योजना का ब्योरा क्या है :

(ख) पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों ने उक्त योजना को राज्य -वार क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है, और

(ग) उक्त योजना के लिए वर्षवार और राज्यवार कुल कितनी धनराशि मंजूरी की गई तथा अब तक इससे क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) देश में इंधन की लकडी की भारी कमी को पूरा करने के लिए परती भूमि तथा अन्य सीमान्त भूमि में इंधन लकड़ी की किस्में लगाने के लिए फार्म वानी की तथा इंधन की लकड़ी के रोपण (प्लाई लकड़ी के रोपण को नहीं) की एक योजना राज्य क्षेत्र में तीसरी पंच वर्षीय योजना में शामिल की गई थी । यह भी विचार था कि इस योजना से किसानों के हलों आदि के लिए काम आने वाली छोटी लकड़ी की जरूरत भी पूरी हो सकेगी। तीसरी योजना के दौरान 3.63 करोड रु० का एक परिव्यय निर्धारित किया गया था जिसमें से 1.10 करोड रु० की रकम खर्च की जा चुकी है। 1966--69 के दौरान 1.52 करोड़ रु. खर्च किए गये थे। चौथी योजना वधि के दौरान राज्य क्षेत्र में 4.40 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी। पांचवीं योजना के दौरात योजना आयोग ने राज्य क्षेत्र में 1200 करोड रु० की और केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र में 18.00 करोड रु० की अस्थायी रूप से व्यवस्था करने की सिफारिश की है ।

(ख) तथा (ग) संलग्न विवरण में तीसरी योजनावधि तथा 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 के दौरान पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा कार्यन्वित हुए कार्यों तथा उन पर किए गए खर्च के संबंध में जानकारी दी गई है ।

चौथी पंच वर्षीय योजना के संबंध में राज्यों/संघ शासित राज्यों से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रखा दी जाएगी ।

विवरण

फार्म वाली को तथा इंधन की लकडी के पेंडों को रोपाई

(रु० लाखों में)

राज्य/सघ शासित राज्यों के नाम	किया गया खर्च				
	तीसरी पंच-वर्षीय योजना 61–66	1966–67	1967–68	1968–69	कुल (1961–69)
असम	—	—	—	—	—
विहार	—	3.45	1.25	3.94	8.64

1	2	3	4	5	6
मनीपुर	—	—	—	—	—
मेघालय	असम के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया				
नागालैंड	—	0.44	0.23	0.52	1.19
उड़ीसा	—	1.72	1.33	1.21	4.26
त्रिपुरा	2.42	0.07	0.26	1.12	3.87
प० बंगाल	—	—	—	0.38	0.38
अरुणाचल प्रदेश	2.87	0.88	0.58	0.81	5.14
मीजोरम	असम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया				
योग	5.29	6.56	3.65	7.98	23.48

चीनी कारखानों के लिये ईरान से ऋण

817. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री गजाधर मांझी :
श्री एम० एस० पुरती :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान हमारे बड़े चीनी कारखानों के लिये 200 करोड़ रुपये का ऋण देने के लिये सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त ऋण की शर्तें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सहायता प्रदान के लिए ईरान से चीनी उद्योग के बारे में भी सुझाव दिया गया था, लेकिन इस संबंध में ईरान की प्रतिक्रिया का अभी पता नहीं चला है ।

राजस्थान में सिंचाई परियोजना

818. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे खेतिहरों और किसानों की सहायता करने के लिए राजस्थान राज्य में सिंचाई परियोजना की कोई व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त व्यवस्था से राजस्थान राज्य के किन कस्बों और जिलों को लाभ पहुंचेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) से (ग) छोटे किसानों के लिए प्रारंभ किए गए लघु सिंचाई कार्यक्रम ये हैं :—

(i) लघु कृषक विकास अभिकरण (एस०एफ० डी० ए०) और

(ii) उपातिक कृषक और कृषि श्रमिक अभिकरण (एम०एफ० ए० एल०) इन स्कीमों के अन्तर्गत विभिन्न सैक्टरों के लिए कोई पृथक योजनावार प्रावधान नहीं है।

इन स्कीमों के अन्तर्गत राजस्थान के विभिन्न जिलों में 1974-75 वर्ष के लिए निम्नलिखित राशियों का प्रावधान किया गया है :—

जिला	कार्यक्रम	धनराशि (लाख रुपयों में)
1. अलवर	एस०एफ०डी०ए०	6
2. भरतपुर	—वही—	40
3. उदयपुर	—वही—	17
4. अजमेर	एम०एफ०ए०एल०	4.5
5. भीलवाड़ा	—वही—	9.5

उपर्युक्त के अतिरिक्त, बृहत्, मध्यम और लघु सिंचाई कार्यों के सामान्य कार्यक्रम से भी छोटे किसानों को लाभ प्राप्त होंगे ।

चना बोने की प्रवृत्ति

819. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के किसानों ने गेंहू की बुआई को बन्द करने और चना बोने की धमकी दी है, जो अधिक लाभप्रद है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) रबी 1974-75 के दौरान पंजाब तथा अन्य विभिन्न राज्यों में गेहूं तथा चना की बुआई के क्षेत्र के पक्के अनुमान जुलाई-अगस्त, 1975 में उपलब्ध होंगे । परन्तु, 1973–74 के सिवाय, जबकि गेहूं की कम क्षेत्र में बुवाई हुई थी, हाल के वर्षों में पंजाब में गेहूं की बुवाई के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है । इसके विपरीत, राज्य में चना की बुवाई के क्षेत्र में काफी कमी हुई है, लेकिन वर्ष 1973-74 में चना की कुछ अधिक क्षेत्र में बुवाई हुई थी । वर्ष 1973-74 के दौरान पर्याप्त वर्षा न होने तथा फसल की बुवाई के समय बिजली की कमी रहने के कारण पंजाब में गेहूं की बुवाई के क्षेत्र में थोड़ी कमी हुई है । इस वर्ष बिजली की सप्लाई बढ़ाने तथा नलकूप/पम्पसेटों के लिए डीजल की सप्लाई बढ़ाने के लिये कदम उठाये जा रहे है।

परिवहन आदि में फल और सब्जियां खराब हो जाना

820. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस समय पैदा होने वाले 20 प्रतिशत फल और सब्जियां परिवहन भंडार और परिष्करण की सुविधाओं की कमी के कारण खराब हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो उनको खराब होने से बचाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) यद्यपि एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने तथा संग्रह करने के कार्य की विभिन्न अवस्थाओं में फलों तथा सब्जियों की कुछ मात्रा खराब हो जाती है, तथापि, इस प्रकार की हानियों की मात्रा का कोई ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ख) इनकी खराब होने वाली मात्रा में कमी करने के लिये किये गए कुछ उपाय ये हैं--क्रय-विक्रय की सुविधायें व प्रोसेसिंग सेवायें विकसित करना, शीत भण्डारों की स्थापना करना, खराब हो जाने वाले पदार्थों के संचय के बाद के उपचार के बारे में अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ करना, जिससे कि वे अधिक समय तक खराब न हों।

महात्मा गांधी की समाधि पर नहर का पूरा किया जाना

821. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी की समाधि को सुन्दर बनाने के लिये वर्ष 1962 में निर्माणार्थ मंजूर की गई नहर अब तक पड़ी है और उसमें खड़े गन्दे पानी में मच्छर पैदा होते रहते हैं; और

(ख) यदि हां, उक्त कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं; नहरें तथा लैगूनों का निर्माण हो चुका है तथा ये समाधि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Land Allotted to Akhil Bharatiya Netra Sudhar Sangh, Lajpat Nagar, New Delhi.

822. **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the land allotted to the Akhil Bharatiya Netra Sudhar Sangh, 2F, Lajpat Nagar, New Delhi, for building a hospital had been handed over to the Government by it on the 26th April, 1969;

(b) whether some persons have illegal occupation on the above land and the Government have allotted it to Dr. Bhagwan Das Smarak Trust (Dr. Bhagwan Das Memorial Trust); and

(c) if so, the reasons for which Government have reallotted this land when they held the view that the use of this land for building residential, houses, oil and iron godowns washing factory, schools, dairies, canteens and such other purposes was illegal ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri Mohan Dharia) : (a) The All India Blind Relief Society surrendered to the lessor the lease-hold rights in the land including all the appurtenances thereto by executing a Surrender Deed on 26th April, 1969.

(b) Some portions of the premises are in unauthorised occupation. The land has not been allotted to Dr. Bhagwan Das Smarak Trust (Dr. Bhagwan Das Memorial Trust).

(c) Does not arise.

Groundnuts Development in Tawa Command Area

824. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) Whether the Government of Madhya Pradesh has sent to the Government a pilot scheme for the development of groundnut in the Tawa Command Area; and

(b) if so, Government's reaction thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

Facilities to Sugar Mills to increase Sugarcane production

825. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state the steps being taken by Government to provide facilities such as water, manure and road construction in order to increase sugarcane production ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriulture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : The major sugarcane growing states have in operation sugarcane Development Scheme with-a view to augmenting the production of sugarcane. These schemes lay emphasis on (i) raising of seed nurseries, (ii) distribution of improved seed cane, (iii) distribution of fertilizers, (iv) demonstrations, (v) plant protection measures, (vi) construction of roads around sugar factories and (vii) augmenting irrigation potential in factory areas etc.

With a view to supplementing these efforts, it is proposed to launch a Centrally Sponsored Scheme on Sugarcane Development during the Fifth Plan period around existing sugar factory areas in the country. The main components of the scheme are —

(i) healthy seed cane production; and distribution for commercial cultivation;

(ii) demonstration of improved practices for plan and ration cane;

(iii) training of cane development workers at State level;

(iv) Plant protection manures;

(v) construction of link roads around the factories; and

(vi) provision of technical staff for successful implementation of the scheme.

Unauthorised Construction in Delhi

826. **Shri B.S. Chowhan** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether unauthorised constructions on large scale have come up in Delhi by 1974;

(b) if so, the factors responsible for this and since when these have been going on; and

(c) the action taken by Government to check such construction and the number of those officers or employees punished in whose areas and terms of office such construction have come up ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri Mohan Dharia): (a) Yes, Sir.

(b) It is mainly due to influx of people from outside to Delhi and natural growth of population in Delhi.

(c) The Municipal Corporation of Delhi takes action against unauthorised constructions on the areas under its jurisdiction Suitable action is taken by the Municipal Corporation of Delhi against its employees/officials for failure to take action against unauthorised constructions.

The D.D.A. is also taking action to stop unauthorised constructions on the areas under its jurisdiction.

खाद्यान्नों की वसूली का लक्ष्य पूरा करने के कार्य को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुरोध

827. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या है जहां चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों की वसूली निर्धारित लक्ष्य से कम हुई है तथा उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिये कहा है कि वसूली लक्ष्यों को हर हालत में पूरा किया जाना चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) रबी मौसम 1974-75 के दौरान, निजी व्यापारियों को कारोबार करने की इजाजत दी गई थी और परिकल्पित व्यवस्था में गेहूं की अधिप्राप्ति के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं समझा गया था। खरीफ विपणन मौसम केवल पहली नवम्बर, 1974 से ही शुरू हुआ है और भारत सरकार अधिप्राप्ति लक्ष्य के निर्धारित किए जाने संबंधी प्रश्न पर सक्रियता से विचार कर रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल में "स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को सहायता-अनुदान"

828. **श्री एन० श्री कान्तन नायर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओनम त्योहार को मनाने के सिलसिले में किये गये व्यय की पूर्ति की लिए "स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को सहायता अनुदान" की योजना के अधीन अनुदान देने के लिये केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) कितनी सहायता राशि के लिये मांग की गई है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

खेती में पूंजी नियोजन

829. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 72-73, 73-74 के दौरान प्रति एकड़ गेहूँ तथा गन्ने की खेती में कितना वास्तविक व्यय किया गया अथवा पूंजी लगाई गई ; और

(ख) उन वर्षों में कुल उत्पादन कितना हुआ था ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) भारत में प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने के लिये इस मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ की गई व्यापक योजना के अन्तर्गत, 1971-72 से 1973-74 तक की अवधि में अनेक उत्पादक राज्यों में गेहूं की खेती की लागत के आंकड़े एकत्रित किये गये हैं । इन आंकड़ों की विभिन्न चरणों में छानबीन, संकलन, परिसंस्करण और विश्लेषण आदि करने का कार्य हो रहा है । हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 1971-72 के लिए और पंजाब में 1971-72 और 1972-73 के वर्षों के लिये गेहूं की प्रति हैक्टार खेती की लागत के अनुमान तैयार किये गए हैं । ये अनुमान संलग्न विवरण में दिये गये हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–8483/74]** गन्ने के संबंध में, वर्ष 1973-74 के लिए महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश में वृहत योजना के अन्तर्गत आंकड़े एकत्रित किये गये हैं । इन आंकड़ों की छानबीन और संकलन का कार्य किया जा रहा है ।

(ख) वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 के लिये गेहूँ और गन्ने के कुल उत्पादन के अनुमान संलग्न विवरण–2 में दे दिये गये हैं । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–8483/74]**

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लेट अलाट किया जाना

830. **श्री पन्ना लाल बारूपाल :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर-दिसम्बर, 1974 और जनवरी-मार्च, 1975 में, अलग-अलग निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग योजनाओं के अधीन पंजीकृत व्यक्तियों को डी० डी० ए० के कितने फ्लैट, कालोनी-वार और मंजिल-वार दिये जाने का विचार है ;

(ख) अप्रैल-दिसम्बर, 1975 की अवधि में कालोनी-वार और मंजिल-वार कितने फ्लैट आबंटित करने का विचार है और किन तारीखों को आबंटन प्रस्ताव भेजे जायेंगे ; और

(ग) सभी वर्तमान पंजीकृत व्यक्तियों को अनुमानतः कब तक फ्लैट आबंटित कर दिये जायेंगे ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) उल्लिखित अवधियों के दौरान उपलब्ध होने वाले फ्लैटों के बारे में सूचना अनुलग्नक में दी गई है ।

(ग) यह बताना सम्भव नहीं है कि इस समय पंजीकृत सभी व्यक्तियों को सम्भवतः कब तक फ्लैटों का आबंटन किया जायेगा ।

विवरण

स्थान	अवधि	उपलब्ध होने वाले फ्लैटों की संख्या
1	2	3
I. माध्यम आय वर्ग		
1. राजौरी गार्डन .	नवम्बर-दिसम्बर, 74	60 (3 मंजिले)
2. मालवीय नगर .	–वही–	12 (4 मंजिले)
3. पंखा रोड .	–वही–	150 (3 मंजिले)
4. पंखा रोड . .	जनवरी-मार्च, 1975	348 (3 मंजिले)
5. ईस्ट आफ कैलाश . .	–वही–	82 (4 मंजिले)
6. मुनीरका . . .	–वही–	200 (3 तथा 4 मंजिले)
7. मुनीरका . . .	अप्रैल-दिसम्बर, 75	100 (3 तथा 4 मंजिले)
8. प्रशाद नगर . . .	–वही–	300 (4 मंजिले)
9. शेख सराय (सेवा निवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये योजना)	–वही–	138 (3 मंजिले)
10. कटवाड़िया सराय (सेवा निवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये योजना)	–वही–	66 (2 मंजिले)
11. वज़ीरपुर . . .	–वही–	300 (3 मंजिले)
12. राजौरी गार्डन . .	–वही–	294 (वही)
II. निम्न आय वर्ग		
13. पंखा रोड .	नवम्बर-दिसम्बर, 74	85 (2 मंजिले)
14. लारेन्स रोड . . .	–वही–	50 (2 तथा 3 मंजिले)
15. सनलाईट कालोनी . . .	–वही–	16 (2 मंजिले)
16. राजौरी गार्डन . .	–वही–	7 (2 मंजिले)
17. कालकाजी . . .	जनवरी-मार्च 1975	600 (2 मंजिले)
18. प्रशाद नगर . . .	–वही–	231 (3 मंजिले)
19. राजौरी गार्डन . . .	–वही–	150 (2 मंजिले)
20. रेगड़पुरा .	–वही–	14 (2 मंजिले)

1	2	3
21. जी० 8 क्षेत्र (सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना)	जनवरी-मार्च 1075	149 (2 मंजिले)
22. कालकाजी . . .	अप्रैल-दिसम्बर, 75	426 (2 मंजिले)
23. शेख सराय (सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये योजना)	–वही–	88 (2 मंजिले)
24. वज़ीरपुर . . .	–वही–	719 (3 मंजिले)

दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग के कार्यों की जांच करने की मांग

331. **श्री झारखण्डे राय :**

श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी स्कूल अध्यापक एसोसिएशन, दिल्ली ने दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग के कार्यों की जांच करने की मांग की है ;

(ख) क्या उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्ञापन दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(घ) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार मांगें निम्नलिखितों के संबंध में थीं :—

(1) स्कूल-समय में संशोधन।

(2) उत्तर-स्नातक अध्यापक के पद के लिये भर्ती नियमों में परिवर्तन।

(3) प्रिंसिपल के पद पर चयन के लिये उत्तर-स्नातक अध्यापको को पात्र न करना।

(4) उप-प्रिंसिपल के पद पर अध्यापको को पदोन्नति न देना।

(5) पदों के नियतन में विलम्ब।

(6) प्रिंसिपलों और अध्यापकों के स्थानान्तरण की नीति को बनाने तथा कार्यान्वियन करने में असफलता।

(7) सेलेक्शन ग्रेड प्रदान करने में असमानताएं।

(8) स्थायीकरण, पदोन्नति, वरीयता, नियमन इत्यादि के बारे में नीति।

(घ)

(1) स्कूल-समय में संशोधन कर दिया गया है ।

(2) उत्तर-स्नातक अध्यापकों के लिये भर्ती नियमों के संशोधन पर प्रशासन विचार कर रहा है।

(3) प्रिंसिपलों के लिये भर्ती नियमों में संशोधन प्रशासन के विचाराधीन हैं।

(4) उप-प्रिंसिपलों के पदों पर अध्यापकों की पदोन्नति करने पर कोई रोक नहीं है ।

(5) पद-नियतन की प्रक्रिया को तेज करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं जिससे कि विलम्ब न हो।

(6) स्थानान्तरण के लिये मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार कर ली गईं हैं तथा उनका पालन करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।

(7) सेलेक्शन ग्रेड प्रदान करने में किसी प्रकार की असमानता का कोई विशिष्ट उदाहरण देखने में नहीं आया है । जब भी किसी मामले की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जायेगा, तो उस मामले की जांच की जायेगी।

(8) वरीयता, स्थायीकरण, पदोन्नति तथा नियमन संबधी सभी मामलों का सावधानीपूर्वक निपटान किया जा रहा है।

अमरीका के समाचार पत्रों द्वारा भारत में खाद्य संकट की खबरें बढ़ा कर प्रकाशित करना

832. **श्री माधुर्य हालदार :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके ध्यान में यह बात आई है कि अमरीका के समाचार पत्र भारत में खाद्य संकट की खबरें बढ़ा-चढ़ा कर प्रकाशित कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां तो इन खबरों को कहां तक बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया जा रहा है तथा वे किस प्रकार की हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारत में कठिन खाद्य स्थिति के बारे में हाल ही में अमेरिकन और विश्व के अन्य समाचार पत्रों में जो समाचार प्रकाशित हुए हैं वे बहुत बढ़ा-चढ़ा कर दिए गए हैं । कुछेक ने इस बात का उल्लेख किया है भारत में मानसून के असफल रहने से यह स्थिति पैदा हुई है जिससे खाद्यान्नों की कमी हो गई है और इसके परिणाम-स्वरूप विपदा पैदा हो गई है ।

इन समाचारों का यथा-सम्भव खंडन किया गया है और सही स्थिति पेश की गई है । भारत सरकार खाद्य स्थिति की बराबर समीक्षा करती है ।

Exchange of goodwill missions with various countries

833. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the names of the countries with which India maintains cultural exchange arrangements; and

(b) the names of the countries with which goodwill missions were exchanged during the last three years?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) and (b) A statement is attached.

[Placed in the Library. See No. L.T.—8484/74]

Indian Scholars sent on goodwill visits and lecture tours abroad during 1973-74

834. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the names of the Indian Scholars, writers, artists and politicians sent abroad on goodwill visits and lecture tours during 1973-74 indicating the names of the countries to which they were sent and the purpose of their visits as also the total expenditure incurred on them?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P Yadav) : (a) A statement is laid on the Table of the House indicating the requisite information regarding Indian-scholars, writers and artists sent abroad during 1973-74 under the various Cultural Exchange/Cultural Activities Programmes of the Department of Culture. [Placed in the Library. See No. L.T.—8485/74] This does not include names of persons who might have been sent abroad by other Ministries and State Governments or organisations controlled by such Ministries and Governments.

The total expenditure incurred on these delegations is Rs. 3,04,864/-.

पश्चिमी यूरोप से कम्बाइनों का आयात

835. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल काटने और साफ करने के लिए पूर्वी जर्मनी से आयात किये गए विशाल कम्बाईन पश्चिमी यूरोप के देशों में उपलब्ध उसी आकार और मूल्य के कम्बाईनों से कम कार्यक्षम हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसको पूर्वी जर्मनी से खरीदने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो दोनों की कार्यक्षमता तथा लागत के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) ये मशीनें संतोषजनक काम करती रही हैं और इनकी अन्य कम्बाइनों से भली भांति तुलना की जा सकती हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) उपलब्ध आंकड़ों के बारे में एक तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है ।

देश जहां से आयात की गई	ई–512	जौन डीयर 630
	पूर्वी जर्मनी	पश्चिम जर्मनी
अश्व शक्ति (मैनूफेक्चरस रेटिंग)	105 (डी आई एन)	*98 (नेट)
गेहूं तथा धान की कटाई के लिये एकड़ में औसत वार्षिक उत्पादन (जैसा कि एक प्रमुख प्रयोगकर्त्ता ने सूचित किया है)	1000 एकड़	900 एकड़

कटर बार साइज	14 फुट	$12\frac{1}{2}$ फुट
लागत बीमा भाड़े सहित मूल्य	90,516 रु० (1972) 92,516 रु० (1973)	डी० एम० 46, 624 लागत तथा भाड़ा (1972) (लगभग 1,16,000-2049 रु० के हिसाब से)

*जौन डीयर साहित्य के अनुसार ।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कब्जे में लिये गये भवनों के किराये का भुगतान

837. **डा० रानेन सेन :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल में अपने कबजे में लिये गये भवनों का नगरपालिका कर, पश्चिमी बंगाल सरकार की अपेक्षा कम अदा करती है और कलकत्ता निगम द्वारा बार-बार किये गये अनुरोध के बावजूद केन्द्रीय सरकार ने निर्धारित कर अदा करने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रश्न पर पुनः विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्यान्न को वसूली और उसके वितरण संबंधी नीति का मूल्य वृद्धि पर प्रभाव

838. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रिजर्व बैंक आफ इंडिया के प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि वर्ष 1973-74 में औसत उत्पादन गत दो वर्षों की तुलना में अधिक था परन्तु फिर भी यह मूल्यों में वृद्धि को कम नहीं कर सका है क्योंकि काफी हद तक इसका कारण खाद्य वस्तुओं की वसूली और उनके वितरण में सरकार के बारे की नीतियों का असफल होना है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) वर्ष 1973-74 की भारत के रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोट में यह दिया गया है कि मूल्यों में वृद्धि के लिये कई तथ्य जिम्मेदार है जिन में खाद्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति और उनके वितरण में त्रुटियां शामिल हैं । उक्त रिपोर्ट में दी गई त्रुटियों में ये तथ्य दिए गए हैं जैसेकि संगठित मुद्रा बाजार से बाहर तरल साधनों के इकट्ठे हो जाने के कारण व्यापारियों और किसानों द्वारा पैदावार को बाजार में आने से रोक लेना । सरकार ने मुद्रा स्फीति का मुकाबला करने और अनाजों की अधिकतम अधिप्राप्ति और विदेशों से आयात कर उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ाने के लिये समय समय पर उपयुक्त पग उठाए हैं।

Drinking water supply to Delhi from Gang Canal

839. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri R.R. Sharma :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the date on which the decision of implementing the scheme for supply of drinking water to Delhi from the Gang Canal was taken under the Chairmanship of the former Irrigation Minister, Dr. K.L. Rao;

(b) the expenditure incurred by the Centre and the Uttar Pradesh Government respectively on the implementation of aforementioned schemes upto the 1st April, 1974;

(c) whether the work on this Scheme was suspended from April last on the sudden orders from the Centre and if so, the grounds on which these orders were issued and reaction of the Central Water and Power Commission in regard thereto;

(d) whether in the last week of August, 1974 Haryana Government had informed the Centre that they had no water to supply to Delhi; and

(e) if so, Government's reaction in regard thereto?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri Mohan Dharia) : (a) In the meeting taken by the former Minister for Irrigation and Power on 14th July, 1972, it was decided that the feasibility report for the implementation of the scheme may be worked out.

(b) The Central Government has advanced Rs. 170 lakhs to the Uttar Pradesh Government on behalf of the Municipal Corporation Delhi for expenditure on the scheme during 1972-73 and 1973-74. The Government of Uttar Pradesh have incurred an expenditure of Rs. 47.30 lakhs upto 1st April, 1974.

(c) The project report for this scheme prepared by the Uttar Pradesh, Local Self Government Engineering Department, along with the alternative proposal which would have effected substantial saving, was explored in consultation with the Governments of U.P., Haryana, Central Water and Power Commission and Municiapl Corporation of Delhi. Pending this examination the Government of Uttar Pradesh were advised on the 24th June, 1974 not to incur any expenditure on project execution until further advice.

(d) The representative of the Government of Haryana had informed in the meeting held in this Ministry on 28th August, 1974, that it would not be possible to supply 200 cusecs of water up-stream of Wazirabad in exchange for equal quantity of water to be made available down stream of Yamuna barrage in view of the essential requirements of Indraprastha Thermal Station.

(e) The project report for the scheme prepared by the Local Self Government Engineering Department of Uttar Pradesh estimated to cost Rs. 11.91 crores has been approved for implementation. The Government of Uttar Pradesh is being asked to take up further work on the scheme.

श्रीविष्णु शूगर मिल्स, गोपालगंज, बिहार द्वारा घटिया किस्म की चीनी का उत्पादन

840. **श्री त्रिदिब चौधरी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीविष्णु शूगर मिल्स हरखुआ गोपाल गंज जिला सोरन बिहार द्वारा घटिया किस्म की चीनी का उत्पादन करने और बेचने तथा उसकी अधिक कीमत वसूल करने के बारे में सरकार को **कोई** शिकायत प्राप्त हुई है,

(ख) क्या इस बारे में कोई जांच पड़ताल की गई हैं, और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (खे) जी हां ।

(ग) विष्णु शुगर मिल्स लि० गोपालगंज, बिहार के विरुद्ध इस्तगासा करने के लिए बिहार सरकार को छः पुराने मामले भेजे गए हैं । एक मामले में, शकरा एवं वनस्पति निदेशालय के इस्तगासा के गवाहों की शहादतें न्यायालय में पूरी ली जा चुकी हैं और अन्य मामलों की न्यायालय में मुकदमे के लिए अभी बारी नहीं आयी है । हाल ही के दो अन्य मामलों की जांच की जा रही है ।

उड़ीसा में भीमकुण्ड बांध का निर्माण

841. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में भीमकुण्ड बांध के निर्माण के लिये वर्ष 1974-75 के लिये भारत सरकार ने कोई धनराशि आबंटित की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार द्वारा उनकी 1974–75 की वार्षिक योजना में भीमकुंड परियोजना के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग में इस परियोजना रिपोर्ट की इस समय तकनीकी जांच की जा रही है तथा इसे सभी अनुमोदित किया जाना है ।

Famine affected districts

842. **Shri R.R. Sharma :**
Shri Madavrao Scindia :
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the names of Districts which have been declared as famine-affected and scarcity affected;

(b) relief work done in these areas; and

(c) the names of the Indian Districts which have been affected by the scarcity in some parts of Bangladesh and the extent to which these Districts have been affected?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) to (c) The information has been called for from the State Governments and it will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received.

गोबर गैस संयंत्रों के लिये किसानों को सहायता

843. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :]

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार किसानों की सहायता करने के प्रश्न पर विचार कर रही है जो गोबर गैस से संयंत्र स्थापित करेंगे ;

(ख) क्या उनसे काफी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के संयंत्र किन किन राज्यों में स्थापित किये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) (क) जी हां ।

(ख) जी हां । 12,000 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ग) सभी राज्यों में गोबर गैस संयंत्र लगाने का विचार है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधूरे फ्लैटों का आबंटन

844. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधूरे फ्लैट आवंटित किये जा रहे थे जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की बस्तियों के निवासियों के संगठनों के महासंघ ने आरोप लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा तथा इसके कारण क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) (क) तथा (ख) महासंघ ने, एक आरोप सरकार द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण पर नियुक्त विशेषज्ञ समिति को भेजे गये ज्ञापन में लगाया है । सरकार को समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यवाही

845. **श्री ए० के० किस्कु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के एक पेनेल ने विश्व खाद्य संकट के बारे में चेतावनी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो खाद्य उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने तथा समूचे देश में उसके वितरण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जलवायु और कृषि के विशेषज्ञों ने जिन्होंने संयुक्त राज्य अमरीका में राकफैलर फाउन्डेशन में जनवरी, 1974 में दो दिन की

बैठक समाप्त की थी, यह विचार व्यक्त किया है कि खासतौर से मौनसून के दक्षिण की ओर जाने से जलवायु में परिवर्तन होने और उर्वरक उत्पादन में भारी कमी से विश्व की जनसंख्या के एक बड़े भाग की खाद्य सप्लाई का खतरा है।

(ख) खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिये किए गए उपायों में ये शामिल हैं:— (1) अधिक उपज देने वाली किस्मों के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार, (2) विभिन्न अंचलों/कृषि—जलवायु संबंधी स्थितियों के लिए उपयुक्त अधिक उपज देने वाली नई किस्मों का विकास और प्रचलन, (3) सिंचाई कमांडों के समेकित विकास के एक बड़े कार्यक्रम का क्रियान्वयन, (4) उत्तर–पूर्वी राज्यों में चावल के फसल की उगंती बुबाई करने के लिए किसानों को प्रशिक्षत करने हेतु एक सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना, (5) उपयुक्त समय पर रोपण करने के लिए धान की पौध की सप्लाई हेतु सामुदायिक नर्सरियां तैयार करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का क्रियान्वयन, (6) अधिक उपज देने वाली नई किस्बों के बढ़िया बीजों के उत्पादन और सप्लाई के लिये उपयुक्त व्यवस्थायें, (7) उर्वरकों तथा कीटनाशी दवाओं का सक्षम प्रयोग तथा प्रबंध पद्धतियों में सुधार करना और (8) संस्थागत वित्त से विशेषरूप से निजी उथले नलकूप और; या सहकारी अथवा राजकीय गहरे नलकूप लगाकर लघु सिंचाई सुविधाओं के विकास पर बल। पांचवीं योजना के दौरान उत्पादन कार्यक्रमों के अंतर्गत न केवल सिंचित कृषि आयेगी बल्कि बड़े पेमाने पर बरानी खेती भी शामिल की जायेगी जिसमें बारानी खेती से संम्बंधित मार्गदर्शी परियोजनाओं में अब तक सीखी गई तकनीकी अपनाई जायेंगी।

जहां तक खाद्यान्नों के वितरण का सम्बंध है, यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकारों के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली कई वर्षों से लागू है। राज्य सरकारें राज्य के अन्तर स्थित उचित मूल्य की दुकानों का नियंत्रण और देखरेख करती हैं। सरकार समय समय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सम्भावनाओं और सीमाओं का पुनरीक्षण करती है। खाद्य वितरण प्रणाली के कार्य-कलापों में सुधार करने के लिए उपाय करने के बारे में राज्य सरकारों को समय–समय पर सलाह दी गई है।

Demolition of houses in Manohar Nagar, Delhi

846. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the demolition of houses by D.D.A. in Manohar Nagar, Delhi as reported in a local Hindi daily dated the 9th October, 1974;

(b) whether certain religious buildings were also demolished alongwith those houses and if so, whether Government would look into it; and

(c) the steps being taken by Government to stop the demolition of the religious buildings?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri Mohan Dharia) ; (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

स्कूली इमारतों के निर्माण के लिए डी० आई० जेड० क्षेत्र में भूमि

847. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी०आई०जैड० क्षेत्र नई दिल्ली में कितने प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों को उक्त क्षेत्र में अपनी इमारतों के निर्माण के लिये भूमि आवंटित की जा चुकी है और किन-किन स्थानों पर दी गई है ;

(ख) क्या वहां इमारतों का निर्माण उन स्थानों पर किया जा चुका है ?

(ग) क्या किसी स्कूल को जो भूमि आबंटित की गई थी उसका अब तक दखल नहीं दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्कूलों को वैकल्पिक स्थान कब तक आबंटित किये जाने और दखल दे दिये जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) चार, यथा :—

(1) आर० एम० आर्य कन्या प्राथमिक विद्यालय, एडवर्ड स्क्वेयर।

(2) जैन हैप्पी स्कूल, एडवर्ड स्क्वेयर।

(3) यूनियन एकादमी स्कूल, राजा बाजार तथा

(4) सेन्ट कोलम्बाज स्कूल, मार्केट रोड।

(ख) केवल दो मामलों में अर्थात्, यूनियन एकादमी स्कूल तथा सेन्ट कोलम्बाज स्कूल को आबंटित किये गये स्थलों पर।

(ग) तथा (घ) आर०एम० कन्या प्राथमिक विद्यालय को आबंटित किये गये 1.249 एकड़ भूमि में से, केवल 4855.243 वर्ग गज़ भूमि का कब्ज़ा दिया गया था। इसका शेष भाग नहीं सौंपा जा सका क्योंकि भूमि का अतिक्रमण हो गया है तथा अभी इसको खाली नहीं किया गया है। इसके खाली करवाने के लिये कार्यवाही की गई है।

जैन हैप्पी स्कूल को आबंटित 1.363 एकड़ भूमि अभी नहीं सौंपी गयी है। डी०आई० जैड० क्षेत्र के क्षेत्रीय विकास प्लान में अपेक्षित परिवर्तनों के कारण भूमि का कब्ज़ा नहीं दिया गया था। इन विद्यालयों को वैकल्पिक भूमि देने पर विचार तभी किया जा सकता है जब सरकार द्वारा क्षेत्रीय विकास प्लान को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

आवश्यक अनाजों की खुली बिक्री के लिए अधिकतम मूल्य का निर्धारण

848. **श्री एस० आर० दामाणी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले बाजार में बिकने वाले सभी आवश्यक अनाजों की अत्यधिक ऊंची कीमतों और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अधीन आवंटित कम कोटे के अनुभव को ध्यान में रखते हुए खुली बिक्री के ऐसे अनाजों के लिये अधिकतम मूल्य निर्धारित करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) खुले बाजार में अत्यावश्यक अनाजों के बिक्री मूल्य पर उच्चतम सीमा लगाना व्यवहार्य नहीं समझा जाता है और इस समय इस सम्बंध में भारत सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के राज्यों और केन्द्रों शासित प्रदेश चण्डीगढ़ से केवल गेहूं के निर्यात पर 150 रुपये प्रति क्विंटल प्रेषण स्टेशन पर रेल तक निष्प्रभार की उच्चतम सीमा लगाई गई थी । इसे आधार मान कर कुछेक राज्य सरकारों ने भी भारत सरकार की स्वीकृति से अपने अपने राज्यों में गेहूं के अधिकतम थोक तथा खुदरा भाव निर्धारित किये हैं ।

मुनीरका में मध्यम आय समूह के लिए फ्लैटों का आबंटन

849. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मुनीरका में मध्यम आय समूह के लिये फ्लैटों का आबंटन करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 'ड्रा' निकाला था;

(ख) यदि हां, तो क्या अलाटियों ने डी०डी०ए० के अधिकारियों तथा कुछ अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिये कुछ फ्लैटों का आरक्षण करने और 'ड्रा' के तरीके के प्रति विरोध प्रकट किया था;

(ग) क्या 'ड्रा' को अन्त में स्थगित कर दिया गया था; और

(घ) इन फ्लटों के आबंटन के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को आबंटन करने के लिये कोई फ्लैट आरक्षित नहीं किया गया था । आबंटियों ने मांग की थी कि ले-आऊट प्लानों पर नम्बर दिखाए जाने की सामान्य प्रथा के अलावा, स्थल पर भी फ्लैटों पर नम्बर लगाये जाय। इसमें समय लगा जिससे 'ड्रा' को आस्थगित करना पड़ा।

(ग) जी, हां ।

(घ) ब़ाद में 'ड्रा' 3 अक्तूबर, 1974 को निकाला गया था जिससे आबंटी सन्तुष्ट थे।

माध्यम आय समूह और निम्न आय समूह के लिए आवास की समस्या

850. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेष रूप से मध्यम और निम्न आय समूहों के लिये अभी हाल में आवास समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके लिये आवास को वढ़ावा देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) इसमें सन्देह नहीं कि देश में आवास की काफी कमी है । साधनों पर दबाब तथा सिंचाई, बिजली, कृषि आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में मुकाबले के दावों के कारण, आवास को अपेक्षाकृत अभी तक निम्न प्राथमिकता दी जाती है । उपलब्ध सीमित साधनों के साथ, सरकार का प्रयास मुख्यत: निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों

की आवासीय स्थिति, निम्नलिखित सामाजिक आवास योजनाओं द्वारा सुधारने की ओर केन्द्रित रहा है, जो देश भर में चल रही हैं :—

1. औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना।
2. निम्न आय वर्ग आवास योजना।
3. बागान कर्मचारियों के लिये सहायता प्राप्त आवास योजना।
4. गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना।
5. ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम।
6. मध्यम आय वर्ग आवास योजना।
7. राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये किराया आवास योजना।
8. भूमि अर्जन तथा विकास योजना।
9. ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना।

इसके अतिरिक्त, देश में आवास-कार्यक्रम को गति देने के लिये, आवास और नगर विकास निगम नाम का एक केन्द्रीय सरकारी उपक्रम भी स्थापित किया गया है जो राज्य सरकारों तथा उनके सांविधिक अभिकरणों की आवास परियोजनाओं के लिये वित्तीय व्यवस्था करता है

अधिक फर्श वाले मकानों के निर्माण पर रोक

851. **श्री भोला मांझी :**
श्री एस० एम० पुरती :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2000 वर्ग फुट से अधिक फर्श-क्षेत्र वाले रिहायशी मकानों के निर्माण पर रोक लगाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये गये हैं, तथा मामला विचाराधीन है ।

बागमती नदी के बदलते प्रवाह के कारण घाटा

852. **श्री हरकिशोर सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या उत्तरी बिहार के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों में बागमती नदी के बदलते प्रवाह के कारण फसल और सड़क प्रणाली को भारी क्षति पहुंची है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या निरोधात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) और (ख) बिहार की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बागमती ने अपना वर्तमान मार्ग 1969 में परिवर्तित किया था और नदी के मार्ग में परिवर्तन होने के कारण क्षति होती है ।

बागमती बाढ़ नियंत्रण स्कीम में नदी-मार्ग में परिवर्तन के प्रति क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये नदी के वर्तमान मार्ग के साथ तटबंधों के निर्माण का आयोजन किया गया है और इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

सतह सिंचाई सुविधाओं वाली जमीन का उपयोग

853. श्री पी० गंगा देव :

श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री डॉ० पी० जदेजा :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतह सिंचाई सुविधाओं वाली कृषि भूमि का अधिकतम उपयोग करने के लिये केन्द्रीय सरकार कोई बड़ा कार्यक्रम शुरू कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) क्या उक्त योजनाओं में जल प्रदाय और जल निकासी व्यवस्थायें भी शामिल की जायेंगी; यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) तत्वर्ती सिंचाई सुविधाओं के समुपयोजन में सुधार लाने और अधिकतम कृषि उत्पादन करने के उद्देश्य से, पांचवीं योजना में, सरकारी क्षेत्र में 216 करोड़ तथा संस्थागत क्षेत्र में 210 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कमानगत क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू करने का विचार है ?

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 50 बृहत् परियोजनाओं के कमानक्षेत्र में 15 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिये विशिष्ट अन्तर-सम्बद्ध विषय बोर्डों का गठन करना प्रस्तावित है ताकि समेकित विकास के लिये जल-मार्गों तथा क्षेत्रीय निकास नालियों के निर्माण कार्य, उपयुक्त जल निकास सुविधाओं, भूमि समतलन करने और भू-आकृति सुधारने तथा खेतों में अन्य कार्य करने, पर्याप्त संचार तथा अन्य अवसंरचना सुविधाओं और निवेशों संबंधी कार्य किये जा सकें ।

प्रारंभिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में यौन शिक्षा

854. श्री डी० के० पंडा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में यौन शिक्षा के तत्वों को सम्मिलित कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (डा० डी० पी० यादव) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न शिक्षा बोर्डों ने औपचारिक रूप से स्कूल स्तर पर यौन शिक्षा शुरू नहीं की है । तथापि, मिडिल स्तर पर (कक्षाएं 6-8) जीव विज्ञान को पाठ्यचर्या में सामान्यतया विभिन्न पौधों, पशुओं और मनुष्यों के पुनरुत्पादन को शामिल किया जाता है । यह व्यवस्था अधिकांश राज्यों की पाठ्यचर्या में है ।

उड़ीसा के लिए चावल

855. **श्री गजाधर माझी** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बे समय से चली आ रही सूखा की स्थिति के कारण कम होते जा रहे भंडार की प्रतिपूर्ति करने के लिये केन्द्रीय पूल से चावल आयात करने का आश्वासन उड़ीसा की राज्य सरकार को दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना चावल जारी किया गया है और क्या इस बारे में कुछ अधिक सहायता देने के लिये राज्य सरकार ने अनुरोध किया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार को अपने स्टाक की भरपाई करने के लिये आन्ध्र प्रदेश से 5,000 मीटरी टन धान आवंटित की गई है । आशा है कि यह मात्रा शीघ्र ही उड़ीसा पहुंच जायेगी । राज्य सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया था कि उन्हें पंजाब से द्विपक्षीय आधार पर कुछ चावल आयात करने की इजाजत दी जाये ।

Agreements for Import of Edible Oils

856. **Shri Hari Singh** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government have made agreements with some countries in 1973-74 for import of edible oils keeping in view the present shortage of edible oils in India; and

(b) if so, the names of those countries and whether the oil sent by them would reach Indian ports?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes, Sir.

(b) (i) Canada—for supply of rapeseed and rapeseed oil worth C $ 15 million in the form of a grant. Purchases against this agreement have been completed and the seed/oil already received.

(ii) Sudan—for supply of groundnut and/or sesame seed worth £ 5 million. Purchases of sesame seed against this agreement have been completed and the seed already received.

(iii) U.S.S.R.—provision has been made in the Trade Plan for 1974 for supply of 10,000 tonnes of sunflower seed oil. Purchases are expected to be made in the near future.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में कृषि वैज्ञानिकों का तबादला और नियुक्ति

857. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय में सीनियर और जूनियर कृषि वैज्ञानिकों (जैसे कि पशुनसल सुधारकों) की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या फील्ड स्टेशनों तथा अनुसंधान केन्द्रों में इन अधिकारियों की कमी महसूस की जा रही है ;

(ग) क्या कुछ मामलों में ऐसे वैज्ञानिकों के सामान्य त्रिवार्षिक तबादले नहीं किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कितने अधिकारयों को पांच साल से अधिक समय तक कृषि भवन में रखा गया है और क्यों?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शानवाज खां) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय के लिये विभिन्न विषयों और वेतन मानों के कुल 57 वैज्ञानिक पद स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से 43 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है और शेष 14 पद अभी रिक्त हैं।

(ख) कुछ संस्थानों/अनुसंधान केन्द्रों में वैज्ञानिकों की कुछ कमी है, ऐसा इसलिये है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में कुछ समय के लिये भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड की स्थापना हो जाने के बाद अब रिक्त पदों को भरा जा रहा है ?

(ग) फिलहाल परिषद् में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय से संस्थानों/केन्द्रों में और संस्थानों तथा केन्द्रों से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिक कर्मचारियों के स्थानान्तरण की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

अपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं

858. **श्री डा० के० एल० राव** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10 वर्ष पूव आरम्भ की गई उन सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो अभी तक इस स्थिति तक पूरी नहीं हुई हैं जिनकी कम से कम दो-तिहाई क्षमता का उपयोग करके लाभ उठाया जा सके;

(ख) अन्ततोगत्वा लाभ क्या होंगे तथा अब तक क्या लाभ हुए हैं ;

(ग) मूल अनुमानित लागत क्या है तथा अब क्या है तथा आज तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) यदि आगामी चार वर्षों में परियोजनाएं पूरी हो जायें तो कितना अधिक लाभ होने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) से (घ) 1964 में और उससे पहले हाथ में ली गई सतत्‌बृहत् सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 8486/74]

पश्चिम बंगाल में भूख तथा कुपोषण से हुई मोतें

859. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में भूख तथा कुपोषण के कारण जुलाई, 1974 के पश्चात् कितने व्यक्ति मरे।

(ख) इस प्रकार मरे व्यक्ति किस ग्रायु वर्ग के थे तथा उनका जिलावार ब्यौरा क्या है; ग्रौर

(ग) संकटग्रस्त व्यक्तियों को राहत देने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने कितनी धनराशि की सहायता मांगी तथा केन्द्रीय सरकार ने वास्तव में कितनी सहायता दी है तथा उसका स्वरूप क्या है ?

कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) से (ग) राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है ग्रौर प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कडना बांध के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों को मुग्रावजा

860. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कडना बांध के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों को पर्याप्त मुग्रावजा देने का ग्रनुरोध किया है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) जी हां । (ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

बाढ़ ग्रौर सूखा के कारण खाद्यान्न, दालों ग्रौर तिलहनों की कमी

861. **श्री एस० सी० सामंत :** क्या कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़, सूखा ग्रौर मौसम संबंधी ग्रन्य ग्रनिश्चितताग्रों के कारण खाद्यान, दालों और तिलहनों की कितनी कमी होने की संभावना है ;

(ख) सबसे ग्रधिक बुरा प्रभाव किन भागों ग्रौर किन राज्यों पर पड़ा है ग्रौर क्या कार्यवाही की जा रही है ; ग्रौर

(ग) सप्लाई में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) 1974-75 खरीफ के दौरान विभिन्न राज्यों में विभिन्न फसलों के क्षेत्र ग्रौर उत्पादन के पक्के ग्रनुमान चालू कृषि वर्ष के ग्रंत में ग्रर्थात जुलाई-ग्रगस्त, 1975 में ही उपलब्ध होगें ।

(ख) गुजरात, उड़ीसा मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के भाग सूखे से ग्रौर ग्रसम, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के भाग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं ।

(ग) भारत सरकार ने कृषि कार्यों को बढ़ावा देने में राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों के दल नियुक्त किए हैं । बीज, कीटनाशी ग्रौषधियां तथा उर्वरक ग्रादि कृषि ग्रादानों की खरीद के लिये इन राज्यों के लिये 3649 लाख रु० का एक ग्रल्पकालीन ऋण स्वीकृत किया गया है ।

ग्रमरीकी वाणिज्य दूतावास ग्रौर यू० एस० ग्राई० एस० के कर्मचारियों द्वारा पश्चिम बंगाल में खाद्य स्थिति का सर्वेक्षण

862. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रमरीकी वाणिज्य दूतावास ग्रौर यू० एस० ग्राई० एस० के कर्मचारियों ने पश्चिम बंगाल के जिलों में खाद्य स्थिति का सर्वेक्षण किया था ;

(ख) क्या कंसलेट जनरल लारेस पिकरिंग और कंसूलेट के राजनीतिक अधिकारी पीटर वर्लीय द्वारा पश्चिम बंगाल में सर्वेक्षण के सभी परिणामों का अध्ययन राजनीतिक आधार पर किया गया है, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) (ख) और (ग) पश्चिमी बंगाल सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

निर्माण और आवास मंत्रालय के विषयों के बारे में दिल्ली प्रशासन के विधेयक

863. **श्री विक्रम महाजन :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्माण और आवास मन्त्रालय से संबंधित दिल्ली प्रशासन ने कुल कितने विधेयक पारित किये और संसद् में पेश किये जाने तथा विचार किये जाने के लिये कितने विधेयक मन्त्रालय में विचाराधीन हैं ;

(ख) उन विधेयकों के नाम क्या है और प्रत्येक मामले में उन्हें संसद् में पेश न करने के क्या कारण है ; और

(ग) उनमें से प्रत्येक विधेयक के कब तक संसद् में पेश किये जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) (i) महानगर परिषद्, दिल्ली प्रशासन द्वारा मई, 1972 से अब तक पारित किये गये विधेयकों की संख्या 5

(ii) मंत्रालय में निलंबित विधेयकों की संख्या 2

(ख) तथा (ग)

1. दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1973

2. दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक, 1973

ये विधेयक विचाराधीन हैं तथा सम्भवत संसद् के वर्तमान सत्र में पेश किये जायेंगे।

देहरादून में शिक्षित तथा प्रशिक्षित नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार

864. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिन्हें देहरादून में शिक्षा दी जाती है तथा प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(ख) क्या कोई एसे आदेश जारी किये गये हैं कि जहां वे काम कर सकते हैं वहां रोजगार देने के लिये उन्हें प्राथमिकता दी जाये, और यदि हां, तो क्या आदेश जारी किये गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) तथा (ख) देश की विभिन्न संस्थाओं में प्रशिक्षित विकलांग व्यक्तियों को, जिनमें नेत्रहीन व्यक्ति भी शामिल हैं, रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये अनेक कदम उठाए गये हैं। किसी विशिष्ट संस्था के प्रशिक्षणार्थियों को अन्यों के मुकाबले प्राथमिकता देना भेदभाव पूर्ण होगा। निम्नलिखित मुख्य कदम उठाये गये हैं :—

(1) केन्द्रीय सरकार के रिक्त पदों के लिये भेजे जाने हेतु जिन विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता III दी गई है, उन्हें रजिस्टर करने के लिये सामान्य रोजगार कार्यालयों से कहा गया है।

(2) सामान्य रोजगार कार्यालयों को अतिरिक्त विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों की रोजगार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तेरह विशेष रोजगार कार्यालय भी स्थापित किये गये हैं।

(3) मंजूर शुदा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इन प्लांट प्रशिक्षणार्थियों के रूप में लगे विकलांग व्यक्तियों को 100 रुपये प्रतिमास का वजीफा देने का विचार है। यह वज़ीफा एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये नहीं दिया जायेगा।

(4) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न प्रकार के विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने के वास्ते शेल्टर्ड वर्कशाप स्थापित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

दुर्लभ इस्पात के विकल्प के रूप में बांस का उपयोग

865. **श्रीमती रोज़ा विद्याधर देशपांडे** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भवन निर्माण प्रौद्योगिकीविद छडयुक्त सूदृढ़कंकरीट के निर्माण के लिये दुर्लभ इस्पात के विकल्प के रूप में बांस को उपयक्त मान रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा इस दिशा में किये गये प्रयोगों के क्या परिणाम निकले हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) देश के कुछ भवन निर्माण संस्थान अब भी इस विषय में कार्यरत हैं।

चीनी जांच समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय

866. **श्री मधु लिमये** :

श्री राम देव सिंह :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी जांच समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन पूरा कर लिया है, और

(ख) क्या सरकार चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में अन्तिम निर्णय लेगी ताकि राष्ट्रीयकरण की दशा में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों तथा राष्ट्रीयकरण न किये जाने की दशा में गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के विकास में अनिर्णय तथा अनिश्चितता के कारण कोई बाधा न पड़े ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) सरकार चीनी उद्योग जांच आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के संदर्भ में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर अब भी विचार कर रही है और उसने माननीय सदस्यों द्वारा शीघ्र अन्तिम निर्णय लेने के बारे में अभिव्यक्त किये गये विचारों को भी ध्यान में रखा है।

कृषि उपकरण निर्माताओं को सहायता

867. **श्री के० लकप्पा** :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विदेशी फर्मों के साथ संयुक्त उपक्रम से तथा पारस्परिक सहयोग से कृषि उपक्रमों के निर्माताओं को सभी प्रकार की सहायता देने का निर्णय किया है; और यदि हां, तो निर्णय को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ;

(ख) इस संबंध में कितनी फर्मों ने सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ग) सरकार ने किन वस्तुओं के लिये सहायता देने का निर्णय किया है और क्या ट्रेक्टर निर्माताओं ने भी भारत में विदेशी सहयोग के लिये सरकार से अनुरोध किया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :(क) से (ग) विदेशी फर्मों के साथ सांझा करके या उनके पारस्परिक उसहयोग से कृषि उपक्रमों के विनिर्माताओं को सहायता देने के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। जहां तक कृषि ट्रैक्टरों का संबंध है, सरकार ने निर्णय किया है कि भविष्य में विदेशी सहयोग प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जायेगी क्योंकि विदेशी सहयोग संबंधी अनेक प्रस्ताव पहले ही स्वीकार किये जा चुके हैं।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में विद्यार्थी और अध्यापकों का अनुपात

868. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण ओर संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय दिल्ली मे छात्रों तथा अध्यापकों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) जवाहर लाल नेहरू विवश्वविद्यालय पर सरकार प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च करती है ;

(ग) अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की तुलना में इसके विद्यार्थी, अध्यापक अनुपात, सरकार का प्रति विद्यार्थी पर खर्च, डाक सुविधाओं आदि के आंकड़े क्या हैं; और

(घ) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय पर इतनी अधिक धनराशि खर्च किये जाने में क्या औचित्य है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) 14 नवम्बर, 1974 को अंश-कालिक छात्रों तथा अध्यापकों सहित, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों तथा अध्यापकों की संख्या क्रमशः 1,792 और 195 थी।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1973–74 के दौरान उक्त विश्वविद्यालय को 206 लाख रुपये की धन राशि का अनुदान दिया गया था जिसमें से 117 लाख रुपय की धन राशि भवन, उपस्कर तथा कैम्पस विकास पर खर्च की गई थी।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय में 1973–74 के दौरान (कैम्पस, भवनों, उपस्कर के विकास संबंधी खर्चे के अतिरिक्त अर्थात अनुरक्षण खर्चे के आधार पर परिकलित) अध्यापक-छात्र अनुपात तथा प्रति व्यक्ति खर्च क्रमशः 1:8 तथा 5,760 रुपये प्रति वर्ष था। विश्वविद्यालय में इस समय तीन छात्रावास हैं जिनमें लगभग 700 छात्रों के लिए स्थान है।

चूंकि यह विश्वविद्यालय मुख्य रूप से एक उत्तर-स्नातक तथा अनुसंधान संस्था है, इसलिये अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के साथ उसकी तुलना करना न्यायसंगत नहीं होगी जिनमें न केवल अवर-स्नातक स्तर की शिक्षा दी जाती है बल्कि उनमें से कुछ में स्कूलों संबंधी अनुरक्षण के अतिरिक्त अध्यापक प्रशिक्षण, कृषि, चिकित्सा, इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, विधि इत्यादि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की भी सुविधाओं की व्यवस्था है।

चंकि उक्त विश्वविद्यालय केवल अप्रैल, 1969 में स्थापित हुआ है इसलिये यह अभी भी विकास के अपने निर्माणात्मक चरणों में है तथा भूमि अधिग्रहण तथा विकास, भवन निर्माण, उपस्कर खरीद इत्यादि पर इसका खर्चा होता रहा है तथा हो रहा है। अतः कुछ दशकों पहले स्थापित अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा इस पर अधिक खर्च होना स्वाभाविक है।

आयातित गेहूं तथा उर्वरक को ले जाने के लिये मद्रास पत्तन पर वैगनों का उपलब्ध न होना

869. **श्री पी० ए० सामिनाथन :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम वेगन उपलब्ध होने के कारण मद्रास पत्तन पर सितम्बर, 1974 में आयातित गेहूं तथा उर्वरक के भारी स्टाक जमा हो गये थे,

(ख) क्या कारण है कि गेहूं तथा उर्वरक जिनकी देश को अत्यन्त आवश्यकता थी न ले जाने के लिये वैगन तुरन्त उपलब्ध नहीं कराये गये,

(ग) यदि हां, तो मद्रास पत्तन से वे कितने समय तक नहीं ले जाये गये, और

(घ) अधिकारियों को गेहूं के स्टाक को वहां से उठवाने में कितना समय लगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) सितम्बर, 1974 में मद्रास बन्दरगाह के पारगमन शैडों में आयातित गेहूं और उर्वरकों की मात्रा में वृद्धि मद्रास पत्तन पर कार्यचालन संबंधी कठिनाइयों और कुछेक अन्य कारणों से हुई थी और न कि वैगनों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण। 7-9-1974 से 7-11-1974 की अवधि के दौरान मद्रास पत्तन से लगभग 1.47 लाख मीटरी टन आयातित खाद्यान्नों (1.01 लाख मीटरी टन) और उर्वरकों (0.46 लाख मीटरी टन) की निकासी हुई थी। 1–9–1974 को पारगमन शैड के खाद्यान्नों के बारे में शेष 6,326 मीटरी टन और उर्वरकों के बारे में 5,734 मीटरी टन था और वह 1–10–1974 तक बढ़कर गेहूं के बारे में 15,925 मीटरी टन और उर्वरकों के बारे में 16,091 मीटरी टन हो गया, जबकि वह शेष 7–11–1974 तक घटकर गेहूं के बारे में 5,710 मीटरी टन और उर्वरकों के बारे में 2,108 मीटरी टन हो गया।

मद्रास और अन्य पत्तनों पर निकासी और संभालने का कार्य एक लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है। अतः इन कार्यचालनों के दौरान, पत्तन पारगमन शैडों में गेहूं की कुछ मात्रा हमेशा रहेगी।

खुले बाजार में अनुज्ञेय कोटे से अधिक मात्रा में चीनी की बिक्री

870. **श्री मधु दंडवते :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग ने खुले बाजार में अनुज्ञेय कोटे से अधिक मात्रा में चीनी बेची है,

(ख) यदि हां, तो अगस्त, 1974 में खुले बाजार में चीनी के मूल्य और लेवी चीनी के मूल्य में क्या अंतर था, और

(ग) क्या इस अनधिकृत बिक्री से खुले बाजार में चीनी के बिक्री मूल्य में वृद्धि हुई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जी, नहीं। 11 अक्तूबर, 1974 के 'इक्नामिक्स टाइम्स' में उद्योग द्वारा मुक्त बिक्री कोटे से 57,000 मीटरी टन की अतिरिक्त मात्रा की कथित बिक्री का समाचार प्रकाशित हुआ था। दूसरे दिन उसी पत्र ने उद्योग के एक प्रतिनिधि द्वारा इस रिपोर्ट को खण्डन करने का समाचार छापा था। अगस्त, 1974 के दौरान खुले बाजार में बिक्री के लिए 80,000 मीटरी टन की निर्मुक्त मात्रा में से फैक्ट्रियों से केवल लगभग 74,000 मीटरी टन चीनी भेजी गई थी और शेष मात्रा समाप्त हो गई थी।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

परीक्षा सुधार सम्बन्धी वर्कशाप

871. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या शिक्षा और समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल में परीक्षा सुधार संबंधी 'वर्कशाप' का आयोजन किया था जिसने परीक्षा सुधार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं,

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन्हें कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी तक परीक्षा सुधारों के संबंध में तीन क्षेत्रीए कार्यशालाएं आयोजित की हैं । चौथी कायशाला का (पूर्वी क्षेत्र के लिए) 26 से 28 नवम्बर, 1974 तक आयोजन करने का प्रस्ताव है ।

(ख) इन कार्यशालाओं द्वारा की गई प्रमुख सिफारिश सेमेस्टर पद्धति, आन्तरिक मूल्यांकन, प्रश्न वैंकों का विकास तथा परीक्षाओं के संचालन से संबंधित हैं ।

(ग) सभी कार्यशालाओं की सिफारिशों को, परीक्षा सुधार संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कार्यान्वियन समिति के सम्मुख विचारार्थ रखा जाएगा ।

नगरीय क्षेत्रों में पेय जल योजनाएं

872. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वायत्तशासी परिषद ने नई दिल्ली में हाल में अपनी बैठक में देश के नगरीय क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई की मूल आवश्यकता को पूरा करने के लिये राज्य सरकारों के लिये मार्ग-दर्शी सिद्धांत बनाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा योजनाओं को कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) स्थानीय स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद ने, जिसकी बैठक सितम्बर, 1974 में चण्डीगढ़ में हुई थी, ऐसे कोई मार्ग-दर्शी सिद्धांत निर्धारित नहीं किए ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पुरी का जगन्नाथ मन्दिर

873. श्री अर्जुन सेठी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरी, उड़ीसा के जगन्नाथ मन्दिर में अतिरिक्ति कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है तथा वहां काम के लिये ब्यौरेवार अनुमान तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो मंदिर के लिये कितनी अतिरिक्त राशि की स्वीकृति दी गयी है और क्या मरम्मत कार्य शुरू किया जा चुका है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) :(क) अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है तथा प्राक्कलनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ख) इस वर्ष के कार्यक्रम में, मरम्मतों के लिये 50,000 रुपए की राशि अस्थाई रूप से नियत की गई है । प्रारंभिक तैयारियां करने के बाद मरम्मत का कार्य दिसम्बर, 1974 में शुरू किया जाएगा ।

विदेशों में अध्ययन हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए नियम एवं विनियम

874. **श्री वयालार रवि** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे सामान्य नियम एवं विनियम कौन-कौन से हैं जिनके अन्तर्गत विदेशों में अध्ययन हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति दी जा रही है; और

(ख) क्या इन विनियमों में हाल ही में परिवर्तन किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इन परिवर्तनों के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) विदेशों में अध्ययन के लिये राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों से सम्बन्धित सामान्य नियम तथा विनियम छपी हुई पुस्तक में दिए गए हैं, जिसकी प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ख) 1974–75 में जो एकमात्र महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है वह उस वर्ष के बारे में है जिसके लिए साधन परीक्षण के अंतर्गत पात्रता सुनिश्चित करने के लिए आय को लिया जाना है । पहले, विनियमों के अंतर्गत साधन परीक्षण को सुनिश्चित करने के लिए, जिस वर्ष में आवेदन पत्र दिया जाता है, उससे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की आय को माना जाता था । किन्तु 1974–75 से, औसत मासिक आय निर्धारण करने के लिए संबंधित अवधि, जिस वर्ष छात्रवृत्ति दी जानी है, उस वर्ष की पहली अक्तूबर से शुरू होकर अगले वर्ष की 30 सितम्बर तक का वर्ष होगा । इस परिवर्तन का मुख्य कारण यह है कि पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षा अध्ययन का वह वर्ष अधिक उपयुक्त है जिसमें छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता संस्था में प्रवेश पाता है । इसके अलावा, अधिकांश विदेशी विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र अक्तूबर से शुरू होता है ।

अपहृत लड़कियों की बिक्री

875. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 19 अक्तूबर, 1974 को प्रकाशित एक समाचार पढ़ा है जिसमें "व्हाईट स्लेवरी रैकट" शीर्षक के अन्तर्गत यह छपा है कि भारत में प्रति वर्ष 50 हजार बच्चे या तो खो जाते हैं या उनका अपहरण किया जाता है ;

(ख) क्या अपहृत अथवा गुमशुदा लड़कियों को वैश्यालयों के मालिकों को बेच दिया जाता है; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे गिरोहों को समाप्त करने के लिये कोई कदम उठाया है जो देश में ऐसा धन्धा कर रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) सरकार ने ऐसा समाचार पढ़ा है ।

(ख) और (ग) स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक पणन दमन अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अधीन वैश्यालय रखना तथा इस बुराई में वाणिज्य रूप में भाग लेना दण्डनीय अपराध है । अपहरण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के अधीन अपराध है । इस संबंध में कानून के उपबन्धों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जा रहा है ।

दिल्ली किराया नियन्त्रण संशोधन विधेयक

876. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली किराया नियंत्रण संशोधन विधेयक कब पास किया था और इसे संसद में पारित कराने के लिये उनके मंत्रालय को कब भेजा था; और

(ख) उक्त विधेयक को संसद में पुरःस्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 18-8-1973 को ।

(ख) विधेयक को संसद के इस सत्र में पेश करने का प्रस्ताव है ।

डी० आई० जैड० क्षेत्र नई दिल्ली के 'डी' सक्टर के बहुमंजिले क्वाटरों में पानी का शुल्क लेना

877. **श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी०आई०जैड० क्षेत्र नई दिल्ली के 'डी' सेक्टर में बहुमंजिले क्वार्टरों का निर्माण तथा आबंटन लगभग तीन वर्ष पूर्व हुआ था ;

(ख) क्या सभी क्वार्टरों में पानी सप्लाई के मीटर लगे हुए हैं ;

(ग) क्या पानी के मीटरों की रीडिंग नोट नहीं की जाती है और निवासियों से अब भी फ्लैट रेट पानी के शुल्क लिये जाते हैं तथा मीटरों में दिखाई गई वास्तविक खपत के आधार पर नहीं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और निवासियों से उनके द्वारा पानी की वास्तविक खपत के आधार पर कब पानी के मूल्य लिये जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) पानी के मीटर इस शर्त पर लगाये गये थे कि नई दिल्ली नगर पालिका जलपूर्ति के अनुरक्षण के कार्य को संभाल लेगी तथा मीटर रिडिंग के अनुसार बिलों को फ्लैटों के अलग अलग दखलकारों को भेज देगी । चूंकि नई दिल्ली नगरपालिका ने बहुमंजिले फ्लैटों में जलपूर्ति के अनुरक्षण के इस कार्य को सम्भालना स्वीकार नहीं किया, अतः वास्तविक खपत के आधार पर जलप्रभारों की वसूली का प्रश्न विचाराधीन है ।

राज्यों के अकालग्रस्त क्षेत्रों में कुपोषण के कारण हुई मौतें

878. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात तथा राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार रोगों तथा कुपोषण के कारण कुल कितनी मौतें होने के समाचार मिले हैं; और

(ख) क्या इन में से किसी क्षेत्र को 'अकाल ग्रस्त' क्षेत्र घोषित किया गया है और ऐसे क्षेत्रों को इस वर्ष अकाल-राहत के लिये अब तक कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली के लिये शुष्क-पत्तन की स्थापना

879. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण और आवास मंत्रालय दिल्ली में शुष्क-पत्तन की स्थापना के विरुद्ध है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में 19 सितम्बर, 1974 के स्थानीय दैनिक में प्रकाशित समाचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ) यह मंत्रालय दिल्ली के महानगर क्षेत्र में शुष्क-पत्तन स्थापित करने के पक्ष में नहीं है क्योंकि इससे अत्यधिक लोग आने शुरू हो जायेंगे जिससे सभी वर्तमान तथा प्रस्तावित नागरिक और अन्य व्यवस्थाओं में गड़बड़ी हो जायेगी । इस मंत्रालय का विचार है कि इसकी स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ईर्दगिर्द के किसी शहर में वांछनीय होगी । किन्तु मरकार ने इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं किया है ।

विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षा सम्बन्धी सुधारों की योजना की स्वीकृति

880. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परीक्षा सुधार योजना तैयार की थी और इस स्वीकृति तथा क्रियान्विति के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों को भेजा था और इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त योजना के बारे में अपनी स्वीकृति भेज दी है ; और

(ग) क्या उक्त योजना के लिए स्वीकृति भेजने के लिए विश्वविद्यालयों के लिए कोई समय-सीमा निश्चित की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, अगस्त, 1973 में, 'परीक्षा सुधार कार्यवाही योजना' नामक एक रिपोर्ट सभी विश्वविद्यालयों को उसमें दी गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए भेजी थी । उक्त योजना की प्रमुख बातें अनुबन्ध में दी गई हैं ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परीक्षा सुधार के लिए कार्यवाही योजना को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित 12 विश्वविद्यालयों का चयन किया है:—

1. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ ।
2. आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर ।
3. एम० एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा ।
4. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ ।
5. गोहाटी विश्वविद्यालय, गोहाटी ।
6. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
7. यादवपुर विश्वविद्यालय, यादवपुर ।
8. पूना विश्वविद्यालय, पूना ।
9. सागर विश्वविद्यालय, सागर ।
10. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर ।
11. मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास ।
12. कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट ।

क्रम संख्या 1 से 10 और 12 पर दिए गए विश्वविद्यालयों ने आयोग को यह सूचित किया है कि आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धांतों को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी अपनी परीक्षा सुधार कार्यान्वियन समितियां नियुक्त की हैं । परीक्षा सुधार कार्यवाही योजना नामक रिपोर्ट का कार्यान्वियन इन विश्वविद्यालयों में, विभिन्न स्तरों पर है ।

उपर्युक्त विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त, काफी अन्य विश्वविद्यालय, विशेषकर डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, केरल विश्वविद्यालय, मदुरै विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, रुड़की विश्वविद्यालय, सम्बलपुर विश्वविद्यालय और सरदार पटेल विश्वविद्यालय, सिफारिश किए गए सुधारात्मक उपायों पर अमल कर रहे हैं ।

(ग) आयोग ने, परीक्षा सुधार संबंधी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए समय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है ।

विवरण

परीक्षा सुधार की मुख्य बातें :

(1) जो पद्धति है, उन्हें जांच भी करनी चाहिए । इस प्रकार के परीक्षाओं को अध्यापन प्रक्रिया का 'एक' आन्तरिक और 'अभिन्न अंग' बनाना चाहिए ।

(2) क्योंकि सान्त्रिक अथवा लगातार मूल्यांकन में कठिन परिचय के लिये प्रेरणा और क्षमता, अभिप्रेरणा, उद्देश्य, संस्थापन्न और चिन्तन, नेतृत्व और सामूहिक कार्य करने के गुण तथा

व्यक्तियों आदि का निपुणता पूर्ण प्रयोग जैसी कई अनिवार्य योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है, जिनकी त्रैमासिक परीक्षा अथवा उपलब्धि परीक्षा मूल्यांकन नहीं करती है, इस प्रकार के मूल्यांकन को अलग से ग्रेड-शीट पर दर्शाया जाना चाहिये ।

(3) प्रत्येक संस्था का स्तर अन्ततः उस (संख्या) द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के स्तर द्वारा अभिशासित होता है । इस प्रकार से प्रत्येक विश्वविद्यालय और कालेज को अपना स्तर बनाये रखना है । इसका अर्थ यह है कि उस संस्था/कालेज का नाम, जिसमें विद्यार्थी ने अध्ययन किया है, उसे जारी किये गये डिप्लोमाओं अथवा डिग्रियों या ग्रेड-शीट पर अंकित होना चाहिये ।

(4) यदि डिग्री अथवा डिप्लोमा या परीक्षा का प्रदान किया जाना विद्यार्थी द्वारा कई पाठ्य-क्रमों में किये गये निष्पादन कार्य पर आधारित हो, तो इन पाठ्यक्रमों का एक दूसरे से संबंध विच्छेद किया जाना चाहिये ताकि यदि कोई छात्र किसी पाठ्यक्रम विशेष में ग्रेड बनाने में असफल रहे तो उसे इस असफलता के कारण अन्य पाठ्यक्रमों में दन्डित न किया जाये । इस तरीके से पाठ्यक्रमों के संबंध विच्छेदन से विद्यार्थियों को यदि आवश्यक हुआ तो एक संस्था से दूसरी संस्था में जाने और अध्ययन के एक किस्म से दूसरे किस्म के अध्ययन में आने जाने की अनुमति मिल जाएगी ।

(5) विद्यार्थियों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन सु-वितरित मध्यान्तरों के बाद होना चाहिए ताकि उस पाठ्यक्रम की, जिसके एक वर्ष अथवा सत्र में पूरा कर लिया जाए, उसको अन्तिम परीक्षा की प्रतीक्षा किए बिना वर्ष अथवा सत्र के अन्त तक अवश्य परीक्षा ले ली जानी चाहिए ।

(6) विद्यार्थियों के निष्पादन का सही-सही और स्पष्टतया मूल्यांकन नहीं किया जा सकता जिससे कि इसको अंकों में दर्ज किया जा सके और क्योंकि विभिन्न विषयों के लिए निर्णय के स्तर भिन्न-भिन्न हैं, विद्यार्थियों को परीक्षाओं और मूल्यांकन में ग्रेड प्रदान किये जाने चाहिए न कि अंक ।

(7) किसी पाठ्यक्रम अथवा डिग्री में विद्यार्थियों के आवधिक निष्पादन को निर्धारित करने की परीक्षाओं अथवा उपलब्धि के मानदण्ड को, या तो सेवा अथवा अध्ययन के अन्य पाठ्य-क्रमों की प्रवेश परीक्षाओं से अलग रखना चाहिए जो कि अंशतः अभिरूचियात्मक और भविष्यलभी हों । इसका अर्थ यह हुआ कि है जो संस्थाएं कुछ डिग्रियों के विद्यार्थियों को तैयार करती हैं उन्हें अपने अध्यापन कार्यक्रम के एक अभिन्न भाग के रूप में परीक्षाएं/मूल्यांकन का आयोजन करना चाहिए ।

दूसरी ओर संस्था के दाखिले के लिए आवेदकों की संख्या कुल स्थानों से अधिक हैं तो संस्था को अपनी प्रवेश परीक्षा/परीक्षण का आयोजन करना चाहिए ताकि विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थी की योग्यता का एक सामान्य आधार पर निर्णय किया जा सके ।

(8) केवल स्वेच्छिक आधार पर केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों में राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए । इस परीक्षा को सृजनात्मक विचारधारा और विषय-वस्तु की व्यापकता की जांच करने के लिये तैयार किया जा सकता है ताकि

यह सामान्यतः छात्रों और विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गये कार्य-निष्पादन और उपलब्धि की राष्ट्रीय सूची के रूप में काम आ सके। परीक्षा सभी प्रादेशिक भाषाओं और अंग्रेजी में आयोजित की जानी चाहिए और इसके लिए एक आधुनिक पाठ्यचर्या तथा प्रश्न पत्र निर्धारित करने की उत्तम प्राविधियां, मूल्यांकन और अपरिष्कृत विषयों की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। एक ऐमा प्रमाणपत्र जिसमें केवल ग्रेड निहित हो उन भाग लेने वालों को जारी किया जाना चाहिये जो उच्च ग्रेड प्राप्त करें। इस परीक्षा में जो कोई भी बैठना चाहे, उसे ऐसा करने की खुली छूट हो।

(9) उन छात्रों के लिये जो किसी संस्थान में दाखिला पाने में असफल रह जाते हैं, आगे अध्ययन करने हेतु व्यापक रूप में पत्राचार पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिये तथा इन पाठ्यक्रमों का आयोजन खुला विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना चाहिये ताकि वे छात्र जो ऐसा करने चाहे, ऐसे विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं में बैठकर नामांकित अथवा उपस्थित की औपचारिकताओं के बैगर भी डिग्री प्राप्त कर सकें।

दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान में "पर्चेज फाईल" पर कार्यवाही

881. **श्री एम० कत्तामुत्तु :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा "पर्चेज फाईल' पर विलम्ब से कार्यवाही के कारण इस संस्थान को भारी हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) दिल्ली नगर निगम की दिल्ली जल पूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचना दी है कि प्रत्येक खरीदी गई मद की अलग अलग फाईल है। यदि खरीद करने में कोई विलम्ब होता है जिस से संस्थान को हानि होती हो तो जल पूर्ति तथा मल व्ययन समिति एक विस्तृत रिपोर्ट मांगती है तथा आयुक्त, दिल्ली नगर निगम द्वारा उसके लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करना अपेक्षित होता है। क्योंकि प्रश्न में "खरीद फाईल" का कोई विशेष ब्यौरा नहीं दिया गया, अतः प्रश्न का उत्तर और अधिक विस्तारपूर्वक देना संभव नहीं है।

दिल्ली में देश भक्तों की कांस्य प्रतिमाओं की स्थापना

882. **श्री वरके जार्ज :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 सितम्बर, 1974 के एक अंग्रेजी दैनिक में छपे समाचार के अनुसार अप्रैल, 1975 तक दिल्ली को भारतीय देशभक्तों की कांसे की नौ प्रतिमाएं प्राप्त हो जायेंगी ;

(ख) क्या उन के प्राप्त होने से अंग्रेजी शासकों के बुतों को हटाये जाने से रिक्त हुए स्थान पूरे हो जायेंगे; और

(ग) क्या इन प्रतिमाओं में से एक प्रतिमा श्री जवाहरलाल नेहरू की भी होगी और यदि नहीं, तो दिल्ली नगर निगम ने उसकी उपेक्षा क्यों की है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं; लेकिन दिल्ली नगर निगम श्री जवाहरलाल नेहरू की भी प्रतिमा स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर अलग से विचार कर रहा है ।

कृष्णा और कावेरी के साथ गोदावरी के बेसिन से नदी जल का वितरण

883. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री जी० के० जाफर शरीफ :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मालूम है कि कर्नाटक तथा तमिलनाडु क्षेत्र में कृष्णा और कावेरी सहित गोदावरी के बेसिन को तकनीकी रूप से व्यवहार्य पाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन नदियों के बेसिनों से इन तीनों नदियों के बारे में आपसी सहमति से पानी के वितरण के लिए एक सांविधिक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करेगी जिसमें महाराष्ट्र आंध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु इन चारों राज्यों के प्रतिनिधि होंगे ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) संबद्ध राज्यों के बीच गोदावरी जल के आबंटन का मामला इस समय गोदावरी जल-विवाद न्यायाधिकरण के न्यायनिर्णयाधीन है । कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपनी रिपोर्ट पहले ही दे दी है और वाकी राज्यों तथा भारत सरकार द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरणों पर इस समय न्यायाधिकरण विचार कर रहा है । जहां तक कावेरी जल का संबंध है, संबंधित तीनों राज्यों द्वारा वर्तमान और प्रस्तावित समुपयोजन में यथा संभव किफायत करने पर शीघ्र ही कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करना प्रस्तावित है ।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गन्नें तथा आलू की अधिक उपज देने वाली नई किस्में

884. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि अनुसन्धान केन्द्रों ने गन्ने की अधिक उपज देने वाली नई किस्मों— दो सन हैम्प की तथा एक आलू की—का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के गन्ना, जूट और आलू से संबंधित संस्थान और परिषद द्वारा आरम्भ की गई इन फसलों से सम्बन्धित अखिल भारतीय समन्वित फसल सुधार प्रायोजनायें इन जिन्सों की नई किस्में विकसित कर रही हैं ।

गन्ना

1973 के दौरान गन्ने की जिन 36 किस्मों का चयन किया गया था, उनकी पैदावार और अन्य सस्य-गुणों की जांच देश के विभिन्न भागों में की गई है। इनमें से, गन्ने की 10 किस्में जल्दी तैयार होने वाली हैं। और इनमें चीनी की मात्रा 19 से 70 प्रतिशत तक है। इनमें से कुछ किस्में 10 महीने में तैयार हो जाती है। रिलीज होने से पहले इन किस्मों का और आगे मल्यांकन किया जा रहा है।

सनई

खेती के लिये सनई की दो नई किस्मों की सिफारिश की गई है। ये किस्में **छिन्दवाड़ा** और **के० 12 यलो** हैं। इनमें से **चिन्दवाड़ा** को मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में उगाने की सिफारिश की गई है। **के० 12 यलो** किस्म को उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ और वाराणसी पट्टी में उगाने की सिफारिश की गई है।

आलू

केन्द्रीय आलू अनसंधान संस्थान से जनवरी 1973 में आलू की दो नई किस्में--**कुफरी लौकार और कुफरी देवा** रिलीज की गई थीं। **कुफरी लौकार** किस्म के कन्द लम्बे और उजले होते हैं, जो जल्दी बड़े हो जाते हैं। इसे महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्रों में रबी और मानसून मौसम में उगाने की सिफारिश की गई है। **कुफरी देवा** में अधिक पैदावार देने वाली और सामान्य भंडारगृह में अधिक तापमान पर भी अच्छी तरह भंडारित की जा सकने योग्य **कुफरी देवा** को तराई क्षेत्र में और उन क्षेत्रों में, जहां फुलवा की मांग है, उगाने की सिफारिश की गई है। इस किस्म में खेत में उचित अंश में पाला सहने की क्षमता भी है।

डिप्लोमा धारी इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने के लिये केन्द्रीय सहायता

885. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान डिप्लोमा धारी इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने के लिये कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता राज्यवार दी गई;

(ख) प्रत्येक राज्य ने कितनी कितनी राशि का उपयोग किया; और

(ग) इस योजना से इंजीनियरों की बेकारी की समस्या को किस सीमा तक हल किया जा सका है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) इंजीनियरी में डिग्री तथा डिप्लोमा धारियों के लिये शिक्षुता प्रशिक्षण का कार्यक्रम एक केन्द्रीय योजना है। उक्त योजना के अन्तर्गत राज्यवार कोई धन आबंटित नहीं किया जाता है। इस प्रयोजन के लिये कानपुर, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में शिक्षुता प्रशिक्षण के चार क्षेत्रीय बोर्डों के माध्यम से इस योजना का संचालन मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इंजीनियरी में डिग्री तथा डिप्लोमा धारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधाय प्रदान की जाती हैं ताकि उन्हें लाभप्रद रोजगार के लिये उपयुक्त बनाया जा सके। प्रशिक्षण की अवधि पाठ्यक्रम शुरु होने से एक वर्ष की होती है। इस योजना से इंजीनियरों को रोजगार प्राप्त करने में पर्याप्त सहायता मिली है।

43 LSS/74—6

केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों की कमी

८८७. **श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले :**

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

श्री बरके आर्ज :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों (चावल तथा गेहूं) की कमी के कारण राज्य में राशन व्यवस्था स्थगित कर दी गई है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य में खाद्य स्थिति में सुधार लाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क), (ख) और (ग) केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गेहूं की कोई कमी नहीं हुई है। केन्द्रीय पूल में चावल के स्टाक की समूची तंगी के कारण भारतीय खाद्य निगम के लिये केरल के डिपो में चावल का पर्याप्त स्टाक भेजना सम्भव नहीं था। तथापि राज्य को चावल की सप्लाई में कमी को गेहूं की अतिरिक्त सप्लाई दे कर पूरा किया गया था। नई खरीफ फसल की अधिप्राप्ति शुरू होने से केरल के डिपो को चावल की पर्याप्त मात्रायें भेजने के लिये प्रबन्ध किये गये हैं। केरल के डिपो को गेहूं की पर्याप्त मात्रायें भेजने की भी योजना बनाई गई है।

राज्य में खाद्यान्नों की उपलब्धता सुधारने के लिये केरल सरकार को चालू मौसम में व्यापारिक खाते में लगभग 71,000 मीटरी टन गेहूं का आयात करने की अनुमति दी गई थी।

Discontentment among growers on increase in sugar price made by Government

887. **Shri Chandu Lal Chandrakar :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether there is great discontentment prevailing among sugar-cane growers as a result of 6 per cent increase made by Government in the sugar-cane price;

(b) whether sugarcane growers propose to take some agitational steps in this regard; and

(c) if so, the steps being taken by Government to remove their discontentment?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Shahnawaz Khan) : (a) to (c) Government have received reports about the discontentment prevailing among sugarcane growers in some States and of their intention to resort to agitation. What the Central Government have fixed is only the minimum cane price. Under the system of partial control which will continue to be in force in 1974-75 season also, the factories are expected to pay higher prices than the notified minimum as in the past. The State

Governments are advising the industry suitably in the matter wherever necessary. In any case, by a statutory order passed recently, the factories have been required to share with the cane-growers half of their excess realisation from the sale of free sale sugar by way of additional cane price.

चीनी का उत्पादन तथा उसके दोहरे मूल्य

888. **श्री वेंकटासुब्बैया :**

श्री वनमाली पटनायक :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में चीनी का कितना उत्पादन होने की आशा है;

(ख) निर्यात के लिये कितनी चीनी का नियतन किया गया है; और

(ग) चीनी की दोहरी मूल्य प्रणाली को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) इस समय 1974-75 मौसम (पहली अक्तूबर, 1974 से 30 सितम्बर, 75 तक) के दौरान लगभग 38 लाख मी० टन चीनी होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) अभी तक निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) फिलहाल, चीनी के आंशिक नियंत्रण को समाप्त करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Implementation of Kothari Commission Recommendations by States

† 889. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the number of occasions and the dates on which the Central Government gave directions to the State Governments for implementing the recommendations of the Kothari Commission in full; and

(b) the reaction of the State Governments thereto?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Professor S. Nurul Hasan) : (a) and (b) The views of the Central Government on the major recommendations of the Education Commission have been incorporated in the Government Resolution on National Policy on Education which was placed on the Table of the House on 24th July 1968. The National Policy Resolution was forwarded to the State Governments on 25th July 1968. On several occasions the State Governments have been requested to report the progress of implementation of the Resolution on the National Policy on Education. The question, however of giving any direction does not arise.

To the extent resources permit, the State Governments are, by and large, trying to implement these recommendations, subject to certain variations necessitated by local conditions and needs.

It may also be stated that the full implementation of all recommendations contained in the Resolution on National Policy on Education is a continuous and long-term process which will extend over successive Five Year Plans.

गुजरात में अनाज की कमी

890. **श्री के० एस० चावड़ा:** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात राज्य में चालू वर्ष में अनुमानतः कितने अनाज का उत्पादन होगा तथा उसकी कितनी आवश्यकता होगी और कितनी कमी रहेगी;

(ख) देश में अनाज की आवश्यकता का पता लगाने के लिये क्या मापदण्ड है; और

(ग) सरकार द्वारा गुजरात राज्य के बाहर से अनाज की औसतन कितनी मासिक आवश्यकता पूरी की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) और (ख) किसी वर्ष विशेष में अभाव अथवा कमी खाद्यान्नों के उत्पादन और उनकी आवश्यकता पर निर्भर करती है। वर्ष 1974-75 के लिये खाद्यान्नों के उत्पादन सम्बन्धी अनुमानों के चालू कृषि वर्ष अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1975 के अन्त तक उपलब्ध होने की सम्भावना है। खाद्यान्नों तथा अन्य वैकल्पिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, उनके तुलनात्मक मूल्यों; आय स्तर, जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण की रफ्तार आदि पर निर्भर करते हुए खाद्यान्नों की आवश्यकतायें काफी हद तक लचीली होती हैं और वे प्रत्येक राज्य में तथा प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। अतः चालू वर्ष के लिये गुजरात की खाद्यान्नों की जरूरत के बारे में ठीक-ठीक मात्रात्मक अनुमान लगाना संभव नहीं है।

फिर भी, सामान्य वर्ष अवधि में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति स्थानीय उपलब्धता को ध्यान में रख कर खाद्यान्नों की आवश्यकता सम्बन्धी कुछ कच्चे अनुमान तैयार किये जाते हैं।

(ग) खाद्यान्नों की कमी को केन्द्रीय पूल से आवंटनों और राज्य सरकारों द्वारा अपने तौर पर और अपने खाते पर खरीदारी से पूरा किया जाता है। जनवरी से नवम्बर की अवधि के लिये गुजरात को केन्द्रीय पूल से 57,000 मीटरी टन से थोड़े अधिक खाद्यान्नों का औसत मासिक आबंटन किया गया था। बताया जाता है कि केन्द्रीय आबंटन के अलावा, 1973-74 के दौरान राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से 78 हजार मीटरी टन से अधिक खाद्यान्न खरीदे हैं।

Patna Town Slum Clearance Plan

892. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Works & Housing** be pleased to state:

(a) whether the Government of Bihar had submitted a scheme to him under the Patna town slum clearance plan;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri Mohan Dharia) : (a) to (c) After the transfer of the Slum Clearance/Improvement Scheme to the State Sector w.e.f. 1st April, 1969, the State Governments are not required to send their projects under the Scheme to the Government of India for approval.

केन्द्रीय शिक्षा संस्थान को दिल्ली विश्वविद्यालय को सौंपना

893. **श्री यमुना प्रसाद मंडल:**
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा संस्थान को, जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद के अधीन थी, इस बीच दिल्ली विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है। अरविंद मार्ग परिसर में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना के बाद, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान को दिल्ली विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित करना वांछनीय समझा गया था जैसी कि यूनेस्को विशेषज्ञ ने सिफारिशें की थी, जिसने इस मामले की विस्तार से जांच की थी।

बम्बई में सासून गोदी में मछली पकड़ने का पतन

894. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई में सासून गोदी में मछली पकड़ने के लिये एक पत्तन का विकास करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : योजना आयोग के इस नये निर्णय को दृष्टिगत रखते हुये कि इस क्षेत्र में मत्स्य बन्दरगाह की तात्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सासून गोदी का विकास किया जाना चाहिये, बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने सासून गोदी में अच्छे मौसम में गहन समुद्र में मछली पकड़ने के बन्दरगाह के लिये 6 करोड़ रुपये का एक संशोधित प्राक्कलन तैयार किया है। तकनीकी दृष्टि से इसे स्वीकृति मिल गई है। इस परियोजना पर धन निवेश सम्बन्धी निर्णय पर विचार किया जायेगा।

कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर

895. **श्री वसंत साठे :**
श्री घामनकर :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं योजना के दौरान नागपुर में एक कपास (काटन) अनुसन्धान संस्थान स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक राष्ट्रीय कपास अनुसन्धान संस्थान की स्थापना की योजना तैयार की है। जिस पर एक करोड़ रु० की लागत आने पर अनुमान है। इसलिये 1974-75 के दौरान परिषद ने 13 लाख रु० देने का प्रस्ताव किया है परिषद के अनुरोध पर महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में इस कार्य के लिये भूमि देना स्वीकार कर लिया है, जहां पर संस्थान का मुख्य भवन बनाने का प्रस्ताव है। इसे योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति दे दी है और अब वित्त मंत्रालय द्वारा इसकी जांच पड़ताल की जा रही है।

कपास प्रोटीन का स्रोत

896. **श्री बसंत साठे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कपास सम्बन्धी तथ्य जानने हेतु किये गये अध्ययन के द्वारा हाल में प्रकाश में आये निष्कर्षों को दृष्टिगत रखते हुये देश के कपास उगाने वाले क्षेत्रों में कपास को प्रोटीन के स्रोत रूप में विकास करने के लिये क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) बिनौले को प्रोटीन के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में सरकार परिचित है और मानव उपभोग के लिये देशी बिनौले से खाने योग्य आटा तयार करने से सम्बन्धित अनुसन्धान और विकास कार्य को शुरू किया गया है।

हैदराबाद में स्थित क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला और राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान में अनुसन्धान और विकास कार्य प्रगति पर है।

ताजमहल के मुख्य प्रवेश द्वार से गायब संगमरमर

897. **श्री सरजू पांडे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा बताये गये इस तथ्य की जानकारी है कि ताजमहल के मुख्य प्रवेश द्वार से काले संगमरमर के कुछ हिस्से गायब हैं;

(ख) क्या रौजा के मुख्य प्रवेश द्वार पर फूलों के नमूने में प्रयुक्त इन टुकड़ों को विदेशी पर्यटकों को मूल्यवान स्मारिकाओं के रूप में बेचा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस मामले में क्या कड़े सुरक्षा उपाय अपनाये गये हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) सरकार को इस बात की जानकारी कि मसाला क्षीण होने के कारण ताजमहल के मुख्य प्रवेश द्वार से संगमरमर जड़ित कुछ टकड़े गिर गये थे। इन टुकड़ों को सावधानीपूर्वक एकत्र किया गया है तथा इनमें से, ऐसे टुकड़ों को, जो पूर्ण हैं अथवा जिनका उपयोग किया जा सकता है, फिर से उनके स्थानों पर लगाया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, ताजमहल पर तैनात निगरानी कमचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिये सतर्क कर दिया है कि उक्त स्मारक में किसी प्रकार का कोई मानव द्वारा विनाश न हो।

अरुणाचल प्रदेश में कालेजों का उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध किया जाना

898. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में कुछ कालेजों ने उस उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय के साथ सम्बन्ध होने है का अनुरोध नहीं किया है जो उस क्षेत्र के लिये बनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन कालेजों के नाम क्या हैं; और

(ग) उन कालेजों, द्वारा इस विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध होने से इन्कार किये जाने के क्या कारण है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नरुल हसन) : (क) से (ग) जवाहर लाल नेहरु कालेज, पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश में एक मात्र कालेज) ने अभी तक उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति नहीं मांगी है क्यों कि अरुणाचल प्रदेश परिषद ने निर्णय किया है कि उक्त कालेज गोहाटी विश्वविद्यालय, गोहाटी से ही सम्बद्ध रहे।

दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों की समस्याओं की जांच के लिए समिति का गठन

899. **श्री सरजू पांडे :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों की समस्याओं पर विचार करने लिए एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो सदस्यों के नाम क्या हैं और समिति को क्या विषय निर्देशित किये गये हैं;

(ग) समिति ने क्या प्रक्रिया अपनाई है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या समिति के सदस्यों ने विभिन्न अनाधिकृत कालोनियों का दौरा किया था और वे वहां पर लोगों के प्रतिनिधियों से मिले थे;

(ङ) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) समिति के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं:—

1. श्री ए० एन० बनर्जी, अध्यक्ष
2. श्री जगमोहन, सदस्य
3. श्री एस० एम० शफी, सदस्य

समिति से कहा गया है कि वे, दिल्ली में समय-समय पर विशेषकर 15 जून, 1972 से पहले बनीं सभी अनाधिकृत कालोनियों के प्रत्येक मामले का पृथक-पृथक रूप से अध्ययन करें ताकि सरकार ऐसी कालोनियों के भविष्य पर कोई निर्णय ले सके।

(ग) से (च) समिति को, अपनी रिपोर्ट देने के लिये 3 महीने का समय दिया गया है जो अभी समाप्त नहीं हुआ है। समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए उर्वरकों का किफायती उपयोग

900. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने उपलब्ध उर्वरकों को मितव्ययतापूर्वक प्रयोग द्वारा उत्पादिता अधिकतम करने के सम्बन्ध में कृषकों को प्रबन्धकीय शिक्षा देने का कार्य हाथ में लिया है;

(ख) क्या इस कार्य में सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अन्य राज्यों में भी इसे चालू करने का है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक इनके परिणामों के मूल्यांकन नहीं किये गये हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

वन विकास योजनाओं पर किया गया व्यय

901. **श्री देवेन्द्र नाथ महाता :**
श्री लूतफल हक :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान वन विकास योजना हेतु विशेषकर पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व क्षेत्र राज्यों के सन्दर्भ में राज्यवार कुल कितना धन आबंटित और व्यय किया गया?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों की जानकारी एकत्रित की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वानिकी बोर्ड

902. **श्री देवेन्द्र नाथ महाता :**
श्री लुतफल हक :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वानिकी (फारस्ट्री) बोर्ड का क्या कारण है और इसके सदस्यों के क्या नाम हैं;

(ख) क्या हाल ही में बोर्ड की कोई बैठक हुई थी, और यदि हां, तो उसमें क्या चर्चा हुई और उसमें कौन-कौन सम्मिलित हुये; और

(ग) बैठक के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) भारत सरकार के 27 मई, 1974 के प्रस्ताव संख्या सी 11013/4/73-एफ आर वाई (एफ०डी०) की एक प्रति संलग्न है। (अनुबन्ध 1)। इसमें केन्द्रीय वानिकी बोर्ड के कार्य और गठन सम्बन्धी विवरण दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8487/74]**

(ख) जी हां। बोर्ड की 14वीं बैठक 14 और 15 अक्तूबर, 1974 को नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में जिन मदों पर विचार किया गया था, उनकी सूची (अनुबन्ध 2) और इस में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नामों की सूची (अनुबन्ध 3) संलग्न है।

(ग) बोर्ड की सिफारिशों का क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और सम्बन्धित मंत्रालयों ने करना है, जिन्हें तत्सम्बन्धी सिफारिशें भेजी जाती हैं।

शीघ्र बढ़ने वाली जाति के पौधों का रोपण

903. **श्री देवेन्द्र नाथ महाता :**

श्री लुतफल हक :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वानिकी विकास योजना के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाली जाति के पौधों के रोपण की दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) गत तीन वर्षों में इसके लिये वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई ; और

(ग) इस योजना के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि का नियतन किया गया और कितनी धनराशि व्यय हुई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) वनों पर आधारित उद्योग, और विशेषकर लुगदी तथा कागज उद्योग को कच्ची सामग्री की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये यूकेलीप्टस, पोपलर, बांस आदि शीघ्र बढ़ने वाली किस्मों के पौधों लगाने के लिये तीसरी योजनावधि के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 'शीघ्र बढ़ने वाली जाति के पौधों की रोपाई' नामक एक योजना शामिल की गई थी। यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 1968-69 तक चालू रही। वर्ष 1969-70 से अर्थात् चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरू से यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में चालू न रह कर इसे राज्य क्षेत्र योजना के रूप में जारी रखा गया।

(ख) तथा (ग) : राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोगों हेतु वनारोपण

904. **श्री देवेन्द्र नाथ महाता :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राज्यों में वन विकास के अन्तर्गत औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपयोगों हेतु इकनामिक प्लांटेशन करने सम्बन्धी योजना को क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और राज्यवार कुल कितना नियतन किया गया तथा योजना अवधि के दौरान अब तक राज्य द्वारा कुल कितना व्यय किया गया; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस योजना के सम्बन्ध में राज्यवार कार्यक्रम क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय सभी राज्यों में वन विकास के अन्तर्गत औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपयोगों के लिये मितव्ययी आधार पर पेड़ लगाने की योजना क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) तथा (ग) औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हर योजना के अन्तर्गत सागौन, साल, सिस्सू, गुलाब की लकड़ी, देवदारू आदि और अन्य विशेष किस्मों को उगाया जा रहा है।

वर्ष 1974-75 के दौरान निर्धारित, खर्च और कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूरी जानकारी सम्बन्धित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से एकत्रित की जा रही हैं और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिमी बर्लिन संग्रहालयों के महानिदेशक राष्ट्रीय संग्रहालय के बारे में विचार

905 **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री राम सहाय पान्डे :
श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी :
क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अक्तूबर, 1974 के एक अंग्रेजी दैनिक सामचार पत्र में "नैशनल म्यूजियम फाल्स बिहाइंड ग्लोबल स्टेण्डर्ड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें हाल ही में पश्चिम बर्लिन के संग्रहालय के महानिदेशक द्वारा व्यक्त विचार बताए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में **उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव)** : (क) और (ख) जी, हां। पश्चिम बर्लिन संग्रहालयों के महानिदेशक ने अनौपचारिक चर्चा में वातानुकूलन सुविधाओं की कमी, संग्रहालय में प्रदर्शित कला वस्तुओं पर अपर्याप्त पृष्टभूमिक सूचना और पुरानी कला वस्तुओं के परिरक्षण के लिये और अधिक अनुसंधान की आवश्यकता के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये थे।

पहली और दूसरी मंजिलों पर, राष्ट्रीय संग्रहालय की वीथियों से हाल ही में वातानुकूलन की व्यवस्था की गई है। संग्रहालय ने प्रदर्शित कलावस्तुओं के लिये सामान्य नामपत्रों, महत्वपूर्ण नामपत्रों और अलग-अलग नामपत्रों की व्यवस्था की है। विशेष प्रदर्शनियों के अवसर पर सूचनात्मक विवरणिकाएं और पुस्तिकाएं भी प्रकाशित की जाती हैं। वीथियों में स्थाई प्रदर्शनियों के सम्बन्ध में उचित मूल्य की मार्गदर्शक पुस्तक भी उपलब्ध होती है। संग्रहालय में संरक्षण प्रयोगशाला है जो कला वस्तुओं के परिरक्षण के क्षेत्र में लाभप्रद कार्य कर रही है।

संकर बीजों को बदलने के बारे में डा० नार्मन बोरलाग का वक्तव्य

906 **श्री दिनेश सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विख्यात वैज्ञानिक डा० नार्मन बोरलाग का यह वक्तव्य देखा है कि अधिक उपज तभी निरन्तर प्राप्त की जा सकती है यदि संकर किस्म के बीच प्रति तीन वर्षों के पश्चात् बदले जाएं; और

(ख) यदि हां, तो भूमि की कृषि उत्पादकता बनाए रखने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जी, हां।

(ख) गेहूं की बौनी किस्मों की अधिक उपज देने की क्षमता को लम्बे समय तक बनाए रखने की आवश्यकता को महसूस करते हुए गेहूं उगाने वाले राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गए हैं।

(1) गेहूं की किस्मों की अधिक उपज देने की क्षमता को बनाए रखने की नजर से आनुवंशिक शुद्धता को कायम रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अतः किसानों को निश्चित रूप से उत्तम क्वालिटी का बीज मुहैया करने के विचार से प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम का तीव्रता से विस्तार किया गया है।

(2) गेहूं की कल्याण सोना, सोनालिका और शर्बती सोनोरा किस्म की नई प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिसमें रतुआ जैसे प्रमुख रोगों की काफी अधिक प्रतिरोधी शक्ति है और इसके साथ ही इन व्यापारिक किस्मों के वांछित गुण भी इनमें मौजूद हैं। अभी इन नई प्रजातियों का संवर्धन किया जा रहा है, ताकि ये उक्त पुरानी किस्मों की जगह उगाई जा सकें।

गेहूं की अधिक उपज देने वाली और रतुआ जैसे कुछ सामान्य रोगों की प्रति रोधी किस्में विकसित करने के लिये बड़ी तेजी से प्रयत्न किये जा रहे हैं। इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप, कई नई किस्में जैसे यू०पी० 301, यू०पी० 215, जनक गिरिजा, यू०पी 310, यू०पी० 319, के० 816, मालविका, शेरा, मेघदूत, जे० 1-7, जे० 24, जे० 40, एन०आई० 5643, बी०एल० 401, बी०एल० 404 विकसित की गई । इन किस्मों की उपज कल्याण सोना की अपेक्षा अधिक होती है और इनमें रतुआ रोग सहन करने की क्षमता भी अपेक्षया अधिक होती है। रिलीज करने से पहले इन किस्मों के बीजों के संवर्धन का काम शुरू कर दिया गया है।

लुधियाना में, अगस्त 1974 में गेहूं पर हुई अखिल भारतीय कार्य गोष्ठरी में विस्तृत रूप से संवर्धन और रिलीज करने के लिये गेहूं की निम्नलिखित उन्नत किस्मों का पता लगाया गया :--

एच डी--2009 (अर्जुन), राज--911,
एच डी--1981 (प्रताप), एच आई--385 और शैलजा।

बिहार में ग्रामीण आवास परियोजना योजना के अन्तर्गत आवास प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता

908. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से ग्रामीण आवास परियोजना के अन्तर्गत निम्न आय वर्ग के लोगों, हरिजनों और समाज के दलित वर्गों को आवास प्रदान करने हेतु अधिक वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस संबंध मे क्या प्रतिक्रिया है।

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) दो आवास योजनाएं हैं;

(i) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम तथा;

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना, जिनके अन्तर्गत बिहार सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास तथा आवास-स्थल देने सम्बन्धी कार्यक्रम आरम्भ कर सकती है। दोनों ही योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं। सभी राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिये

जिसमें ग्रामीण आवास शामिल हैं, राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा दी जाती है। राज्य सरकारें विभिन्न राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिये जिसमें ग्रामीण आवास शामिल हैं, उन द्वारा निर्धारित की जाने वाली आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार निधियों का नियतन करने में स्वतन्त्र हैं। तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने के इस न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के महत्व को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों के वार्षिक प्लान नियतनों में पृथक तथा विशिष्ट निधियां निर्धारित की जाती हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास फ्लेटों के नियतन के लिए विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत निलंबित पड़े प्रार्थनापत्र

909. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास जनवरी, 1973 से मध्य आय, निम्न आय और जनता वर्ग के अन्तर्गत फ्लेटों के आवंटन के लिये कुल कितने प्रार्थनापत्र निलम्बित पड़े हैं;

(ख) ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों को कब तक फ्लेटों का आवंटन किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) फ्लेटों के आवंटन के लिये नए पंजीकरण के कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सूचना नीचे दी जाती है :—

मध्यम आय वर्ग	5748
निम्न आय वर्ग	4810
जनता	4686

(ख) यह बताना कठिन है कि सभी पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लेटों का अवंटन कब तक हो जाएगा।

(ग) नया पंजीकरण करने के बारे में निर्णय अभी लिया जाना है।

वर्ष 1973-74 के दौरान भारत में आए विदेशी विद्वान

910. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973-74 के दौरान अनुसंधान अथवा अध्ययम कार्य के लिये कुल कितने विदेशी विद्वान्, विद्यार्थी और विशेषज्ञ भारत में किन-किन देशों से आए ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री० एस० नुरुल हसन) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

उड़ीसा को वनस्पति की अतिरिक्त मात्रा

911. **श्री अनादि चरण दास :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तिमाही को उड़ीसा को वनस्पति की कमी का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मांग की पूर्ति के लिए उड़ीसा वनस्पति की अतिरिक्त मात्रा का नियतन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी मात्रा का नियतन किया जा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) वनस्पति के कम उत्पादन के कारण सारे देश भर में विभिन्न परिमाण में वनस्पति की कमी महसूस की गई थी और यह कमी केवल उड़ीसा तक सीमित न थी।

(ख) और (ग) वनस्पति के वितरण पर कोई केन्द्रित नियंत्रण नहीं है। अतः उड़ीसा को वनस्पति का आवंटन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में कपास और कपास बीजों का उत्पादन

912. श्री अनादि चरण दास :

***श्री पी० गंगा देव :**

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में कपास उत्पादक किसानों को कुल कितने कपास के बीजों का वितरण किया गया; और

(ख) उड़ीसा राज्य में किन-किन किस्मों की कपास की उपज होती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य में केवल पिछले साल से ही कपास का नई फसल के रूप में प्रचलन और विकास हुआ है। चालू वर्ष के दौरान, विभिन्न किस्मों के लगभग 50 क्विंटल बीज, (अर्थात्, एम० सी० यू-5, कृष्णा, वी-147, वी-1007 और ऐ० के० 235) विभिन्न राज्यों से प्राप्त करके किसानों को वितरित किये गए थे।

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं

913 श्री अनादि चरण दास :

श्री पी० गंगा देव :

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में छोटे कृषकों और किसानों को सहायता देने के लिये सिंचाई परियोजनाओं के लिये कोई व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की व्यवस्था की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) से (ग) छोटे किसानों के लिये प्रारम्भ किये गए लघु सिंचाई कार्यक्रम ये हैं :—

(i) लघु कृषक विकास अभिकरण (एस० एफ० डी० ए०); और

(ii) उपांतिक कृषक और कृषि श्रमिक अभिकरण (एम० एफ० ए० एल०)।

इन स्कीमों के अन्तर्गत विभिन्न सैक्टरों के लिये कोई पृथक् योजनावार प्रावधान नहीं है।

इन स्कीमों के अन्तर्गत राज्य के लिये 1974-75 वर्ष के लिये 108.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, वृहत्, मध्यम और लघु सिंचाई कार्यों के सामान्य कार्यक्रम से भी छोटे किसानों को लाभ प्राप्त होंगे।

अनौपचारिक शिक्षा के लिए व्यवस्था

914. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1974-75 (पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष) में अनौपचारिक शिक्षा देने के लिए कोई व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितना नियतन किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) शिक्षा राज्य का विषय होने के कारण, अनौपचारिक तथा औपचारिक शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, प्रारम्भिक अनुभव के लिए, भारत सरकार का प्रस्ताव प्रत्येक राज्य में अनौपचारिक शिक्षा की कुछ आदर्श परियोजनाएं प्रायोजित करने का है। योजना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

कलकत्ता विश्वविद्यालय

915. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान मानने अथवा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नवीनतम प्रगति क्या है ; और

(ग) क्या सरकार को उक्त प्रस्तावों के संबंध में सिंडिकेट के एक विभाग की प्रतिकूल प्रतिक्रिया की भी जानकारी है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) भारत सरकार को कलकत्ता विश्वविद्यालय अथवा पश्चिम बंगाल सरकार से अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नागार्जुनसागर परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये

916. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि नागार्जुन सागर परियोजना को पूरा करने के लिए पांच वर्षों के लिए प्रति वर्ष 15 करोड़ की धनराशि दी जाए जिसके बदले में राज्य सरकार केन्द्रीय पूल के लिए प्रति वर्ष 10 लाख टन चावल देगी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फतहपुर राजस्थान में भेड़ प्रजनन फार्म के लिए सोवियत सहायता

917. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान के सीकर जिले में फतेहपुर के स्थान पर रूस की सहायता से भेड़ प्रजनन फार्म बनाने का है, और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) सीकर स्थित फार्म का अधिक विकास करने के प्रस्ताव की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :–

(1) वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान रूस से क्रमबद्ध ढंग से 2,000 रूसी मेरिनो भेड़ें आयात की जायेंगी :––

1975-76	500 मेरिनो भेड़ें
1976-77	1,000 मेरिनो भेड़ें
1977-78	500 मेरिनो भेड़ें

इसके अतिरिक्त वर्ष 1974-75 के दौरान रूस से 554 मेरिनो भेड़ें आयात की गई हैं और उन्हें इस फार्म में रखा गया है।

(2) इस फार्म के लिए 1,000 कराकुल भेड़ें प्राप्त करने का भी विचार है, जैसा कि नीचे दिया गया है :

1976-77	500 कराकुल भेड़ें
1977-78	500 कराकुल भेड़ें

(3) राजस्थान सरकार के एक अधिकारी को भेड़ तथा उन के विषय में रूस में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(4) इस फार्म के लिए रूस का अपने विशेषज्ञों की सहायता देने का भी प्रस्ताव है। इन विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग भेड़ों के प्राप्त होने पर किया जायेगा।

राजस्थान में कपास और कपास के बीजों का उत्पादन

918. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में कपास उत्पादक किसानों को कुल कितने कपास के बीजों का वितरण किया गया; और

(ख) राजस्थान राज्य में कपास की कितनी किस्मों की उपज होती है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) राजस्थान में इस वर्ष (1974-75) अब तक 21,182 क्विटल कपास के उन्नत बीजों का वितरण किया गया है।

(ख) इस समय राजस्थान में कपास की निम्नलिखित सात मुख्य किस्में उगाई जाती हैं :–

सी––इन्दोर-1

320-एफ

विरनार

आर०एस०-89

दिग्विजय

गंगानगर-1

पी०एस०टी-9

राजस्थान को वनस्पति की अतिरिक्त मात्रा

919. **श्री. श्रीकिशन मोदी :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तिमाही में राजस्थान को वनस्पति की कमी का सामना करना पड़ा है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मांग की पूर्ति के लिए राजस्थान को वनस्पति की अतिरिक्त मात्रा का नियतन करने का है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) कम उत्पादन होने के कारण वनस्पति की कमी को विभिन्न परिमाणों में देश भर में महसूस किया गया था न कि केवल राजस्थान में ही।

(ख) वनस्पति के वितरण पर कोई केन्द्रीयकृत नियंत्रण नहीं है। अतः राजस्थान को वनस्पति का आवंटन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

वसूली उपायों के विरोध में भारत कृषक संघ की धमकी

920. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत कृषक संघ ने सरकार द्वारा अपनाए गए वसूली उपायों के विरोध में 1 दिसम्बर, 1974 से सभी राज्यों की राजधानियों में "वैकितक सत्याग्रह" प्रारम्भ करने की धमकी दी है, और

(ख) यदि हां, तो ऐसी धमकियों से अनाज की वसूली में बाधा न पड़े इसके लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) (क) भारत सरकार को अब तक ऐसी कोई धमकी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री पूर्वपाठ्यक्रमों का पुनर्निधारण

921. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा डिग्री पूर्वस्तर के, विशेष रूप से विज्ञान ग्रुप में, वर्तमान पाठ्यक्रमों को कार्य-सक्षम और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए उनका पुनर्निर्धारण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में अब तक कोई कार्यवाही की गई है?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) सामान्य शिक्षा को रोजगार के उद्देश्य की प्रेरणा के साथ परस्पर जोड़ने की दृष्टि से विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक शिक्षा के कालेज में, पर्यटन, पुस्तकप्रकाशन, बीमा तथा स्नोतविक्रय व व्यापार आदि जैसे कुछ व्यावसायिक विषयों को अवरस्नातक अध्ययन (बी०ए० पास) के एक अभिन्न अंग के रूप में पहले ही प्रारम्भ कर दिया है। विज्ञान विषयों में रोजगार रोन्मुख पाठ्यक्रम सुझाने के लिए, विश्वविद्यालय ने एक समिति का गठन किया है। विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय ने भी, अवरस्नातक स्तर पर विज्ञान विषयों में अध्ययन पाठ्यक्रमों के पुनर्नुस्थापन के लिए एक उप-समिति गठित की है।

रूई का उत्पादन

923. **श्री सरदार महेन्द्र सिंह गिल** :
श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री अनादि चरण दास :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अच्छी मिट्टी और जलवायु के बावजूद भारत पिछले दशक के दौरान रूई का उत्पादन नहीं सुधार सका है जिसके परिणामस्वरूप रूई का आयात निरन्तर बढ़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अत्यधिक आवश्यक विदेशी मुद्रा की बचत करने हेतु इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी, नहीं। सही स्थिति यह है कि कपास का उत्पादन, पिछली दशाब्दी के दौरान, वास्तव में काफी बढ़ गया है। वर्ष 1965-66 में उत्पादन 45.82 लाख गांठें था। 1973-74 के दौरान यह उत्पादन बढ़कर 58.19 लाख गांठें हो गया। 1971-72 के दौरान वास्तव में 65.64 लाख गांठों का रिकार्ड उत्पादन हुआ था। 1963-64 में 6.35 लाख गांठों का आयात हुआ था। देशी उत्पादन में वृद्धि होने के फलस्वरूप 1973-74 में यह आंकड़े गिर कर 1.3 लाख रह गए।

(ख) कपास के उत्पादन में और वृद्धि करने के लिए कपास उगाने वाले समस्त प्रमुख राज्यों में एक वृहत केन्द्रीय प्रायोजित सघन कपास जिला कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके लिए पूरा खर्च भारत सरकार देगी। इसके अतिरिक्त कुछ राज्य संभावित क्षेत्रों में कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए पैकेज कार्यक्रमों को भी क्रियान्वित कर रहे हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रिहायशी प्लाटों के आवंटन सम्बन्धी सामान्य नियम

925. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसी भी आवास योजना के अधीन एक परिवार को आवंटित किए जाने वाले रिहायशी प्लाट के अधिकतम क्षेत्र के बारे में निश्चय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने समाज के कमजोर वर्ग, निम्न तथा मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग के लोगों और गैर-रिहायशी उपयोग के लिए भूमि आवंटन के अलग-अलग नियम बनाये हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क), (ख) तथा (ग) शहरी भूमि तथा आवास नीति, जिसका अनुमोदन सामान्यतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड द्वारा किया जाता है, की विशेषाताएं निम्नलिखित हैं :

(i) रिहायशी प्लाट का अधिकतम आकार सामान्यतया 400 वर्ग मी० से अधिक नहीं होन चाहिए ।

(ii) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए प्लाट का अधिकतम आकार 50 वर्ग मी० से अधिक नहीं होना चाहिए तथा उसका आवंटन कुछ आर्थिक सहायता के साथ, निश्चित मूल्य पर किया जाना चाहिए ।

(iii) निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के लिए प्लाटों का आकार क्रमशः 150 वर्ग मी० तथा तथा 250 वर्ग मी० से अधिक नहीं हो तथा ये बिना लाभ बिना हानि के आधार पर निश्चित मूल्य पर आवंटित किए जाएं ।

(iv) उच्चतर आय वर्गों को भूमि का आवंटन प्रतियोगी आधार पर हो ।

(v) विद्यालयों, अस्पतालों तथा अन्य गैर-लाभकारी संस्थानों को भूमि नाम-मात्र मूल्य पर दी जाए ।

(vi) औद्योगिक प्रयोजनों तथा सेवा, देख-रेख एवं मुरम्मत वाले उद्योगों को उचित मूल्य पर भूमि दी जाये जिससे उद्योगों को अन्यत्र ले जाने तथा सेवाओं आदि की लागत को कम रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ।

(vii) वाणिज्यक प्रयोजनों के लिए भूमि, सार्वजनिक नीलाम द्वारा उच्चतम बोलीदाता को बेच दी जाए ।

ग्रामों के सिंचाई परियोजनाओं के उपयोग के लिए ग्रामय सहकारी समितियां

926. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारिता के आधार पर ग्रामों के सिंचाई परियोजनाओं के उचित रख-रखाव और उपयोग के लिए क्रमशः ग्राम पंचायतों और ग्राम्य सहकारी समितियों को शामिल करने की योजना को कार्य रूप देने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय मैं राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) व (ख) सिचाई राज्य का विषय है और इसलिए सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण, रखरखाव और उपयोग की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्यों की है । तथापि, आयोजना आयोग ने काफी समय पहले राज्य सरकारों को सुझाव दिया था कि कूलों और फील्ड चैनलों के निर्माण तथा रख-रखाव का कार्य पंचायती और सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से सामुदायिक परियोजना अधिकारियों द्वारा संगठित लाभभोगियों को सोंपा जाये । राज्य सरकारों से उम्मीद की जाती है कि वे आयोजना आयोग के सुझावों को ध्यान में रखेंगी और ग्राम पंचायतों तथा ग्राम सहकारी सोसायटियों के माध्यम से स्थानीय लोगों को इस कार्य में शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगी, जिससे गांवों में सिंचाई परियोजनाओं का उचित रख-रखाव और उपयोग सुनिश्चित किया जा सके ।

केरल में सामूहिक फार्म

927. **श्री बयालार रवि :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** केरल में सामूहिक कृषि फार्मों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग के बारे में 19 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2792 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

. . . .

(क) क्या इस बारे में सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं, और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तथा (ख) राज्यों में सामूहिक फार्मों की स्थापना के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में योजना के बाहर वित्तीय सहायता देने की कोई व्यवस्था नहीं है । तथापि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में भूमि बसाकर लाभकर रोजगार देने की मार्गदर्शी परियोजनाओं को हाथ में लेने का विचार है और केरल की स्कीम को इस परियोजना में शामिल करने की संभावना की जांच करने का प्रस्ताव था । केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना के आर्थिक और अन्य तकनीकी पहलुओं पर अभी तक विचार किया जा रहा है। इस परियोजना की आर्थिक संम्भाव्यता का पता लगाने के पश्चात् ही इसके अन्तर्गत केरल की योजना के प्रश्न पर विचार करने का निर्णय किया जाएगा ।

केरल में सिंचाई की भूमि के क्षेत्र में वृद्धि

928. **श्री वयालर रवि :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार का विचार केरल राज्य में पहले से भरे हुए जलाशयों का लाभ उठाते हुए सिंचाई की भूमि के क्षेत्र को बढ़ाने हेतु चालू वर्ष में किसी योजना को शुरु करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और केन्द्रीय सरकार किस प्रकार इस योजना को कार्यान्वित करने में राज्य सरकार की सहायता करना चाहती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) इस संबंध में केरल सरकार से केन्द्र को कोई विशिष्ट स्कीम प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेश में अध्ययन करनें हेतु राष्ट्रीय छात्रवृति

929. **श्री बयालार रवि :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार विदेशों में अध्ययन करने हेतु कितने व्यक्तियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां प्राप्त हुई ; और

(ख) कौन कौन से पाठ्यक्रमों के लिये ये छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं और उसके सामान्य लक्ष्य क्या हैं ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव)

(क) पिछले तीन वर्षों (1971-72 से 1973-74 तक) के दौरान 134 विद्यार्थियों ने विदेश अध्ययनार्थ राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां प्राप्त की हैं। वर्षवार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

1971-72	52
1972-73	44
1973-74	38

(ख) इस छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य उन अर्हक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनके पास आगे और अध्ययन हेतु विदेश जाने के साधन नहीं होते हैं। अध्ययन के विषयों के संबंध में, योजना में यह व्यवस्था है कि विदेशों में उन्हें अध्ययन के क्षेत्रों/अनुसंधान के संबंध में जिसके लिए वे आवेदन-पत्र भेजेंगे, छात्रों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। देश की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा विभिन्न विषय क्षेत्रों में छात्रवृत्तियां वितरित करने के उद्देश्य से छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। इसको ध्यान में रखते हुए योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई छात्रवृत्तियों में निम्नलिखित पाठ्यक्रम शामिल हैं :—

(1) इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी ;

(2) कृषि तथा पशु चिकित्सा विज्ञान ;

(3) प्राकृतिक तथा भौतिक विज्ञान ; और

(4) मानविकीय विषय तथा सामाजिक विज्ञान।

अधिकांश छात्रवृत्तियां उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में पी० एच० डी० डिग्री के लिए, उत्तर-स्नातक अध्ययनों के लिए उपलब्ध होती हैं। कुछ छात्रवृत्तियां मानविकी विषयों तथा सामाजिक विज्ञान में अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों और प्राकृतिक तथा भौतिक विज्ञानों और कुछ छात्रवृत्तियां उत्तर-डाक्टर अनुसंधान/विशेषीकृत प्रशिक्षण के लिए दी जाती हैं।

Qualifications for Drawing Teachers in Delhi Schools

930. **Shri Purushottam Kakodkar** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the qualifications prescribed for appointment to the post of Junior Drawing Teacher in the grade of Rs. 220-430 in the schools of Delhi Administration;

(b) the qualifications prescribed for appointment to the post of Senior Drawing Tteacher in the grade of Rs. 250-550 and the qualifications prescribed for promotion to this post from that of the Junior Drawing Teachers; and

(c) the qualifications prescribed for the P.G.T. (drawing) posts and the qualifications prescribed for promoting the Senior or Junior Drawing Teachers to this post?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) A statement is attached. (Annexure 'A').

(b) A statement is attached. (Annexure 'B').

(c) A statement is attached. (Annexure 'C').

[Placed in the Library See No. LT.—8488/74]

गोआ के लिये वनस्पति की अतिरिक्त मात्रा

931. **श्री पुरूषोत्तम काकोडकर :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तिमाही के दौरान गोआ में वनस्पति की कमी रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कमी की पूर्ति करने हेतु गोआ को वनस्पति की अतिरिक्त मात्रा देने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) कम उत्पादन होने के कारण वनस्पति की कमी को विभिन्न परिमाणों में देश भर में महसूस किया गया था न कि केवल गोआ में ही।

(ख) वनस्पति के वितरण पर कोई केन्द्रीयकृत नियंत्रण नहीं है। अतः गोआ को वनस्पति का आबंटन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

गोआ में सिंचाई परियोजना

932. **श्री पुरूषोत्तम काकोडकर :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे जमीदारों और किसानों की सहायता करने के लिए गोआ में सिंचाई परियोजना के लिए कोई व्यवस्था की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की व्यवस्था की गयी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) से (ग) छोटे किसानों के लिए प्रारंभ किए गए लघु सिंचाई कार्यक्रम यह हैं :—(1) छोटे किसानों के लिए विकास अभिकरण (एस० एफ० डी० ए०) और (2) उपांतिक किसान और कृषि मजदूर विकास अभिकरण (एम० एफ० ए० एल०) । इन स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न सेक्टरों के लिए कोई योजनावार प्रावधान नहीं किया जाता है।

संघ राज्य क्षेत्र के लिए 1974-75 वर्ष के लिए इन स्कीमों के अंतर्गत 2.50 लाख रुपये के धनराशि का प्रावधान किया गया है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, वृहत, मध्यम और लघु सिंचाई कार्यों के सामान्य कार्यक्रम से भी छोटे किसानों को लाभ प्राप्त होंगे ।

गोआ में कपास के बीजों का उत्पादन

933. **श्री पुरूषोत्तम काकोडकर :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : गोआ में कपास का उत्पादन करने वाले किसानों को कुल कितने कपास के बीजों का वितरण किया गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : गोआ में कपास अधिक मात्रा में नहीं उगाई जाती, इसलिये राज्य के कृषि विभाग ने कृषकों को कपास की उन्नत किस्मों के बीज वितरित नहीं किये गये हैं ।

Modern Housing facilities in Rural Areas

934. **Shri B.S. Chowhan** : Will the Minister of **Works & Housing** be pleased to state :

(a) whether any scheme for providing maximum and modern housing facilities to the people in rural areas is under consideration of Government; and

(b) if so, the detailed features of the scheme?

The Minister of State in the Ministry of Works & Housing (Shri Mohan Dharia) : (a) & (b) There are two housing schemes—(i) Village Housing Projects Scheme and (ii) Scheme for provision of house-sites to landless workers in Rural areas under which State Governments can undertake housing and house-site programmes in rural areas. Both the schemes are in the State Sector. Central financial assistance for all State Sector programmes, including rural housing, is released by the Ministry of Finance to the State Governments in the shape of block loans and block grants. The State Governments are free to earmark funds for various State Sector programmes, including rural housing, according to the requirements and priorities to be determined by them. However, keeping in view the importance of the minimum needs programme of providing house-sites to landless workers in rural areas, distinct and specific funds are earmarked in the Annual Plan allocations of State Governments.

Setting up of a National Agricultural Engineering Institute

935. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Indian Council of Agricultural Research proposes to set up a National Agricultural Engineering Institute at a suitable place during the Fifth Plan;

(b) if so, whether Government propose to set up this Institute in Madhya Pradesh in view of the requisite facilities available there; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation : (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes, Sir.

(b) The Indian Council of Agricultural Research constituted a Site Selection Committee for the purpose of recommending a suitable site for the establishment of the National Institute of Agricultural Engineering. The Committee visited different sites and after thorough consideration recommended that the Institute may be established near Bhopal in Madhya Pradesh. This recommendation of the Committee has been accepted by the Government of India.

(c) Question does not arise.

सेक्टर "डी", मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली के बहुमंजिली क्वार्टरों का सौंपा जाना

936. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेक्टर 'डी', मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली के बहुमंजिली क्वार्टरों की सफाई कार्यों के लिये अभी तक नई दिल्ली नगरपालिका को नहीं सौंपा गया है जबकि तथ्य यह है कि इस आशय का निर्णय

काफी पहले हो चुका था और अभी तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इन क्वार्टरों की देख-रेख कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन क्वार्टरों की सफाई कार्यों को लिये नई दिल्ली नगरपालिका के कब तक सौंप दिया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) क्वार्टरों की सफाई की जिम्मेदारी दखलकारों की है । आन्तरिक सेवा कार्य दायित्व केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का ही रहेगा । यह केवल बाह्य सेवाएं हैं जिन्हें नई दिल्ली नगरपालिका को सौंपना है । इस पर कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका ने बाह्य सेवाओं का कार्य संभालने से पूर्व कतिपय त्रुटियों को दूर करने के लिए, 17,810 रुपये की अदायगी की मांग की है । इस पर विचार किया जा रहा है ।

सफाई कर्मचारियों की रहन सहन की हालत

937. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**
श्री एस० एम० सिद्दय्या :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों की नगरपालिकाएं अपने द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों तथा मालवाहियों, जो अंधेरी तथा गन्दी झोपड़ियों में रह रहे हैं, की रहन-सहन की हालत की उपेक्षा करते हुए अपने क्षेत्रों को सुन्दर बनाने के कार्यक्रम पर भारी धनराशि खर्च करती है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न नगरपालिकाओं के लिये यह अनिवार्य करने, कि वे समाज के इस अत्यंत अपेक्षित वर्ग की इन मानवीय समस्याओं की ओर उचित तथा तत्काल ध्यान दें, भारत सरकार का क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा जब कभी आवश्यक होगा उपयुक्त कदम उठाए जायेंगे ।

पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिये विशेष पोषाहार कार्यक्रम

938. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**
श्री पी० एम० सईद :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों में पिछड़ी जाति के बच्चों और गर्भवती तथा पोषक माताओं के लिये आरम्भ किये गये विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत इस कार्यक्रम का लाभ उठाने वाले स्थानीय लोगों को पर्याप्त तथा उचित पोषाहार सम्बन्धी सहायता देने के लिये स्थानीय रूप से उपलब्ध अतिरिक्त पोषक तत्वों वाली वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है ;

(ख) क्या अनुसूचित जनजातियों को दुधारु पशु पालने, मुर्गी-पालन केन्द्र चलाने और ऐसे अनाज उगाने, जिनसे खिचड़ी/दलिया बनाया जा सके, के लिये प्रोत्साहन देने के लिये वित्तीय या अन्य सहायता देकर इस पोषाहार कार्यक्रम को इन जातियों के आर्थिक विकास कार्यक्रम के साथ सम्बद्ध करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय का सम्बन्धित राज्य सरकारों को इन सुझावों की क्रियान्विति के लिये प्रेरित करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जहां कहीं सम्भव होता है विशेष पौष्टिक आहार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) आदिवासी इलाकों में सभी विकासात्मक कार्यक्रमों को पूर्णतया समेकित करने का विचार है। समेकित जनजाति विकास परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं और उनके अधीन उपयुक्त उत्पादन कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर स्थानीय क्षेत्रों में खाद्य सामग्री की उपलब्धता पर ध्यान दिया जाएगा।

(ग) गृह मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में आवश्यक मार्गदर्शक बातें जारी कर दी हैं।

भारत में अकाल की स्थिति के बारे में ब्रिटिश समाचार-पत्र

939. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ब्रिटिश समाचार-पत्र भारत की अकाल की स्थिति को नियमित रूप से उछाल रहे हैं और भारत सरकार इस स्थिति को कम करके दिखाने का प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) यह सही है कि पश्चिम के कुछ समाचार-पत्र देश के कुछ भागों में बाढ़ और सूखे के फलस्वरूप उत्पन्न अभाव की स्थितियों के समाचार छापते रहे हैं। तथापि, यह सही नहीं है कि भारत सरकार इन स्थितियों को कम करके दिखाने का प्रयास कर रही है।

(ख) भारत सरकार ने वर्तमान सूखे और खाद्य की स्थिति के सम्बन्ध में एक तथ्यपूर्ण नोट सभी भारतीय-दूतावासों तथा केन्द्रों को असत्य और अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियों से निपटने और स्थिति की सही जानकारी देंने के लिये भेजा था। सरकार विदेशी संवाद-दाताओं के साथ जन-सम्पर्क को भी सुदृढ़ कर रही है । इसके फलस्वरूप विदेशी समाचार-पत्रों में इस स्थिति की जानकारी देने के सम्बन्ध में कुछ सुधार हुआ है ।

पश्चिम बंगाल बांध परियोजना के लिए अनुदान

940. **श्री सरजू पांडे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व वन्य पशु बोर्ड से पश्चिम बंगाल की बांध परियोजना के लिये अधिक धन देने के लिये आग्रह किया गया है ;

(ख) क्या डा० जोन सीडेनस्टिकर तथा कलकत्ता स्थित एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी के भूतपूर्व ब्रिटिश मैनेजर की पत्नी श्रीमती व्राइट अमरीकी दूतावास के फोटोग्राफर के साथ अगस्त, 1974 में सुन्दरवन गए थे ;

(ग) इन व्यक्तियों द्वारा सुन्दरवन जाने के क्या कारण ह ; और

(घ) क्या उनके द्वारा एक बाघ मारा गया था ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। केवल चीते को मुक्त करते समय। संयुक्त राज्य के सूचना सेवा के फोटोग्राफर भी उनके साथ थे।

(ग) चीता को मुक्त करने की कार्यवाही को देखने और फोटो लेने के लिये।

(घ) जी नहीं।

मत्स्य पालन के विकास के लिए ऋण और उनका उपयोग

941. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान पश्चिमी तट पर मत्स्य पालन तथा अन्य समुद्री उत्पादों के विकास के लिए व्यक्तियों/पार्टियों को बड़ी मात्रा में ऋण/अग्रिम राशि दी गई थी ;

(ख) क्या ऋण पाने वाले अधिकांश व्यक्ति अथवा पार्टियां है जिन्हें हाल ही में तस्करी करने के आरोप में आंतरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उपरोक्त भाग में उल्लिखित अवधि के दौरान दिए गए ऋण/अग्रि म राशियों के उपयोग का मूल्यांकन करने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का आवास सहकारिताओं के सदस्यों के रूप में नामांकन

942. **श्री पी० एम० सईद** :

श्री एस० एम० सिद्दय्या :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 1971-72 और 1972-73 के अपने 21वें प्रतिवेदन में अनसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त द्वारा की गई उन सिफारिशों को समुचित रूप से लागू कराने के लिए क्या कार्यवाही की है जो आवास सहकारिताओं से संबंधित सामान्य क्षेत्र की योजनाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए ऋण की एक विशिष्ट प्रतिशतता निर्धारित करने की तथा किसी भी ऐसी सामान्य आवास सहकारी समिति को पंजीकृत न करने की जिसमें 20 प्रतिशत सदस्य अनसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के न हों से संबंधित हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : सिफारिश पर अभी निर्णय लिया जाना है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये सरकारी आवासों के आरक्षण में वृद्धि

943. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री एस० एम० सिद्दय्या :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान आदेशों के अनुसार टाइप–I तथा टाइप III के जनरल पूल में आने वाले सरकारी आवासों के सभी आगामी आवंटनों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 5 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार दिया गया है ;

(ख) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के संयुक्त प्रतिवेदन में अनुसूचित जातियों के लिये 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये 7 1/2 प्रतिशत आरक्षण की तथा जनरल पूल में कम से कम टाइप-V तक आरक्षण लागू करने की भी सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी नहीं, दिल्ली/नई दिल्ली के लिए आरक्षण की प्रतिशतता 10 है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातिओं के कर्मचारियों की परितुष्टि की प्रतिशतता का मूल्यांकन करने के लिये यह सूचना एकत्र की जा रही है कि विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं तथा उनमें से कितनों को सामान्यपूल वास का आवंटन किया गया है, सम्पूर्ण सूचना प्राप्त होते ही स्थिति की समीक्षा की जायेगी तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को देखते हुए इस पर निर्णय लिया जायेगा ।

मछली उत्पादन तथा इसका निर्यात

944. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मछली का उत्पादन पांच वर्ष पूर्व के 17 लाख टन से बढ़कर इस वर्ष 22 लाख मीटरी टन हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके उत्पादन वृद्धि की प्रतिशतता के हिसाब से निर्यात में भी वृद्धि की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) राज्य सरकारों के अनुमानों के अनुसार भारत में मछली का उत्पादन 1968-69 में 17.69 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1973-74 में 19.58 लाख मीटरी टन हो गया है ।

(ख) 1968-69 के वर्ष की तुलना में 1973-74 के दौरान मछली के उत्पादन में 1.89 लाख मीटरी टन की या 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इसी अवधि में आयात की मात्रा में 94.9 प्रतिशत और मूल्य में 262.4 प्रतिश की वृद्धि हुई ।

जमाख़ोरों के विरुद्ध की गई कार्यवाही तथा तस्करी-विरोधी अभियान के कारण खाद्यान्न के मूल्यों में गिरावट

945. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**

श्री के० लकप्पा :

श्री नरेन्द्र सिंह :

श्री एच० एन० मुखर्जी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमाखोरों के विरुद्ध की गई कड़ी कार्यवाही और तस्करी–विरोधी अभियान के कारण बहुत से राज्यों में खाद्यान्नों के मूल्य कम हुये हैं,

(ख) क्या बिहार में जमाखोरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है, और

(ग) क्या वहां खाद्यान्नों की कमी और अधिक मूल्य अभी तक है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) सरकार द्वारा जमाखोरों और चोर-बाजारी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के फलस्वरूप लगभग सभी राज्यों में खाद्यान्नों के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति आयी है और उपलब्धता में सुधार हुआ है । सितम्बर के तीसरे सप्ताह और 26 अक्तूबर, 1974 के बीच खाद्यान्नों के थोक भावों के सूचकांक में 3.2 प्रतिशत की गिरावट आयी थी ।

(ख) और (ग) बिहार की राज्य सरकार ने भी जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही की है । अक्तूबर के अंतिम सप्ताह और नवम्बर के पहले सप्ताह के दौरान महत्वपूर्ण खाद्यान्नों के मूल्यों में प्रत्यक्षतः गिरावट आयी है ।

कालागढ़ बांध, उत्तर प्रदेश का निर्माण

946. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालागढ़ बांध का निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार हो रहा है ;

(ख) अनुमानित व्यय के अलावा बांध के निर्माण पर कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) क्या बिजनौर जिले में रामगंगा नहर के निर्माण के कारण खेती योग्य भूमि की हुई हानि को पूरा करने के लिए वहां कुछ और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध की जायेंगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) (क) कालागढ़ बांध जून, 1974 में पूर्ण हो चुका है ।

(ख) इस बांध के निर्माण पर अनुमानित राशि से अधिक व्यय नहीं हुआ है ।

(ग) रामगंगा नहर के निर्माण में कृषि भूमि को हुई हानि की प्रतिपूर्ति में बिजनौर जिले के लिए कोई अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव नहीं है ।

स्टेट फाम कारपोरेशन का कार्यकरण

947. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान स्टेट फार्म कारपोरेशन के कार्यकरण की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में क्या अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आयी हैं ; और

(ग) कारपोरेशन के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान राज्य फार्म निगम, नई दिल्ली के कार्यकलापों की कोई जांच नहीं की है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों में तिलहन का उत्पादन कार्यक्रम

948. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

श्री वनमाली पटनायक :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष चौथी योजना के अन्त तक तिलहनों का उत्पादन 30 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर 100 लाख मीटरी टन करने के लिये सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने नया क्षेत्र ढूंढने का कार्यक्रम (रिओरिअंटिड एरिया एप्रोच प्रोग्राम) चलाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत गुजरात में तथा अन्य राज्यों में कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये राज्यों को क्या सहायता दी जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) देश में आधार वर्ष में तिलहनों का उत्पादन 94 लाख मीटरी टन हुआ था उसे 1974-75 में 100 लाख मीटरी टन तक बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित सघन तिलहन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्य-क्रम 1974-75 में 10 राज्यों के कुछ चुने हुए ज़िलों में क्षेत्र के आधार पर शुरू किया गया है ।

(ख) इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य क्षेत्र के आधार पर निश्चित किए गए हैं और इस योजना के पूरी तरह से लागू होने के बाद 1974-75 के दौरान गुजरात में 52,500 मीटरी टन और अन्य 9 राज्यों में 2,15,774 मीटरी टन अतिरिक्त उपज होने की संभावना है ।

(ग) 1974-75 के दौरान इस योजना के अंतर्गत रज्यों को निम्नलिखित सहायता दी जा रही है :—

(1) 40,000 हैक्टारों के एक यूनिट क्षेत्र के लिए पौध रक्षण उपाय करने के लिए 1,00,000 रुपये ।

(2) प्रदर्शन करने पर 100 प्रतिशत सहायता 125/–रुपये प्रति हैक्टार के हिसाब से ।

(3) अतिरिक्त स्टाफ पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए 100 प्रतिशत सहायता।

नगरीय सम्पत्ति अधिकतम सीमा विधेयक

949. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

श्रीमती पार्वती कृष्णन :

श्री मुख्त्यार सिंह मलिक :

श्री वयालार रवि :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के प्रश्न पर तत्काल उपाय करने हेतु सक्रिय रूप से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस विषय पर विभिन्न राज्य सरकारों के विचार शामिल करते हुए संसद के चालू सत्र में विधेयक पुरःस्थापित करने का है?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है तथा इस बारे में एक विधेयक यथा संभव शीघ्र पेश किया जायेगा।

समेकित ग्रामीण विकास योजना

950. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार सिंचाई पद्धति या प्रणाली सहित समेकित ग्रामीण विकास के लिये एक नई नीति अपनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वी०वी० गिरि द्वारा प्रायोजित भूमि बन्दोबस्त योजना के साथ ही नयी विकास पद्धति निकाली जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसके कब तक आरंभ होने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में 50 चुने हुए सिंचाई कमान्ड क्षेत्रों में समेकित क्षेत्र विकास की नीति अपनाने का प्रस्ताव है।

एक अन्य ग्रामीण विकास योजना अर्थात् समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) जी नहीं। परन्तु भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वी०वी० गिरि द्वारा सुझाई गई रूपरेखा के आधार पर भूमि-बंदोबस्त के माध्यम से पर्याप्त रोजगार दिलाने के लिये मार्गदर्शी परियोजनाएं शुरू करने का भी एक प्रस्ताव है।

(ग) तीनों प्रस्तावों की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:—

(i) **समेकित कमान्डक्षेत्र विकास**

मोटे तौर पर इस कार्यक्रम में सिंचाई सम्मान्यता की अधिकतम उपयोगिता के विषय में निश्चय करने के लिये सिंचाई पद्धति तथा फार्म विकास का आधुनिकीकरण करना शामिल है।

(ii) **समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम**

अधिकतम जल व्यवस्था और शुष्क क्षेत्रों में नयी परिरक्षण पर बल देते हुए समेकित ग्राम विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने, अधिकतम सिंचाई की सहायता लेने, भूमि विकास आदि को अधिकतम बढ़ाने के लिये इस योजना को मार्गदर्शी आधार पर शुरू करने का विचार है।

(iii) **भूमि बन्दोबस्त के माध्यम से पर्याप्त रोजगार प्राप्त करने के लिये मार्गदर्शी परियोजना**

500 हैक्टार के कैम्पक्ट ब्लाकों में मार्गदर्शी परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक ब्लाक में 200 परिवारों को रोजगार मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य भूमि तथा जल विकास, उपकरण तथा फार्म शक्ति, आवास (सामुदायिक सुविधाओं सहित) आदि के लिये सरकारी सहायता प्रदान करना है। कौलोनाइजर इन बस्तियों के विकास के लिये आवश्यक श्रमिकों की व्यवस्था करेंगे। अंततः भारत सरकार का कार्य एक संरक्षक के रूप में होगा।

ये प्रस्ताव पांचवीं पंच वर्षीय योजना के केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम में शामिल कर दिए गए हैं। अभी योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि समेकित ग्रामीण विकास तथा एरिया अप्रोच का सिद्धांत सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, छोटे तथा सीमान्त कृषक एजेन्सी कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों आदि अन्य महत्वपूर्ण चालू कार्यक्रमों में भी अपनाया जा रहा है। वास्तव में हाल ही में ग्रामीण विकास का एक नया विभाग स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में एक समेकित ग्रामीण विकास के लिये कार्य करना है।

भूमि प्रयोग आयोग

951. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री वी० मायावन :

श्री धामनकर :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भूमि प्रयोग आयोग स्थापित करने के बारे में अंतिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग कब स्थापित किया जायेगा और इसके निर्देश पद क्या होंगे ; और

(ग) क्या इस मामले में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था।

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को मद्देनज़र रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

वनस्पति उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव

952. **श्री मोहम्मद शरीफः** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वनस्पति की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या देश के भिन्न भिन्न भागों में वनस्पति उद्योग लगाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खा) : (क) सितम्बर, 1974 के दौरान वनस्पति की कमी खासी गंभीर थी क्योंकि आर्थिक मूल्यों पर कच्चे तेलों के न मिलने से कम उत्पादन हुआ था । तथापि, बाजार में मूंगफली की नई फसल की उत्तरोत्तर आमद से वनस्पति के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और इससे अक्तूबर में सप्लाई में सुधार हुआ । नवम्बर में स्थिति और भी सुगम होने की आशा है ।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Implementation of Recommendations of Committee Appointed to Reduce Overhead Charges of F.C.I.

953. **Shri Atal Bihari Vajpayee:**
Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri R. V. Bade:
Shri M. V. Krishnappa:

Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9 on 22nd July, 1974 regarding recommendations of Committee appointed to reduce overhead charges of F.C.I. and state:

(a) Government's reaction in regard to each recommendation of the Committee appointed to reduce overhead charges of F.C.I. and the action taken there on by Government;

(b) the percentage of economy proposed to be effected in this expenditure during the current year; and

(c) which of the recommendations have not been accepted by Government together with the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c) The Food Corporation of India have recently finalised their approach in regard to the mechanics of implementing the various recommendations of the Committee which is being considered by the Government. The Committee had made 48 recommendations. Some of the recommendations of the Committee are already being implemented by the Food Corporation of India. It is not possible at this stage to quantify the saving in expenditure as a result of these recommendations.

Aid by Agricultural Refinance Corporation for Projects

954. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Shri Jagannath Rao Joshi :

Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether in co-operation with the International Development Association and the World Bank the Agricultural Refinance Commission have given assistance of about Rs. 229 crores for 13 projects in the various States of India; and

(b) the main features of each of these projects including the aid given to them and the results achieved ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) and (b) The International Bank for Reconstruction and Development and the International Development Association (soft lending affiliate of the World Bank) are currently assisting 17 agricultural projects. A statement indicating the brief description of the projects assisted is in Annexure attached. [Placed in the Library. See No. L.T. 8489/74]. The total lending programme involved in the 17 projects is Rs. 480.37 crores and the amount of assistance admissible to the Corporation is Rs. 290.34 crores. The disbursements made by the Corporation upto September, 1974 are of the order of Rs. 132 crores.

भूमि की अधिकतम सीमा संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति तथा उसकी क्रियान्विति

955. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा बनाये गये सभी भूमि की अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियमों को राष्ट्रपति नें स्वीकृति दे दी है और उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है और यदि हां, तो इस बारे में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र संबंधी तथ्य क्या है यदि नहीं, तो इसमें वास्तविक व्यवहारिक कठिनाइयां क्या हैं; और

(ख) क्या महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु के भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दिये जाने के बारे में कठिनाइयां हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) प्राय: देश के सब राज्यों में जोत की अधिकतम सीमा के संशोधित कानून बनाये जा चुके हैं। अब तक केवल महाराष्ट्र के संशोधित कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। मणिपुर के कानून को संशोधित किया जा रहा है।

असम का संशोधित कानून राज्यपाल की स्वीकृति से बनाया गया था, लेकिन भारत सरकार ने असम सरकार को सलाह दी है कि वह कानून को फिर से बनायें ताकि उसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की जा सके। संविधान के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर का कानून राज्यपाल की स्वीकृति से बनाया गया था। नागालैण्ड तथा मेघालय में जोत की अधिकतम सीमा के विषय में कोई कानून नहीं है, क्योंकि वहां की भूमि प्रायः सामुदायिक स्वामित्व में है।

पांडिचेरी भूमि सुधार कानून तथा दादरा एवं नगर हवेली भूमि सुधार विनियमों में संशोधन करके कानूनी रूप दिया जा चुका है। पंजाब भूमि सुधार कानून को चंडीगढ़ में लागू करने का निर्णय किया गया है। दिल्ली में जोत की अधिकतम सीमा के कानून में शीघ्र ही संशोधन किया जा रहा है।

इन कानूनों के क्रियान्वयन में समय लगता है। पात्र श्रेणी के व्यक्तियों में वितरण करने के लिए फालतू भूमि का वास्तविक पता लगाने से पहले अनेक प्रकार की कार्यवाही पूरी करनी पड़ती है। इसके अन्तर्गत बनाये गये प्रत्येक कानून और नियमों में भुस्वामियों को अपनी भूमि की सीमा तथा श्रेणी का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कुछ समय देने की व्यवस्था है। फालतू क्षेत्र का अनुमान लगाने के लिए इन विवरणों की जांच करने के लिए भी समय दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भूस्वामी जिन विशिष्ट खेतों को जोत की अधिकतम सीमा के कानून के अंतर्गत अपने पास रखना चाहता है उसको चुनने के लिए भी उसे अवसर दिया जाता है। फालतू भूमि का निश्चय करने वाले प्राधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध निर्धारित प्राधिकारी के पास अपील तथा रिवीजन करने की भी व्यवस्था है। मुआवजे का निर्धारण करने, फालतू भूमि का वास्तविक पता लगाने, फालतू भूमि देने के लिए पात्र व्यक्तियों की श्रेणियों का निर्धारण करने और ऐसी श्रेणियों के व्यक्तियों को फालतू भूमि का वास्तविक वितरण आदि करने में भी समय लगता है।

(ख) महाराष्ट्र के अधिकतम सीमा के विधेयक को अभी राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण मामलों में यह विधेयक राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों से अलग है। महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से इस विधेयक की आवश्यक जांच की जा रही है, ताकि इसे राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप बनाया जा सके। तमिलनाडु के जोत की अधिकतम सीमा के कानून प्रायः राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने से पहले संशोधित किये गये थे। इस कानून में समय-समय पर और संशोधन किये जा रहे हैं। इसमें से अधिकांश संशोधनों को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है।

फालतू भूमि का वितरण

956. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमिहीन किसानों और हरिजनों में वितरण हेतु राज्यों में कुल कितनी फालतू भूमि उपलब्ध है; और

(ख) फालतू भूमि के वितरण का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) राज्यों के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार जोत की अधिकतम सीमा संबंधी संशोधित कानूनों के पूर्णतः क्रियान्वित होने पर 40,61,000 एकड़ भूमि के उपलब्ध होने की संभावना है।

43 LSS/74—8

2. जोत की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों में लगभग पूरे देश में हाल ही में किए गए संशोधनों से पहले लागू अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों के आधार पर फालतू घोषित किऐ गए क्षेत्र में से राज्यों द्वारा वितरित की गई भूमि का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है :—

राज्य	वितरित किया गया अधिशेष क्षेत्र (हजार एकड़ों में)	
आन्ध्र प्रदेश	0.872	
असम	11	
बिहार	0.797	
गुजरात . .	36.84	
हरियाणा (पेप्सू क्षेत्र)	65	
हिमाचल प्रदेश	0.292*	*राज्य में विलय किये गये क्षेत्रों में
जम्मू व कश्मीर	450	
मध्य प्रदेश	21	
महाराष्ट्र	189**	**इसमें से 84,154 एकड़ क्षेत्र का महाराष्ट्र राज्य फार्म निगम को नियतन किया गया था।
पंजाब (पेप्सू क्षेत्र) . .	64	
राजस्थान	27.4	
तमिलनाडु	36.943	
उत्तर प्रदेश	202	
पश्चिम बंगाल	445	

3. संशोधित अधिकतम जोत की सीमा के कानूनों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप लिया गया और वितरित किया गया क्षेत्र नीचे की तालिका में दिया गया है :—

(हजार एकड़ों में)

राज्य	अब तक लिया गया क्षेत्र	अब तक वितरित किया गया क्षेत्र
केरल	12.66	1.932
तमिलनाडु .	23.66	7.59
पश्चिम बंगाल	21.96	8.429

30-6-74 को समाप्त होने वाली अवधि की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 3 एकड़ भूमि ली गई और वितरित की गई।

वनों का आरक्षण

957. **श्री नारायण चन्द्र पराशर :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में वनों के आरक्षण, संरक्षण तथा वन और उनके संसाधनों के उपयुक्त उपयोग के लिये सरकार ने एक नई राष्ट्रीय वन नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संशोधित नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और इसकी घोषणा कब तक की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) और (ख) मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय वन नीति का प्रारूप तैयार कर लिया है और उसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दिया है। केन्द्रीय वानिकी बोर्ड ने 14 और 15 अक्तूबर, 1974 को हुई अपनी बैठक में निर्णय किया है कि राष्ट्रीय वन नीति के संकल्प का, जो प्रारूप परिचालित किया गया है, उसका गंभीरता-पूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है, जो कि बोर्ड की बैठक के दौरान नहीं किया जा सकता। इसलिए बोर्ड ने सिफारिश की है कि प्रारूप में आवश्यकतानुसार उपयुक्त संशोधन करने के लिये अध्यक्ष संशोधित राष्ट्रीय वन नीति के प्रारूप की छानबीन करने के लिये तकनीकी विशेषज्ञों और राज्यों के वन मंत्रियों की उप-समिति का गठन करें।

बोर्ड ने आगे सिफारिश की है कि संशोधित वन नीति तैयार करते समय उप समिति निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखे :—

(1) प्रायः कोई पेड़ तब तक न गिराया जाये जब तक कि उसके स्थान पर कोई दूसरा पौधा न लगाया जाए और नये पौधों की उचित ढंग से देख-रेख की जाए।

(2) वानिकी और कृषि के बीच समन्वय स्थापित होना चाहिये। ऐसा होने से वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन करना रुक जायेगा।

(3) लोगों को वनों के संरक्षण और विकास में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

(4) सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, रेलवे लाइनों के साथ-साथ और कृषकों के खेतों की मेंड़ों पर और बांधों पर बड़े पैमाने पर जल्दी उगने वाली किस्मों का पौध रोपण होना चाहिये ।

(5) वन क्षेत्रों में और उनके आस पास रहने वाले आदिवासियों के हितों की ठीक प्रकार से रक्षा की जानी चाहिये। वन-विभागों को आदिवासियों के कल्याण संबंधी क्रिया कलापों की भी देख भाल करनी चाहिये ।

उपर्युक्त उप-समिति के गठन की तारीख से दो माह की अवधि के अन्दर नई राष्ट्रीय वन नीति के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया जायेगा।

खाद्य की कमी के बारे में मंत्री का वक्तव्य

958. **श्री समर गुह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि देश में खाद्य की कमी बनावटी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974 के दौरान विभिन्न खाद्यान्नों का उत्पादन और बाजार में उन की उपलब्धता का वास्तविक अनुमान क्या है ;

(ग) देश के विभिन्न भागों में भुखमरी के समाचारों के क्या कारण हैं; और

(घ) खाद्य की कथित बनावटी कमी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है, अथवा करने का विचार है, और अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क), (ख), (ग) और (घ) केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री ने बताया था कि व्यापारियों और बड़े किसानों द्वारा स्टाक को रोक लेना भी एक प्रमुख कारण है जिससे देश को खाद्यान्नों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार राज्य सरकारों पर बराबर जोर देती रही है कि वे नियंत्रण संबंधी विभिन्न आदेशों को कड़ायी से लागू करें और जमाखोरों तथा काला बाजारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए भारत सुरक्षा नियमों, आंसुका तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबन्धों का इस्तेमाल करें। राज्य और केन्द्रीय सरकारें व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा जमाखोरी करने की किसी संभावना पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। इस कार्यवाही का मंडी में खाद्य-पदार्थों की उपलब्धता पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। 1974-75 के लिए विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन के अनुमानों को चालू कृषि वर्ष के अन्त तक ही पता चला पाएगा। अतः 1974 के लिए कुल उपलब्धता के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 1973-74 में 1036 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन होगा जबकि 1972-73 के दौरान 970 लाख मीटरी टन का उत्पादन हुआ था। किसी राज्य सरकार से भुखमरी से मृत्यु के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

पटसन के उत्पादन में कमी

959. **श्री माधुर्य्य हालदार :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में पटसन के उत्पादन में 40 प्रतिशत कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा पटसन के मूल्य में कमी होने के कारण हुआ है जिससे पटसन उत्पादक निरोत्साहित हुये हैं, अथवा बड़े उत्पादकों को कम मूल्य पर भारी मात्रा में पटसन खरीदने में सहायता देने के लिये भारतीय पटसन निगम की कम खरीद को छुपाने के लिये कम उत्पादन दिखाया जा रहा है; और

(ग) अगले वर्ष के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) और (ख) इस वर्ष के दौरान जूट के उत्पादन के अंतिम अनुमान अभी प्राप्त नहीं हुये हैं। फिर भी उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1973-74 की तुलना में 1974-75 के दौरान जूट की बुवाई के क्षेत्र में कमी होने की सूचना मिली है।

(ग) जूट का उत्पादन बढ़ाने के लिये, वर्ष 1975-76 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में सघन जूट/मेस्ता जिला कार्यक्रम को जारी रखने का प्रस्ताव है। इन चुनीदा जिलों में जहां प्रायः सुनिश्चित रूप से वर्षा होती है या सिंचाई सुविधायें मौजूद हैं, वहां जूट और मेस्टों के लिए सघन विकास उपायों द्वारा संकेन्द्रित क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव है।

"रामचरितमानस" का दक्षिण भारतीय भाषाओं में अनुवाद

960. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तुलसीकृत "रामचरितमानस" का दक्षिण भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो किस-किस भाषा में इसका अनुवाद किया जायेगा?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) और (ख) : रामचरितमानस का दक्षिण भारतीय भाषाओं में अनुवाद तैयार करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में काफी संख्या में अनुवाद पहले से ही उपलब्ध हैं। सरकार का इरादा है कि:—

(i) देश तथा विदेश की विभिन्न संस्थाओं को भेजने के लिये उच्च कोटि के उपलब्ध अनुवादों की काफी संख्या में प्रतियां खरीदी जायें;

(ii) जहां बाजार में ऐसे रूपान्तर उपलब्ध नहीं हैं वहां प्रकाशकों के साथ उपयक्त शर्तें तय करके अच्छे अनुवादों के संस्करणों के पुनः मुद्रण निकालना;

(iii) उच्च कोटि के ऐसे अनुवादों का प्रकाशन कार्य शुरू करना जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुये हैं।

बिहार के पालामाऊ जिले में कुंओं का खोदा जाना

961. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के पालामाऊ जिले के प्रत्येक गांव तथा विशेषकर इस वर्ष अकाल की स्थिति वाले खंडों में केन्द्रीय सहायता से कम से कम पांच बड़े कूएं खोदने के लिये एक विशेष योजना आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस जिले का कृषि सम्बन्धी विकास करने, जहां राज्य सरकार यह कार्य नहीं कर पाई है : के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) बिहार के पालामाऊ जिले को केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया है। पांचवीं योजना की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र इस जिले के लिये 3 करोड़ रुपये देगा। राज्य सरकार भी योजना के अपने संसाधनों से इतनी ही धनराशि देगी। इस प्रकार पांचवीं योजना की अवधि के दौरान पालामाऊ जिला के लिये 6 करोड़ रु० की राशि उपलब्ध होगी। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के

अन्तर्गत लगभग 609.06 लाख रु० की लागत से पांचवीं योजना की परियोजना रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें से सिंचाई की योजनाओं के लिये 317.74 लाख रु० की राशि निर्धारित की गई है। प्रस्तावित सिंचाई योजना के अन्तर्गत भंडारण एवं उठाऊ सिंचाई परियोजनाओं, अन्तर्ग्राही कुओं तथा बड़े व्यास के कुओं का निर्माण करना शामिल है। 240 लाख रु० की लागत से 1200 बड़े व्यास/अन्तर्ग्राही कुओं का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना रिपोर्ट की जांच की जा रही है और इस के लिये भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होनी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में केन्द्रीय सिंचाई योजनाएं

962. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में आरम्भ की गई केन्द्रीय सिंचाई योजनायें कितनी और कौन-कौन सी हैं; और

(ख) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई नई सिंचाई योजना आरम्भ की जायेगी?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में कोई केन्द्रीय सिंचाई परियोजना नहीं है।

(ख) इस क्षेत्र में केन्द्रीय सिंचाई परियोजना के लिये कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Fall in Water Level in Bhakra Dam

964. Shri Shiv Kumar Shastri: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the level of water in the Bhakra Dam falls down every year;

(b) whether the production of power declines as a result of this and water for irrigation is also not available in the required quantity;

(c) if so, whether Government have thought of any solution for this problem; and

(d) if so, the nature thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri K.N. Singh): (a) and (b) Filling of the Bhakra Reservoir takes place mostly during Monsoon months and the waters thus stored, together with the in-flows obtained, are utilised during the rest of the year, resulting in progressive fall of reservoir level till the reservoir starts filling again during the following season. This annual cyclic operation of the reservoir is taken into account while planning irrigation releases and power generation. However, actual production of power and availability of water for irrigation depend on the extent of storage achieved during the filling period (June-September) and the river in-flows during the depletion period (October-May) which vary year to year.

(c) and (d) Do not arise.

"शुगर बैरन्स मिन्ट मनी" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

965 **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
मौलाना इसहाक सम्भली :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 25 दिसम्बर, 1974 के नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचारपत्र में "शुगर बैरन्स मिन्ट मनी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) निस्संदेह पहली अगस्त और 18 सितम्बर, 1974 के बीच खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में वृद्धि हुई थी। चीनी के खुले बाजार के मूल्य, समय समय पर चल रही बाजार मनोवृत्ति द्वारा प्रभावित होते हैं। वर्ष के दौरान, उस समय के प्रत्याशित रिकार्ड चीनी उत्पादन के संदर्भ में जनवरी से मई, 1974 तक प्रति माह 3.05 लाख मी० टन चीनी की निर्मुक्ति बनाये रखने के बाद सरकार को जून से आगे मासिक निर्मुक्ति में भारी कमी करनी पड़ी थी क्योंकि उत्पादन प्रत्याशित स्तर से गिर गया और इसलिये कि विश्व के बाजारों में चल रहे ऊंचे मूल्यों का पूरा लाभ उठाते हुये अत्यन्त आवश्यक विदेशी मुद्रा कमाने के लिये पहले निर्धारित 5 लाख मी० टन के लक्ष्य तक चीनी निर्यात को बनाये रखा जा सके। जून में मासिक निर्मुक्ति 2.8 लाख मी० टन थी और जुलाई से आगे 2.6 लाख मी० टन प्रति माह कर दी गई थी। इससे कमी की मनोभावना पैदा हुई और यह कमी त्यौहार के मौसम में और भी बढ़ गई। 19 सितम्बर, 1974 को घोषित 50,000 मी० टन मुक्त बिक्री की चीनी की अतिरिक्त निर्मुक्ति का खुले बाजार में चीनी के मूल्यों को नीचे लाने में अच्छा प्रभाव पड़ा था। यदि यह अतिरिक्त निर्मुक्ति पहले की गई होती तो त्यौहारों की वास्तविक अवधि में इसका फायदा नहीं होता। उद्योग और व्यापारी दोनों भी इस स्थिति का अनुचित लाभ उठाते लेकिन यह कहना बहुत कठिन है कि इस लाभ में उद्योग का कितना शेयर हो।

वर्ष 1971-72 और 1973-74 के दौरान अनाज का आयात

966 **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री अजित कुमार साहा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 से 1973-74 तक वर्षवार अनाजों का कुल कितना उत्पादन तथा आयात किया गया,

(ख) चालू वर्ष में अनुमानतः कितना उत्पादन तथा आयात हुआ,

(ग) वर्ष 1972 से 1974 तक प्रति वर्ष प्रति दिन, प्रति व्यक्ति कितने कितने ग्राम अनाज की उपलब्धता रही है;

(घ) वर्ष 1972 से 1974 तक केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पास वर्षवार कुल कितना कितना भंडार रहा है,

(ङ) वर्ष 1972, 1973 तथा 1974 में जनवरी से सितम्बर तक प्रति माह औसत कितना अनाज सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से बांटा गया, और

(च) रक्षित भंडार (बफर स्टाक) की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा यदि कोई कदम उठाये गये हैं तो वे क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क)

वर्ष	अनाजों का कुल उत्पादन (लाख मीटरी टन में)	अनाजों का कुल आयात (लाख. मीटरी टन में)
1971-72	941	18.57
1972-73 .	871	6.97
1973-74	939	43.97

(ख) वर्ष 1974-75 में अनाजों के उत्पादन के पक्के अनुमान चालू कृषि वर्ष की समाप्ति अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1975 में किसी समय उपलब्ध होने की सम्भावना है।

जहां तक आयातों का सम्बन्ध है, भारत सरकार खाद्यान्नों के आयात की आवश्यकता के बारे में स्थिति की बराबर समीक्षा करती रहती है और आयात के लिये समूची अधिकृत मात्रा के अन्दर के यथा आवश्यक सीमा तक विदेशों से खरीदारी की जा रही है ताकि सरकारी वितरण प्रणाली को बनाये रखा जा सके।

(ग) अनाजों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता (ग्राम प्रति दिन) नीचे दी जाती है:—

वर्ष	उपलब्धता
1971-72	420.3
1972-73 . .	383.0
1973-74	उपलब्ध नहीं।

(घ) 1972—74 के वर्षों के दौरान केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास अर्थ शेष स्टाक इस प्रकार है:—

वर्ष	लाख मीटरी टन में
1972	79
1973	34
1974	29

(ङ) 1972 और 1973 के दौरान सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाजों की औसत मासिक निर्मुक्ति क्रमशः 8.73 लाख और 9.50 लाख मीटरी टन थी। जनवरी से सितम्बर तक मासवार निर्मुक्ति का ब्यौरा नीचे दिया जाता है ये आंकड़े अस्थाई हैं और इनमें संशोधन हो सकता है :—

महीना	लाख मीटरी टन में
जनवरी	8.96
फरवरी	8.95
मार्च	8.89
अप्रैल	8.92
मई	8.51
जून	8.30
जुलाई	8.10
अगस्त	8.77
सितम्बर	9.29

(च) अधिप्राप्ति तेज कर और यथा आवश्यक मात्रा में आयात कर स्टाक की भरपाई करने की कोशिश की जा रही है।

बेकरियों को सप्लाई किया गया आटा

967. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से सितम्बर, 1974 के दौरान, महीनेवार, पूरे देश की बेकरियों को सप्लाई किये गये आटे की कुल मात्रा क्या है, और

(ख) जनवरी से सितम्बर, 1974 के दौरान, महीनेवार, इस कुल मात्रा में ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी के एककों तथा अन्य मुख्य उत्पादक एककों में से प्रत्येक एकक का हिस्सा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में निर्मित किए गए फ्लैटों की संख्या

968. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1974 को सम्पदा निदेशक के नियंत्रण में प्रत्येक टाइप के कुल कितने फ्लैट थे;

(ख) 1972 से अद्यतन दिल्ली में प्रत्येक टाइप के कुल कितने फ्लैट निर्मित किये गये; और

(ग) दिल्ली में वर्गवार केन्द्रीय सरकार के कुल कितने कर्मचारी हैं जिन्हें आवास प्रदान किया गया है और वर्ष 1972, 1973 और 1974 में कुल कितने कर्मचारी प्रतीक्षा सूची में हैं?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सम्पदा निदेशालय के नियंत्रणाधीन दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल में (होस्टल वास छोड़कर) जिनमें वे एकक शामिल नहीं हैं जो अन्य विभागों के सुपुर्द किये हैं, 31-7-74 तक एककों की संख्या इस प्रकार है:--

टाइप	एककों की संख्या
I	13,206
II	15,316
III	5,063
IV	4,975
V	1,803
VI	550
VII	121
VIII	21

(ख) सूचना इस प्रकार है :--

टाइप	वर्षवार निर्मित मकानों की संख्या		
	1971-72	1972-73	1973-74 (31-7-1974 तक)
I	192	—	—
II	344	8	160
III	288	64	224
IV	232	96	80

(ग) वर्तमान आवंटन अवधि के लिये, जो 1-9-1972 को आरम्भ हुई थी, आवेदन पत्र सीमित आधार पर आमंत्रित किये गये थे। वर्षवार सांख्यकीय आंकड़े नहीं रखे जाते लेकिन एक आबंटन अवधि विशेष के बारे में रखे जाते हैं? 1-9-1972 से 31-10-1974 तक आबंटन के बारे में स्थिति निम्न-लिखित है :—

टाईप	उन अधिकारियों की संख्या जिन्हें दिये गये	प्रतीक्षा सूची में अधिकारियों की संख्या
I	13,206	3,416
II	15,316	7,363
III	5,063	1,486
IV	4,975	2,527
V	1,803	590
VI	550	118
VII	121	268
VIII	21	74

तेहरान एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन

969. **श्री बीरेन एंगती :**

श्री बी० के० दास चौधरी :

डा० कर्ण सिंह :

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की विशालता को देखते हुये तेहरान में हुये एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है;

(ख) क्या तेहरान के लिये रवाना हुये भारतीय खिलाड़ियों के दल के साथ शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के उपमंत्री भी गये थे; और

(ग) क्या उन्होंने कोई खेलों का तथा उनमें भारतीय प्रदर्शन का विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और क्या उन्नति और सुधार के लिये कोई रचनात्मक सुझाव दिये हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) तेहरान एशियाई खेलों में कुल मिलाकर पदक की गिनती पिछले दो एशियाई से बेहतर रही है। तथापि सरकार का यह अभिमत है कि कुछ खेलों में सुधार की पर्याप्त गुंजाइश है।

(ख) जी, हां।

(ग) रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

Flood Relief Scheme for Bihar

970. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of Works and Housing be pleased to state:

(a) whether 90 per cent Kuchha houses, about 95 per cent houses made on Tatt and 10—15 per cent pucca houses collapsed completely in North Bihar due to heavy floods and rains this year i.e. in 1974; and

(b) if so, any scheme being formulated by Government for their help ?

The Minister of State in the Ministry of Works & Housing (Shri Mohan Dharia): (a) The information is not available and is being collected.

(b) According to the information available with the Ministry of Works and Housing, Life Insurance Corporation have offered to the Government of Bihar in October, 1974 a special loan of Rs. 1.5 crores to be utilised exclusively for building and or repairing and reconstructing the houses destroyed or damaged by recent floods Bihar.

Safeguards of Farmers' interests by Agricultural Price Commission

971. Shri Bibhuti Mishra: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether no member of the Agricultural Prices Commission represents the interests of farmers;

(b) if so, whether Government has been neglecting the interests of farmers; and

(c) if so, whether Government propose to include two representatives by election from Lok Sabha in the aforesaid Commission who will safeguard the interests of farmers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhu Das Patel): (a) to (c) As per terms of reference, of the Agricultural Prices Commission, the Commission has, while advising the Government on price policy relating to agricultural commodities, to take into account, *inter-alia*, the interests of the producer as well as the consumer. It may be added in this regard that the Government have constituted a Panel of Farmers to advise the Agricultural Prices Commission; two members each from the Lok Sabha and the Rajya Sabha are members of this Panel.

Rabi Campaign in Bihar

972. Shri Ramavatar Shastri:
Shri Hari Kishore Singh:

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the Bihar Government have decided to launch a 'Rabi campaign' for growing more food;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) whether the State Government have asked for any type of assistance from the Centre in order to make this campaign a success; and if so, the quantum of help asked for ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhu Das Patel): (a) and (b) Yes, Sir. To make up the loss caused to the "Bhadai" and "Aghani" crops by floods and drought during the kharif season, the Government of Bihar have launched an intensive rabi production drive. It has been planned to increase the total area under wheat from about 15.78 lakh hectares in 1973-74 to 23.5 lakh hectares in 1974-75, out of which 20 lakh hectares would be under the high yielding varieties. In addition, 60,000 hectares would be put under maize and the area under sweet potato, lentil and mustard is also proposed to be increased appreciably.

(c) The State Government intimated their credit requirements of Rs. 20 crores for supporting the rabi programme. However, the Central Team which visited the State recommended a short-term loan of Rs. 7 crores for meeting the requirements of seeds fertilisers and pesticides for the enhanced rabi programme. This amount of Rs. 7 crores has already been released to the State Government. In addition the State Government was also assisted in getting the requisite quantities of seeds particularly of wheat and maize.

Next Whip's Conference

973. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Eighth All India Whips' Conference held in Bohpal in 1972 had decided to hold the ninth Conference in 1973 in Kashmir;

(b) if so, the reasons why the said ninth Conference could not be held so far; and

(c) when and where the ninth whips' Conference is proposed to be held ?

Minister of Works & Housing and Parliamentary Affairs (K. Raghu Ramaiah): (a) to (c) At the 8th All India Whips' Conference, held in Bhopal in 1972, an invitation was extended by the Govt. Chief Whip in Jammu & Kashmir Legislature to hold the next Whips' Conference at Srinagar. The invitation was accepted by the conference, subject to the convenience of the State Government. There was no decision regarding the year in which it should be held. In view of the acute financial stringency through which the country is passing at present, it is not proposed to hold the 9th All India Whips' Conference during the current financial year.

उड़ीसा के लिए अतिरिक्त गेहूं

974. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से जुलाई, अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर 1974 में गेहूं की अतिरिक्त मात्रा देने का अनुरोध किया था, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) गेहूं का आवंटन, जोकि जुलाई और अगस्त, 1974 के लिए 8,000 मी०टन प्रति माह था, को बढ़ाकर सितम्बर के लिए 16,000 मी०टन और अक्तूबर के लिए 20,000 मी० टन कर दिया गया था। इसे और भी बढ़ाकर नवम्बर, 1974 के लिए 25,000 मी० टन कर दिया गया था।

सहकारी संस्थाओं से उर्वरक के लिए ऋण

975. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत वर्ष कृषकों को उर्वरक के लिए ऋण देने हेतु विभिन्न राज्यों की सहकारी संस्थाओं को 400 करोड़ रुपये दिये थे :

(ख) गत वर्ष इस कार्य के लिए उड़ीसा में सहकारी संस्थाओं को कितनी राशि दी गई थी और चालू वर्ष में उनको कितनी राशि देने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार को यह पता चला है कि उड़ीसा में सहकारी संस्थाओं के पास इस समय 40 करोड़ रुपये की कीमत का उर्वरक भंडार है ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) भारत सरकार ने वर्ष 1973-74 और 1974-75 में सहकारी सोसाइटियों को उर्वरको के लिए ऋण नहीं दिये हैं। तथापि भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को निवेशों, जिनमें उर्वरक भी शामिल हैं, के के लिए वर्ष 73-74 में 53.9352 करोड़ रुपये और वर्ष 74-75 (31-10-74 तक) में 56.29 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण मंजूर किये थे।

(ख) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973-74 और 1974-75 में उड़ीसा में सहकारी सोसाइटियों को कोई ऋण नहीं दिया गया है। भारत सरकार ने उड़ीसा राज्य सरकार को वर्ष 1973-74 और 1974-75 (31-10-74 तक) में कृषि निवेशों, जिनमें उर्वरक भी शामिल हैं, के लिए क्रमशः 1.50 करोड़ रुपये और 3.31 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण मंजूर किये थे।

(ग) उड़ीसा राज्य सहकारी क्रय-विक्रय फैडरेशन के पास 31 अगस्त, 1974 को 14.92 करोड़ रुपये (लगभग) के मूल्य का उर्वरकों का भण्डार था।

Takeover of Wholesale Trade for Wheat in States

976. Shri Shrikrishna Agrawal: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Punjab Government have taken decision to do away with the wholesale trade in private sector of wheat and bring it into the public sector;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the reaction of other States in regard thereto?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) and (b) With the prior concurrence of the Government of India the Government of Punjab have amended the Punjab Wheat Dealers' Licennsing and Price Control Order, 1973 to fix a maximum stock limit of 100 quintals for old dealers in wheat. This was considered necessary for checking the various mal-practices which were being induldged in by the traders.

(c) Does not arise.

भूमि-कटाव, बाढ़ और जल-ठहराव की समस्याओं से निपटने के लिए कार्यवाही

977. **श्री रामशेवर प्रसाद सिंह :**
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'इरोजन हिट्स 15 हैक्टेयर्स' शीर्षक से समाचार पत्रों में हाल ही में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह उल्लेख है कि भूमि-कटाव, बाढ़ों और जल-ठहराव के खतरे से निपटने के लिए भारत को 30 वर्ष के भीतर 30,000 करोड़ रुपये से 50,000 करोड़ रुपये तक की राशि खर्च करनी पड़ेगी ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस समाचार का अध्ययन कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) समाचार पत्र में इस रिपोर्ट के छपने से पहले ही भूमि और मृदा प्रबन्ध की समस्याएं भारत सरकार के सामने थीं। एक समन्वित और वैज्ञानिक ढंग से इन समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से सरकार ने इन समस्याओं से निपटने के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना का सुझाव देने हेतु 12 जुलाई, 1975 को सदस्य (कृषि), योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। प्रारम्भिक समिति ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1974 के अंत में पेश की जिसमें एक केन्द्रीय भूमि उपयोग आयोग स्थापित करने की सिफारिश की है। सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर रही है।

खाद्यान्नों पर लेवी लगाना

978. **श्री बेकारिया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रस्ताव किया है कि देश में फालतू अनाज को इकट्ठे करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न लेवी लगायी जाये, और

(ख) यदि हां, तो क्या यह लेवी उत्पादक स्तर पर लगायी जायेगी अथवा व्यापारियों द्वारा लगायी जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि चालू खरीफ मौसम 1974-75 में धान के बारे में उत्पादकों पर लेवी लगाकर और मिल मालिकों के बारे में चावल पर लेवी लगाकर चावल की अधिप्राप्ति की जानी चाहिए। उत्पादकों पर लेवी क्रमिक आधार पर लगायी जाएगी। इसी प्रकार, मोटे अनाजों के बारे में उत्पादकों पर क्रमिक लेवी होगी और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, वहां उत्पादकों पर भी लेवी लगायी जाएगी।

उत्पादकों पर लेवी की मात्रा उनकी जोत के आकार, भूमि की स्थिति, सिंचाई और उत्पादन की संभावनाओं के रूप में उनको जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, पर निर्भर करेगी।

सार्वजनिक वितरण पद्धति को चलाने के लिए किसानों पर श्रेणीकृत अनिवार्य लेवी

979. **श्री बेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण पद्धति को चलाने के लिए किसानों पर श्रेणीकृत अनिवार्य लेवी लगाने का प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो धनी, मध्यम तथा छोटे किसानों पर कितनी लेवी लगाने का प्रस्ताव है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि खरीफ मौसम, 1974-75 में धान-चावल की अधिप्राप्ति, धान की उत्पादक लेवी और चावल की मिलमालिक पर लेवी की संयुक्त प्रणाली के माध्यम से की जानी चाहिए। उत्पादक से क्रमिक आधार पर लेवी ली जाएगी। इसी प्रकार, मोटे अनाजों के बारे में उत्पादक पर क्रमिक लेवी और जहां आवश्यक होगा वहां व्यापारी पर लेवी लगानी होगी।

विभिन्न राज्यों द्वारा उत्पादकों पर लेवी की मात्रा लगाते समय उनकी जोत के आकार, भूमि के स्वरुप उनके पास सिंचाई सुविधाएं और उत्पादन की संभावनाओं को ध्यान में रखा जाता है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों पर खर्च की गई राशि

980. **श्री सी० जनार्दनन्‌ :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग धन मंजूर करने के सम्बन्ध में राज्य विश्वविद्यालयों की उपेक्षा कर पांच केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में उदारता बरतता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1971-72 तथा 1973 में कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ तथा तथा प्रतिवर्ष पांच केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा सम्बद्ध कालेजों पर कितनी राशि खर्च की गई है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 के अधीन विश्वविद्यालयों की वित्तीय आवश्यकताओं की जांच करना तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में उनके अनुरक्षण और विकास दोनों के लिए अनुदान निर्धारित एवं वितरित करना आयोग का काम है। राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में, आयोग विकास अनुदानों को निर्धारित और वितरित करता है। इसके अलावा उसे ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए किसी प्रकार के निर्दिष्ट कार्यकलापों के लिए, विकास और अनुरक्षण—दोनों अनुदानों के भुगतान का भी अधिकार है। इन विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान का भुगतान उनकी अपनी अपनी राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में, विकास अनुदान का भुगतान आयोग द्वारा शत प्रतिशत आधार पर किया जाता है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में उनके अपनी-अपनी राज्य सरकारों द्वारा बराबर के हिस्से की व्यवस्था की जाती है। साथ ही, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में आयोग, मैडिकल कालेजों के साथ संलग्न अस्पताल, दिल्ली विश्वविद्यालय के मैडिकल कालेज, परिसर विकास आदि के लिए विकास के खर्चे के भाग के रूप में धन की व्यवस्था भी करता है। किन्तु, राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में आमतौर पर इसकी व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

ऊपर बताई गई सांविधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए अनुदानों की मात्रा की, राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा दिए गए अनुदानों से कोई तुलना नहीं है। अतः यह कहना सही नहीं होगा कि राज्य विश्वविद्यालयों की कीमत पर आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, द्वारा प्राप्त अनुदान और उसके द्वारा पांच केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और दिल्ली विश्वविद्यालयों के सम्बद्ध कालेजों को दिए गए अनुदान निम्नलिखित हैं :—

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान

	योजनागत (रुपये करोड़ों में)	योजनेतर (रुपए करोड़ों में)
1971-72 . .	23.09	10.38
1972-73	27.50	10.93
1973-74	22.49	11.58

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के कालजों को
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए अनुदान

		1971-72	1972-73	1973-74
			(रुपये करोड़ों में)	
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय				
	योजनागत	1.11	1.21	0.86
	योजनेतर	2.31	2.42	2.66
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय				
	योजनागत	1.25	2.13	2.29
	योजनेतर	3.00	3.10	3.39
दिल्ली विश्वविद्यालय				
	योजनागत	0.82	1.10	0.95
	योजनेतर	1.38	1.58	1.40
दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेज				
	योजनागत	1.63	2.38	2.48
	योजनेतर	2.40	2.48	2.85
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय				
	योजनागत	0.90	1.61	1.85
	योजनेतर	0.20	0.19	0.21
विश्व भारती				
	योजनागत	0.19	0.13	0.18
	योजनेतर	0.70	0.72	0.83

43 LSS/74—9.

शहरी जनसंख्या में वृद्धि

981. **श्री ए० के० किस्कू** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वालों की संख्या भारत की शहरी जनसंख्या के एक तिहाई से भी अधिक है ; और

(ख) ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार की योजना क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) यह अनुमान है कि गन्दी बस्तियों की जनसंख्या शहरी जनसंख्या का लगभग 20 से 25 प्रतिशत तक है।

(ख) गन्दी बस्तियों के निवासियों से संबंधित समस्या का सामना करने के लिए, भारत सरकार ने 1956 में गन्दी बस्ती उन्मूलन और सुधार योजना बनाई थी जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को गन्दी बस्तियों के सुधार तथा उन्मूलन कार्यों के लिए अनुदान तथा ऋण दिए जा रहे थे। इस योजना को 1 अप्रैल, 1969 से राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया था।

गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की एक अन्य केन्द्रीय योजना, 1972 में आरम्भ की गई थी जिसके अंतर्गत भारत सरकार, देश के कुछ चुनींदा शहरों की गन्दी बस्तियों में सुधार कार्य करने के लिए राज्य सरकारों को शत प्रतिशत अनुदान सहायता दे रही थी। इस योजना को भी, 1 अप्रैल, 1974 से राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया था।

राज्य सरकारों को उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता अब समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किन्हीं विशिष्ट परियोजनाओं से सम्बद्ध नहीं होती है तथा राज्य सरकारें, गन्दी बस्ती सुधार तथा उन्मूलन योजनाओं के लिए उपर्युक्त सहायता में अपनी इच्छानुसार निधियों को उपयोग करने में स्वतंत्र हैं।

राष्ट्रीय प्रौढ़ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बदरपुर, नई दिल्ली के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों द्वारा अभ्यावेदन

982. **श्री अम्बेश** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकीय प्रौढ़ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बदरपुर, नई दिल्ली के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों ने इस स्कूल में स्नातकोत्तर अंग्रेजी अध्यापक द्वारा अस्पृश्यता तथा भेदभाव की नीति अपनाने के बारे में 12 सितम्बर, 1974 को शिक्षा, निदेशक दिल्ली को एक अभ्यादेन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां ।

(ख) मामले पर दिल्ली प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

आल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसायटी

983. **श्री अम्बेश : क्या निर्माण और आवास मंत्री** 26 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2111 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सीसायटी, लाजपत नगर, नई दिल्ली ने सरकार को अब तक स्थान का वास्तविक कब्जा नहीं दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार किन आधारों पर उन किरायेदारों को, जो वहां पिछले 15 वर्षों अथवा 10 वर्षों से किराये के आधार पर रह रहे हैं और नियमित रूप से किराया दे रहे हैं , "अनधिकृत निवासी" घोषित कर सकती है ।

(ग) क्या आल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसायटी से वास्तविक कब्जा लिये बिना अधिकृत किराये दारों की बेदखली संबंधी की गई कार्यवाही गैर कानूनी है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बेदखली के मामलों को वापस लेने का है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) आल इंडिया ब्लाइण्ड रिलीफ सोसायटी के द्वारा 26-4-1969 को एक अभ्यपण विलेख के निष्पादन करने से भूमि तथा उस के साथ सभी साज-सामान का स्वामित्व भारत के राष्ट्रपति के नाम निहित हो गया है । क्योंकि परिसर के दखलकार सरकार के अधिकृत किरायेदार नहीं है ; अतः भूमि संबंधी पट्टाधारी के स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग करते हुए, उनके विरूद्ध की गई बेदखली की कार्यवाही कानून के अनुसार है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

जमाखोरों तथा व्यापारियों से पंजाब सरकार द्वारा पकड़ा गया गेहूं केन्द्र को दिया जाना

984. **श्री रानेन सेन :**

श्री भान सिंह भौरा :

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने गेहूं का स्टाक, जो जमाखोरों तथा व्यापारियों से पकड़ा जा सकता है, केन्द्र को देने का निर्णय किया था, और

(ख) यदि हां, तो इस तरह से पकड़ी गई गेहूं की कितनी मात्रा अब तक उन्होंने केन्द्र को दी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अणासाहब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां। पंजाब सरकार ने पंजाब गेहूं व्यापारी लाइसेंस तथा मूल्य नियंत्रण आदेश में संशोधन किया है ताकि व्यापारियों को स्टाक सीमा को 2,500 क्विंटल से कम करके 100 क्विंटल किया जा सके और इस मात्रा से लेवी मुक्त गेहूं का जितना भी अधिक स्टाक व्यापारियों के पास उपलब्ध हो उसे लिया जा सके । व्यापारियों से कुछ लगभग 32,000 मीटरी टन की मात्रा उपलब्ध होने की सम्भावना है जिससे राज्य सरकार भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डार को सौंप देगी।

खाद्यान्नों के आयात के बारे में केन्द्रीय कृषि मंत्री का वक्तव्य

985. **श्री रानेन सेन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 23 अक्तूबर, 1974 को कलकत्ता में एक व्यक्तव्य दिया था कि भारत को कुछ खाद्यान्नों का आयात करना पड़ेगा है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं, और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में किन देशों के साथ बातचीत की थी और खाद्यान्नों का आयात किस मूल्य पर किया जा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख)। कृषि एवं सिंचाई मंत्री ने इस बात का भी उल्लेख किया था कि देश में खाद्यान्नों की चल रही मौजूदा कमी को काफी हद तक हल किया जा सकता है बशर्ते की राज्य सरकारें बड़े किसानों और व्यापारियों के पास जमाशुदा खाद्यान्नों को निकलवाने में और खाद्य उत्पादन कार्यक्रमों को कार्यन्वित करने तथा खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा अधिप्राप्त करने में अपना पूर्ण सहयोग देती हैं ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय मंड़ी में समय-समय पर चल रहे मूल्यों पर संयुक्त राज्य अमेरीका, कनाडा, अर्जनटाइना, आस्ट्रेलिया और यूरोपियन इक्नामिक कम्यूनिटि के देशों से खाद्यान्नों की वाणिज्यिक खरीदारी की जा रही है ।

'नेशनल केपीटल रीजन प्लान'

986. **श्री बाई ईश्वर रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नेशनल केपीटल रीजन प्लान' के सम्बन्ध में अब तक कोई कार्य नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) . जी, नहीं । उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड ने 17 सितम्बर, 1973 को हुई अपनी बैठक में दिल्ली महानगर क्षेत्र तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विकास योजनाओं को बनाने तथा कार्यान्वियन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजनाओं का अनुमोदन किया। उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड ने 27-9-74 को हुई अपनी बैठक में उप-क्षेत्रीय प्लान को भी अनुमोदित कर दिया है जिस के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश और हरियाणा में आने वाले रिजन के क्षेत्रों के बारे में बन्दोबस्त पद्धति तथा सड़कों का मिलान आ जाता है । उद्योग तथा व्यापार आदि के विकेन्द्रीकरण के प्रस्तावों पर विचार इस प्रयोजन के लिये गठित कार्यकारी दल द्वारा किया जा रहा है । एक तकनीकी दल प्राथमिकता तथा विकास पद्धति को पहिचानने जिस में वित्त शामिल है, की दृष्टि से विभिन्न उप-क्षेत्रों में क्षेत्रीय सड़कों का जाल बिछाने पर भी विचार कर रहा है । प्रत्येक संघटक राज्य में एक प्राथमिकता दिए गये नगर के विकास के लिये परियोजनाओं की तैयारी पर कार्य, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है और आशा है कि इस वर्ष इन परियोजनाओं का कार्यान्वियन आरम्भ हो जायेगा ।

दिल्ली में स्लम बोर्ड

987. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बस्ती सुधार के कार्य को आरम्भ करने के लिए दिल्ली में एक स्लम बोर्ड की स्थापना का सरकार का एक प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). दिल्ली के लिए एक स्लम बोर्ड स्थापित करने सम्बन्धी एक सुझाव प्राप्त हुआ है जो विचारधीन है ।

फसल की क्षति

988. **श्री भोगेन्द्र झा :**

988. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 20 सितम्बर, 1974 के समाचार पत्रों में '20 करोड़ रुपये के मूल्य की फसल नष्ट होने की स्थिति में' शीर्षक से प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम यमुना नहर में जल के बहाव में कमी हो जाने तथा नलकूपों को चलाने के लिए अनियमित बिजली की सप्लाई होने से स्थिति गंभीर हो गयी है ;

(ग) क्या अनेक किसानों ने नलकूपों को चलाने के लिये अपने स्वयं के डीजल इंजन लगा लिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या व परिणामों को प्राप्त करने में असफल रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ): सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नदियों में जल दूषण

989. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई छोटी नदियों और बड़ी नदियों के काफी लम्बे भाग दूषित हो गये हैं जैसा कि 18 सितम्बर 1974 के एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में छपा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा जल दूषण को रोकने के लिये कोई तत्काल उपाय किए गए हैं ; और

(ग) क्या राज्य सरकारों को कोई निर्देश दिए गए हैं ; और यदि हां, तो सत्तम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) विशेषज्ञों के सर्वेक्षणों से प्रतीत होता है कि बड़ी नदियों के प्रतिबंधित भागों में काफी प्रदूषण है तथा छोटी-छोटी कई नदियों में अत्यधिक प्रदूषण है ।

(ख) तथा (ग) : नदियों के प्रदूषण के नियंत्रण तथा निवारणार्थ, केन्द्रीय सरकार ने जल (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 बनाया है जो 23 मार्च 1974 से 12 राज्यों तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है शेष राज्यों को भी उपर्युक्त अधिनियम को लागू करने के लिये परामर्श दिया जा रहा है। इस अधिनियम के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिये सभी राज्य सरकारों को विस्तृत मार्गनिर्देशन जारी कर दिये गये हैं। इन मार्गनिर्देशनों में उद्योगों से सूचना एकत्र करने के लिये, पानी, गन्दगी तथा कारखानों के निस्त्रावों आदि के नमूनों का विश्लेषण करने के लिये प्रयोगशालाओं की स्थापना करने अथवा उन्हें मान्यता देने सम्बन्धी प्रपत्र भी शामिल है।

राज्यों में वन संसाधन सर्वेक्षण

990. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**
श्री एस० एन० सिंह देव :

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कोई वन संसाधन सर्वेक्षण किया गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले तथा यह सर्वेक्षण कहां-कहां किया गया है;

(ग) सर्वेक्षण प्रतिवेदन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा प्रत्येक राज्य में सर्वेक्षण पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(घ) सर्वेक्षण प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने के समबन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि सम्बन्धी आंकड़ों के लिये उत्तर-पूर्वी राज्यों को केन्द्र द्वारा सहायता

991. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**
श्री एस० एन० सिंह देव :

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह ताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल तथा अन्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों में कृषि विषयक आंकड़े एकत्र करने के लिये कोई सहायता दी गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार अब तक कितनी राशि मंजूर की गई तथा वास्तव में कितनी राशि का उपयोग किया गया ;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा आंकड़ों सम्बन्धी कोई प्रतिवेदन तैयार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उस प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल तथा अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के लिये अब तक स्वीकार की गई और वास्तव में उपयोग में लाई गई भन राशि का विवरण संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी० 8490/74]

(ग) तथा (घ): राज्य सरकारों ने मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल के संबंध में कृषि सम्बन्धी आंकड़ों की रिपोर्ट तैयार कर ली है । असम संबंधी रिपोर्ट राज्य सरकार तैयार कर रही है । रिपोर्टों की प्रतियां पर्याप्त संख्या में राज्य सरकारों से प्राप्त की जा रही हैं और प्राप्त होने पर शीघ्र ही संसद् के पुस्तकालय में रख दी जाएंगी ।

धान के उत्पादन के लिए द्रुत कार्यक्रम

992. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चुने हुए क्षेत्रों में धान की अतिरिक्त फसल तैयार करने के लिए एक द्रुत कार्यक्रम बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) यह योजना इस समय क्रियान्विति की किस अवस्था में हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल): (क), (ख) तथा (ग). वर्ष 1973-74 में ग्रीष्म कालीन चावल का उत्पादन लगभग 30 लाख मीटरी टन था । 1974-75 में क्षेत्र तथा उत्पादकता बढ़ाकर इस उत्पादन को 45 लाख मीटरी टन तक करने का प्रस्ताव है । धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों के अंतर्गत अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र लाकर इस कार्यक्रम को मुख्यत: पूर्वी तथा दक्षिणी राज्यों में क्रियान्वित किया जायेगा , लेकिन इसके लिये इस प्रकार का कोई त्वरित कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है ।

Conditions for Eligibility of Private Candidates to various Universities Examinations

993. Shri Hari Singh: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the conditions imposed by some Universities on private candidates appearing in Post-graduate examinations ; and

(b) if so, whether some of the conditions imposed by these Universities would not encourage provincialism ?

The Minister of Education, Social Welfare & Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) and (b). The information is being collected from various Universities and will be placed on the Table of the House when received.

उर्दू विश्व शब्दकोष का तैयार किया जाना

994. **श्री सतपाल कपूर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड को उर्दू विश्वकोष तैयार करने के लिए सरकार ने कितनी धनराशि स्वीकृत की है ; और

(ख) उर्दू विश्व शब्दकोष तैयार करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है और कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) उर्दू में पुस्तक निर्माण की योजना के अन्तर्गत तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड के पर्यवेक्षण में, एक उर्दू विश्व कोष तैयार करने की परियोजना शुरू की गई । यह परियोजना पिछले वर्ष शुरू की गई थी तथा इसे छः वर्षों में पूरा करने का कार्यक्रम है । विश्व कोष 12 खण्डों में प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक खण्ड में लगभग 500 पृष्ठ होंगे । इस परियोजना पर लगभग 9 लाख रुपये लागत आने की संभावना है ।

विश्वकोष तैयार करने का कार्य, अबुल कलाम प्राच्य अनुसन्धान संस्थान, हैदराबद को सौंपा गया है, जिन्हें अब तक 3,63,400 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है । इस सम्बन्ध में, विस्तृत योजना, इस कार्य के लिये गठित विशेषज्ञों के 34 विशेष पैनलों द्वारा बनाई गई है । अब तक विश्वकोष के लिये 30,000 प्रविष्टियों के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा चुका है तथा उन प्रविष्टियों को उनकी व्याख्या करने के लिये, विशेषज्ञों को सौंपा जा चुका है । संस्थान द्वारा लगभग 200 पृष्ठों को भरने की प्रारम्भिक विषय-वस्तु प्राप्त हो चुकी हैं ।

इंजीनियरिंग में स्नातक तथा डिप्लोमाधारी

995. **डा० के० एल० राव :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष इंजीनियरी में कितने स्नातक/डिप्लोमाधारी शिक्षा संस्थानों से निकल रहे हैं ;

(ख) उनमें से प्रति वर्ष सरकारी अथवा गैरसरकारी एजेंसियों में कितने लोग नियुक्त किये जाते हैं ;

(ग) यदि भाग (ख) में पूछी गई सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, तो क्या सरकार रोजगार प्राप्त इंजीनियरों के सम्बन्ध में तुरन्त सूचना एकत्र करेगी; और

(घ) यदि शिक्षा, संस्थाओं से निकले तथा रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों के बीच बहुत अन्तर है तो इस बारे में संतुलन लाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि अधिक बेरोजगारी तथा अनुचित तकनिकी शिक्षा को टाला जा सके ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पास होने वाले इंजीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	स्नातक	डिप्लोमाधारी
1971–72	18223	16563
1972–73	16504	15191
1973- 74	14756	13454

(ख) तथा (ग) प्रत्येक वर्ष रोजगार प्राप्त करने वाले इंजीनियरकी संख्या के बारे में सही-सही सूचना इस समय उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, 1971, 1972 तथा 1973 में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत इंजीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों की कुल संख्या क्रमश: 73115, 82655 तथा 78308 थी इन आंकड़ों से पता चलता है कि प्रत्येक वर्ष अर्हता प्राप्त करने वाले काफी इंजीनियरों को रोजगार में लगाया जा रहा है ।

(घ) तकनीकी संस्थाओं में दाखिले की नीति की निरंतर जांच की जाती है । छठी योजना में तकनीकी जनशक्ति की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं जिससे कि पांचवीं योजना में तकनीकी संस्थाओं में दाखिले को उन आवश्यकताओं के अनुसार नियमित किया जा सके ।

भाखड़ा जल ग्रहण क्षेत्र में भू-संरक्षण कार्यक्रम

996. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा प्रबंध बोर्ड ने भाखड़ा जल ग्रहण में युद्ध स्तर पर भू-संरक्षण कार्यक्रमों का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर आने वाली लागत का हिसाब लगाया है ;

(ग) यदि हां, तो इन खर्चों को कौन वहन करेगा ; और

(घ) क्या बोर्ड का विश्वास है कि वहां रेत जमने की गति अत्यन्त चिन्ताजनक नहीं है, और यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) जी, नहीं । बहरहाल, भू-संरक्षण पर स्थायी समिति जिसमें भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड का प्रतिनिधि भी होता है, ने कुछ भू-संरक्षण उपायों पर विचार विमर्श करके कुछ निर्णय लिये गये थे ।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, जो भाखड़ा वाह-क्षेत्र में भू-संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है, लागत का हिसाब लगाया गया ।

(ग) यह एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है और इसका व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

(घ) भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड गाद भरने की गति को चिन्ताजनक नहीं समझता है । भाखड़ा जलाशय के प्रचालन के प्रारम्भिक वर्षों के दौरान प्रत्याशित मात्रा की अपेक्षा गादीकरण की मात्रा कुछ अधिक थी परन्तु अब यह व्यवस्थित हो गई है और काफी हद तक कम हो गई है । यह अब जलाशय के जीवन काल के लिये अभिकल्प गणनाओं में परिकल्पित मात्रा की अपेक्षा कम है ।

वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान गुजरात को सप्लाई किया गया चावल तथा चीनी

997. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय व 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार को चावल और चीनी की कितनी मात्रा सप्लाई की;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गुजरात राज्य ने केन्द्रीय सरकार से चावल और चीनी की कितनी मात्रा मांगी थी; और

(ग) क्या मांग पूरी कर ली गई है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वित्तीय वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान गजरात सरकार को सप्लाई/आवंटित की गई चावल और लेवी चीनी की मात्रा इस प्रकार है :--

(हजार मीटरी टन में)

वर्ष	चावल	लेवी चीनी
	सप्लाई की गई मात्रा	आवंटित मात्रा
1972-73 . . .	112.8	118.822
1973-74	49.7	184.991

(ख) और (ग) केन्द्रीय भण्डार में कुल उपलब्धता, राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, स्थानीय उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय भण्डार से विभिन्न राज्यों को चावल की सप्लाई की जाती है। तथापि, वित्तीय वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान गुजरात सरकार द्वारा मांगी गई चावल की मात्रा क्रमश: 165.0 और 270.0 हजार मीटरी टन थी। खाद्यानों की उपलब्धता में सुधार करने के लिये राज्य को चालू मौसम में व्यापार खाते में लगभग 32 हजार मी० टन गेहूं आयात करने की इजाजत दीं गई थी। मार्च, 1974 से मोटे अनाजों के संचलन पर लगे प्रतिबन्धों को हटाने से उस राज्य में मोटे अनाजों का मुक्त संचलन शुरू हो गया है।

जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश को लेवी चीनी का मासिक कोटा, जनसंख्या, वर्ष 1967-68 और 1968-69 के दौरान खपत के तरीके और आवंटन के लिये उपलब्ध लेवी चीनी की मात्रा जैसे तथ्यों को ध्यान में रखकर युक्तियुक्त आधार पर निर्धारित किया जाता है। राज्य सरकार ने त्योहारों की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अगस्त और अक्तूबर, 1973 के प्रत्येक महीने के लिये 5,000 मीटरी टन लेवी चीनी के अतिरिक्त आवंटन हेतु अनुरोध किया था। चीनी की कठिन स्थिति की दृष्टि में अगस्त, 1973 के लिये लेवी चीनी का कोई अतिरिक्त आवंटन नहीं किया जा सकता लेकिन गुजरात सरकार को दशहरा और दिवाली के लिये 1,563 मीटरी टन लेवी चीनी आवंटित की गई थी और उनके अक्तूबर, 1973 के कोटे को बढ़ाकर 16,408 मीटरी टन कर दिया गया था जबकि सितम्बर, 1973 में 14,845 मीटरी टन चीनी आवंटित की गई थी।

नवम्बर, 1973 में, गुजरात सरकार ने राज्य में बफर स्टाक बनाने के लिये अपने मासिक कोटे के 50 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त चीनी आवंटित करने के लिये अनुरोध किया था । पत्नोत्तर में राज्य सरकार को यह स्पष्ट किया गया था कि चीनी की सीमित उपलब्धता को देखते हुए उक्त प्रयोजन के लिये कोई अतिरिक्त आवंटन करना सम्भव नहीं हुआ ।

गुजरात में निम्न आय वर्ग वाले लोगों के लिये निर्मित मकान

998. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1974 तक गुजरात में निम्न आय वर्ग के लिये कितने मकानों का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर बड़ौदा में इस प्रकार के मकान बनाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) गुजरात सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, निम्न आय वर्ग आवास योजना, औद्योगिक मजदूरों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना तथा गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना के अन्तर्गत लगभग 40,706 मकान बनाए गए हैं ।

(ख) तथा (ग) जी हां, लेकिन गुजरात सरकार से योजना का ब्यौरा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

पांचवीं योजना में आवास के लिये नियतन

999. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में गुजरात के लिये आवास हेतु कुल कितनी राशि का नियतन किया गया है;

(ख) क्या इस राशि से बनाए जाने वाले मकानों की संख्या के बारे में कोई लक्ष्य निश्चित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) पांचवीं पंच वर्षीय योजना बनाने के सम्बन्ध में गुजरात सरकार से विचार विमर्श करने के दौरान, योजना आयोग ने "आवास" के लिये 18 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की, तथा योजनावार नियतन का कार्य राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया । राज्य सरकार ने विभिन्न आवास योजनाओं के अधीन वास्तविक लक्ष्यों की सूचना अभी नहीं दी है ।

Asian Games

1000. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the number of players who represented India in Asian games held at Teheran and the basis of their selection; and

(b) the total expenditure incurred in this regard ?

Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of culture (Shri Arivind Netam) : (a) 130 Sportsmen represented India in the VII Asian Games held at Teheran in September, 1974.

The teams were selected by the Indian Olympic Association on the basis of third existing position in Asia in various games/sports. Relaxation of the qualifying standard was, however, allowed at the request of the Indian Olympic Association and in consultation with the All India Council of Sports, in a few exceptional cases on merits.

(b) An expenditure of Rs. 5,85,365 has so far been incurred by the Government towards the coaching and international passage cost of the Indian teams.

'ग्रांसुका' के बारे में जारी किये गये
राष्ट्रपति के 16 नवम्बर, 1974 के ग्रादेश
(सभा पटल पर रखे गय)
ग्रौर उस पर स्थगन प्रस्ताव के बारे में

Re: Presidential Order Dated 16-11-74 on MISA (laid on the Table) and Adjournment Motion Thereon

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Mr. Speaker, Sir, I rise on a point of order question hour is over and now you are switching over to the other item in the List of Business. But there is no reference of Presidential Order in the List of Business According to Article 359(3) of the Constitution, "Every order made under clause (1) shall as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament." Just now I have enquired from your Secretariat..(*Interruptions*)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

ग्रध्यक्ष महोदय : मैं ग्रापको इसकी ग्रनुमति बाद में दूंगा। ग्रभी तो मैं ही खड़ा हूं। इसके परिचालन के लिये उचित समय दिया जाएगा।

Shri Shyam Nandan Mishra (Begusarai): The revised list has not been circulated.

Mr Speaker: This alongwith a copy of the Order has been given to me just now

Shri Shyam Nandan Mishra: It becomes a Privilege issue. It is a procedural matter. (*Interruptions*)

Mr. Speaker: It has not been received after you had raised this issue..I received it just now.

Shri Madhu Limaye (Banka): Sir, I rise on a point of order (*Interruptions*)

ग्रध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने मुझे मौखिक रूप से पहले ही बता दिया था।

प्रो० मधुदण्डवते (राजापुर) : क्या ग्राप मौखिक निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं ?

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्रब तो यह मेरे पास लिखित रूप में ग्रा गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आदेश शनिवार के 2 से 3 बजे के बीच जारी किया गया था। इसी दिन यह समाचारपत्रों में भी प्रकाशित हो गया। मैंने इसके बारे में गृहमंत्री तथा श्री गोखले को फोन भी किया और उन्होंने भी यही बताया कि आदेश जारी कर दिया गया है। फिर यह आदेश आपको उसदिन क्यों नहीं भेजा गया। आदेश को प्राप्त करने के लिये आपका होना जरुरी ही नहीं था, वह कैसे भी प्रस्तुत किया जा सकता था। सदन का सत्र चल रहा है और उसे विश्वास में लिये बिना ही इस प्रकार के आदेश जारी किये जा रहे हैं। यह विशेषाधिकार का मामला है। अतः इस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलिपुर) : संविधान के अनुच्छेद 359(3) में यह पूर्णतया स्पष्ट कर दिया गया है कि इस प्रकार की स्थिति में आदेश की प्रति आप को अवश्य ही तुरन्त भेजी जानी चाहिये थी। परन्तु इन्होंने शनिवार, रविवार तो क्या आज सोमवार तक उसे आपके पास नहीं भेजा। प्रश्नकाल समाप्त होने पर, प्रति आपके हाथ में थमा दी गई। यह सम्पूर्ण आचरण भी लोकतांत्रिक प्रणाली व प्रक्रिया के विपरीत है। आपका इसके बारे में क्या विचार है ?

श्री संझियान (कुम्बकोणम) : जिस ढंग से सदस्यों द्वारा यह विषय उठाए जाने की बाद, आदेश की प्रति अध्यक्ष महोदय, आपको दी गई है वह केवल सांविधिक व्यवस्था के विपरीत ही नहीं अपितु सदन की गरीमा के भी विरुद्ध है। यह निश्चय ही काफी गम्भीर मामला है क्योंकि उन्होंने सदन तथा अध्यक्षपद दोनों की ही अलोचना की है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Sperker, Sir there is no mention in two days list of Business about the laying on the Table of the House, the ordinance. In fact the Government did not consider it necessary to infoim the Speaker. What does this reveal? Does this not amount to disregard of the House ? The ordinance was issued on Saturday and its details were broadcast over the A.I.R. as well made public through the newspaper. But it is quite strange that nothing was done to inform the speaker about laying it on the Table as required under rule 359(3) of the Constitution. It is lapse on the part of the Government. It amount to the contempt of the House and Home Minister should be pulled up for this lapse.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता तो यह है कि इस आदेश के सम्बन्ध में निर्णय शुक्रवार की शाम को ले लिया गया था। आज पूरे तीन दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने अध्यक्ष को लिखित रूप में इसकी जानकारी नहीं दी है। यह सूचना केवल मौखिक रूप से दी गई है। यह निश्चय ही आपत्तिजनक है।

इसे लिखित रूप में अध्यक्ष के पास भेज दिया जाना चाहिये था। जिस ढंग से आदेश की प्रति आप को दी गई है, वह नियमानुसार और संवैधानिक नहीं है। अतः ऐसा मेरा निवेदन यह है कि इससे सभा के विशेषाधिकार का हनन हुआ है तथा अध्यक्ष का अपमान हुआ है। अतः अब इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय को स्थिति स्पष्ट करते हुए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि भविष्य में इस प्रकार के व्यवहार की पुनरावृत्ति न हो।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जो अजीब रवैया अपनाया गया है वह निश्चय ही निन्दनीय है। प्रायः देखने में आ रहा है कि सरकार संसद के अपेक्षित मान नहीं देती है। वह यही सोचती रही है कि वह अपनी चतुराई से सब कुछ करवा लेगी। आदेश के बारे में केवल मौखिक रूप से बता देना तथा सचिवालय को सूचित न करना काफी गंभीर विषय है। इनका सम्बन्ध प्रक्रिया से है। अतः इस सम्बन्ध में अध्यक्ष की टिप्पणी आवश्यक है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : वर्तमान आदेश के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह निश्चय ही बहुत आपत्तिजनक है। इस प्रक्रिया से न केवल संविधान के उपबन्धों का ही उल्लंघन हुआ है अपितु इससे सदन के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का अतिक्रमण भी हुआ है।

अभी अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया कि उन्हें इसकी मौखिक सूचना दी गई थी। यदि अध्यक्ष महोदय यह मानते हैं कि ऐसा करना नियमानुसार है, तो हमें इसके अनुरूप नियमों में परिवर्तन करना होगा। कल को यदि कोई सदस्य अध्यक्ष महोदय को कोई बात मौखिक रूप से या टेलीफोन पर कहे तो क्या वह उसे प्रक्रिया के अनुरूप मानकर स्वीकार कर लेंगे? इस दृष्टि से यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है तथा इस पर अध्यक्ष द्वारा विचार किया जाना चाहिये।

गृह मंत्री महोदय से हमारी इसके बारे में बातचीत हुई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि अभी इसके बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है। लेकिन फिर तुरन्त ही इस आदेश की सूचना हमें समाचार-पत्रों तथा आकाशवाणी से प्राप्त हो गई। अतः गृहमंत्री ने इस सम्बन्ध में जो रवैया अपनाया है, उससे न केवल सदन की गरिमा तथा विशेषाधिकारों का ही, अपितु संविधान के उपबन्धों का भी उल्लंघन हुआ है। अध्यक्ष महोदय को इसके बारे में अपनी टिप्पणी निश्चय ही करनी चाहिये।

Shri Madhu Limaye : I would like to draw your attention towards Direction 116. This direction is to be read along with Article 359. Direction says that papers to be laid on the Table shall ordinarily be sent by Ministries two days in advance of the day on which the papers are proposed to be laid. But in the present case, this provision was not complied with. You should give a clear ruling whether Article 359 and Direction 116 have been voilated or not and if they have been violated, what punishment you are going to give to the hon. Minister ?

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : संसदीय प्रणाली के तीन स्तम्भ हैं—राष्ट्रपति, न्यायपालिका तथा संसद। आप संसद के अभिरक्षक हैं। लेकिन मंत्री महोदय ने संसद की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखा। गृह मंत्री का रवैया संसद के प्रति अपमानजनक है। वह किसी भी मामले पर प्रतिपक्ष के विचार जानने के लिए नेताओं को निमन्त्रित करते हैं और बाद में उनके विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं होते। आपको मंत्री महोदय को दंड देना चाहिए अन्यथा संसद की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। अध्यक्ष महोदय को इस सम्बन्ध में स्पष्ट विनिर्णय देना चाहिए। संसदीय प्रक्रिया, परम्परा तथा प्रणाली न केवल संविधान, प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों और निदेशों पर आधारित है, बल्कि विश्व की सभी लोकतंत्रात्मक संसदों पर आधारित हैं। यदि इनका उल्लंघन किया जाता है और सरकार को इस के लिए दंड नहीं दिया जाता तो यह हम सबके लिए चिंता का विषय है और इसलिए हम आपके विनिर्णय की अपेक्षा करते हैं।

गत सप्ताह मैंने बताया था कि सरकार अन्धाधुंध अध्यादेश जारी करके सदन की उपेक्षा कर रही है। सरकार शुक्रवार और सोमवार के बीच अध्यादेश जारी करती है क्योंकि उस दिन सदन की बैठक नहीं होती। यह एक गम्भीर मामला है। आपको इस प्रश्न को न केवल संवैधानिक आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि में देखना होगा बल्कि अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान भी रखना होगा। आप न केवल सरकार की निंदा ही करें बल्कि स्पष्ट विनिर्णय भी दें कि ऐसा फिर नहीं होगा।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : गत दो दिन सदन की बैठक नहीं हुई। इसलिए आज पत्रों को सभा-पटल पर रखने के लिए आपकी अनुमति मांगी ... (**व्यवधान**) सरकार का रवैया संसद के प्रति सम्मानजनक है... (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रतिपक्ष द्वारा आदेश का विरोध किए जाने के बावजूद यह आदेश जारी क्यों किया गया? आदेश प्रकाशित करने से पूर्व सरकार को चाहिए था कि वह आपको लिखती।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने प्रक्रियाओं का सही ढंग से उल्लेख किया है। अनुच्छेद 377 को निदेश 116 के साथ पढ़ने से सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। दो दिन सत्र की बैठक नहीं हुई, इसलिए आज हमने इस पर विचार शुरू किया है।

श्री श्यामनंदन मिश्र : इसका नोटिस शनिवार को दिया जा सकता था।

अध्यक्ष महोदय : महासचिव से मैंने पूछा था कि क्या कोई सूचना मिली है। लेकिन तब तक सूचना नहीं मिली थी। सूचना आज ही प्राप्त हुई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : रेडियो अथवा समाचार-पत्र में आदेश भेजने से पूर्व आपको नोटिस दिया जा सकता था।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी इससे सहमत हूँ। सरकार को इस मामले में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए थी। बेहतर होता यदि सरकार महासचिव को इसकी सूचना दे देती। मैं नियम समिति से सलाह लूंगा। यह विलम्ब का मामला है। सरकार को तत्काल ही संसदीय कार्यालय में सूचना देनी चाहिए थी। सरकार का ऐसा न करना अनौचित्यपूर्ण था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री महोदय को क्षमा मांगनी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपको मंत्री महोदय को फटकारना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सदन में संसदीय भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। गृह मंत्री को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी त्रुटि भविष्य में न हो। अब पत्र सभा-पटल पर रखा जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं इसका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति रखें। पहले पत्र सभा-पटल पर रखा जाए।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं संविधान के अनुच्छेद 359 के खंड (3) के अन्तर्गत, राष्ट्रपति के आदेश दिनांक 16 नवम्बर, 1974 की एक प्रति जो उक्त अनुच्छेद के खंड (1) के अन्तर्गत जारी किया गया था तथा जो दिनांक 16 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नी० 659 (5) में प्रकाशित हुआ था, सभा-पटल पर रखता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उससे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता है।

श्री सेझियान : इससे संविधान के अनुच्छेद 359 का उल्लंघन होता है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि सरकार संविधान के भाग 3 के अन्तर्गत दिए गए अधिकारों में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि इस संशोधन से संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन न हो। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता है मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह आदेश संवैधानिक है?

Shri Madhu Limaye : You have just stated that you cannot go into the Constitutional aspect of the matter. But I would like to draw youn kind attention towards Article 144, which says that all authorities, Civil or Judicial, in the territory of India shall act in the aid of the Supreme Court. You are also one of the Authorities.

अध्यक्ष महोदय : यदि सदन मुझे यह अधिकार दे कि मेरे विचारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाएगा, तो मैं निश्चित रूप से अपने विचार प्रकट करूंगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, you are not right when you say that you will permit to lay the paper on the Table of the House which comes from Government side. But, suppose, Government promulgates such an order by which supremacy of Parliament is put to an end and permission to lay is sought for....

Mr. Speaker : On the one side, you draw my attention towards the direction which says that it shall be laid on the Table of the House and on the other side you say that it s hould not be laid on the Table of the House.

Shri Atal Bihari Vajpayee : We consider it a voliation of fundamental rights enshrined in our constitution. Can't be oppose the laying of the paper?

Mr. Speaker : You can gladly do that but I have no authority to refuse the laying of paper.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, आपने दो अलग मामलों पर विचार करना है। पहला प्रश्न तो यह है कि क्या प्रतिपक्ष के विरोध के वावजूद अनुच्छेद 359 के अन्तर्गत आदेश को सभा-पटल पर रखा जा सकता है। मेरे विचार में आदेश को सभा-पटल पर रखना सरकार का कर्त्तव्य है। दूसरा प्रश्न यह है कि यदि सरकार कोई असंवैधानिक कार्य करती है तो क्या अध्यक्ष पीठ की यह धारणा उचित होगी कि वह इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते कि क्या सभा-पटल पर रखा जाने वाला पत्र सही है अथवा नहीं। आपकी यह धारणा सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी यह धारणा नहीं है। पत्र के सभा-पटल पर रखे जाने पर उसका विरोध किया जा सकता है और इसके लिये मैं सदस्यों को बोलने का अवसर देता हूं।

जहां तक सभा-पटल पर रखने के लिए अनुमति न देने के अधिकार का प्रश्न है, यदि सदस्य विलम्ब का प्रश्न उठाएं तो मैं मंत्री महोदय से इसके औचित्य अथवा अनौचित्य के बारे में पूछ सकता हूं। परन्तु यदि आप कहें कि मैं संवैधानिक मामले में अपना मत दूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने सभा-पटल पर पत्र रखने की अनुमति तो दे दी है परन्तु आपको सरकार को निदेश देना चाहिए कि वह इस पत्र को परिचालित न करे।

अध्यक्ष महोदय : परिचालन तो अवश्य होगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : आदेश में क्या कहा गया है? यदि यह तस्करों के लिए है फिर तो मै इसका विरोध नहीं करूंगा। आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम पारित करते समय सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि इसका प्रयोग राजनीतिक व्यक्तियों के विरूद्ध नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरे पास ऐसे आंकड़े हैं जिससे पता लगता है कि इसका प्रयोग राजनीतिक व्यक्तियों के विरूद्ध किया गया है। अब सरकार यह कह रही है कि वह तस्करों को न्यायालय जाने की अनुमति नहीं देगी।

अध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति द्वारा 16 तारीख को जारी किए आदेश, जिसमें न्यायालय में जाने के मूलभूत अधिकार को समाप्त करने के लिए कहा गया है, के विरुद्ध नोटिस दिए हैं। कई सदस्यों ने राष्ट्रपति के आदेश के निरनुमोदन के बारे में प्रस्ताव दिए हैं। अन्य सदस्यों ने नियम संख्या 193 के अन्तर्गत चर्चा के नोटिस दिए हैं। मैं अभी यह निर्णय नहीं कर पाया कि कौन सा प्रस्ताव पहले लूं। हो सकता है कि इस सम्बन्ध में कोई स्थगन प्रस्ताव भी आए। मैं किसी भी रूप में चर्चा की अनुमति दे सकता हूँ परन्तु स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में स्पष्ट कहा है कि सरकार नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ रही है (**व्यवधान**) जहां तक प्रस्ताव की स्वीकार्यता का प्रश्न है, 24वें संविधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि यद्यपि इस विधेयक के माध्यम से संसद की सर्वोच्चता स्थापित की जाएगी फिर भी संवैधानिक उपायों से सम्बन्धित अनुच्छेदों को नहीं छुआ जाएगा। और प्रत्येक नागरिक को न्यायालय में जाने का पूरा अधिकार दिया जाएगा।

सरकार ने कहा है कि यह आदेश तस्करों के लिए जारी किया गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि राजनीतिक व्यक्तियों को भी इसकी लपेट में लिया जा रहा है। सरकार कल को हमें तस्कर कह कर गिरफ्तार कर सकती है (**व्यवधान**) और यदि हम न्यायालय में जाना चाहेंगे कि हमें राजनीतिक प्रतिशोध के लिए गिरफ्तार किया गया है तो हमें न्यायालय में नहीं जाने दिया जाएगा। इसका र्थ है कि हमारा अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। आप मेरे स्थगन प्रस्ताव को गृहीत करने के बारे में विचार करें। (**व्यवधान**)

श्री बंसत साठे (अकोला) : माननीय सदस्य काल्पनिक प्रश्न उठा रहे हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति रखें। सिर्फ श्री इन्द्रजीत गुप्त के भाषण को कार्यवाही सारांश में शामिल किया जाएगा क्योंकि मैंने उन्हें बोलने के लिए कहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुछ दिन पूर्व हमें रात के 9 बजे बुलाया गया था तथा हमें सरकार ने प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में मौखिक रूप से बताया था। हमने आदेश के मूल पाठ देने की मांग की थी ताकि हम उसका अध्ययन करके अपने विचार प्रकट कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और हमें केवल मौखिक बातों पर निर्भर रहना पड़ा। यह सच है कि इस आदेश का दुरुपयोग प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है जैसा कि हम जानते हैं, पत्तनों के माध्यम से तस्करी होती है। कल को यदि पत्तन तथा गोदी कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं, तो उन्हें तस्करी के आरोप में भी गिरफ्तार करके आदेश का दुरुपयोग किया जा सकता है। उन्हें न्यायालय में जाने का अवसर नहीं मिलेगा जिससे वे यह सिद्ध कर सकें कि वे तस्कर नहीं हैं।

पकड़े गए बड़े बड़े तस्करों को किसी न किसी आधार पर रिहा किया जा रहा है। हम इसके पक्ष में नहीं हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से विस्तृत विधान लाने की मांग की है जिससे न केवल तस्करों बल्कि उनको संरक्षण देने वाले राजनीतिक नेताओं, मंत्रियों, कर्मचारियों को भी पकड़ा जा सके।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिहा किये गये लोगों को सरकार ने पुनः गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें 3 से 5 सालों के लिये नज़रबंद कर दिया है। उन्ही कानूनों के अधीन हाजी मस्तान को नजरबंद करने में क्या रुकावट है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त: संसद् ने मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाये हैं। राष्ट्रपति का आदेश एक विशेष वर्ग पर लागू होता है। इन लोगों को तस्करी करने के लिए मूल अधिकार मिलने में कोई औचित्य नहीं है। परन्तु इस आदेश को जारी करने पर सरकार के रवैये से हमारा बुनियादी मतभेद है। इसका एक सीमित उद्देश्य यह है कि ये तस्कर न्यायालयों से रिहाई न ले सकें। हम यह स्थगन प्रस्ताव इसलिये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि यह एक पूर्णतः अपर्याप्त उपाय है।

हम यह जरूरी समझते हैं कि तस्करों को रिहा न किया जाये। इस स्कीम तक तो यह आदेश ठीक है, परन्तु यह अपर्याप्त है। हम चाहते हैं कि इसके साथ यह और जोड़ा जाये कि सरकार इसी सत्र में 20 दिसम्बर से पहले एक व्यापक कानून लायेगी, जैसे कि उन तस्करों की सम्पत्ति को जब्त करने के बाद अपने कब्जे में ले लिया जायेगा।

इस विषय पर हम एक विस्तृत चर्चा चाहते हैं। हमारा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि वह इस स्थगन प्रस्ताव को गृहीत करें।

Shri Madhu Limaye : The adjournment motion relates to the total failure of the Government to ensure affective trial and conviction of smugglers and other economic offenders in an open court for fear of exposure of the link of bureaucrats and politicians with these smugglers and other economic offenders.

The continuance of emergency is *mala fide*. It was declared at the time of our confrontation with Pakistan and it is being dragged on since then. This is not proper.

Not only customs and police officers but also Governors, Ministers and legislators are connected with the smugglers. If the Government wants to take action against the smugglers, then why are they silent about these politicians? Strong action should be taken against those persons we will give our full support, if the Government takes any such step.

The smugglers can be liquidated only if their economic power is destroyed. For this purpose, their properties should be confiscated.

It is learnt that some Congress leaders have gone to negotiate with the smugglers who are detained in the capital. It appears that Government wants to keep them in jail for six months and then release them after taking money. If that is so, our adjournment motion should be admitted so that this matter could be properly discussed.

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : यह कहा गया है कि सरकार द्वारा इसका प्रयोग तस्करों और विदेशी मुद्रा के गिरोहों के विरुद्ध किया जायेगा। परन्तु हम इस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। इस सभा में जब कृष्णचन्द्र पंत अन्तरिक सुरक्षा कानून लाये थे तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि इस कानून का प्रयोग राष्ट्रविरोधी तत्वों के विरुद्ध किया जायेगा और इसे राजनीतिक व्यक्तियों के विरुद्ध प्रयोग में नहीं लाया जायेगा। परन्तु अब क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल में इस कानून के अधीन 3000 राजनीतिक कार्यकर्ता बंदी बनाये गये हैं। श्री वाजपेयी को कुछ समय पूर्व इस कानून के अधीन गिरफ्तार किया गया था। ऐसी स्थिति में, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं।

अगर सरकार तस्करी रोकने, तस्करों को बंदी बनाने, उन्हें आरोपपत्र देने और संविधान के अन्तर्गत उन्हें दंड देने के लिये कोई कार्यवाही करती है तो हम उसका समर्थन करेंगे परन्तु हम आन्तरिक सुरक्षा कानून को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। तस्करी और दूसरे आर्थिक अपराधों को रोकने के लिये विशेष कानून बनाने की आवश्यकता है। इसे आंतरिक सुरक्षा कानून या राष्ट्रपति के आदेश के अधीन रोका नहीं जा सकता।

संविधान के अनुच्छेद 359 के अन्तर्गत मूल अधिकारों को राष्ट्रपति के आदेश के अधीन समाप्त किया जा सकता है। परन्तु राष्ट्रपति नागरिकों के एक वर्ग के लिये मूल अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकते। यह एक कानूनी कठिनाई है। कानून मंत्री इस कठिनाई का स्पष्टीकरण करें।

श्री नगर गुड़ : सरकार उन अपराधियों को देश के साधारण कानून के अनुसार दंड देने से घबराती है। यदि इन सामान्य कानूनों में कोई कमी हो तो हम उसमें संशोधन करने को तैयार हैं। उन पर सामान्य कानून के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाये। लेकिन सरकार उन पर खुली अदालत में मुकदमें चलाने से डरती है, क्योंकि ऐसा करने पर ये तस्कर अपने सहयोगी केन्द्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री और संसद् सदस्यों तथा बहुत से विधान सभा-सदस्यों और कांग्रेस के बड़े आधिकारियों की कलई खोल देंगे।

आदेश असंवैधानिक भी है। अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह भाग 3 के अन्तर्गत प्रदान किए गये अधिकारों को समाप्त कर दें। परन्तु ऐसा बहारी खतरों के समय ही किया जा सकता है, अन्य स्थितियों में नहीं।

तस्करी सम्बन्धी अपराध आर्थिक अपराध हैं और अनुच्छेद 360 के अन्तर्गत आते हैं। इसके अधीन देश की आर्थिक स्थिति को खतरा होने पर उद्घोषणा की जा सकती है परन्तु फिर भी राष्ट्रपति को मूलभूत अधिकारों को स्थगित करने का अधिकार नहीं है।

4 तारीख को गृह मंत्री ने परामर्श समिति में स्वयं कहा है कि सरकार आपात स्थिति को समाप्त करने पर गम्भीरता से सोच रही है। अब वे अप्रत्यक्ष रूप से आपात स्थिति को अगले छः महीने तक चालू लागू चाहती है। आपात स्थिति की आड़ में सरकार मूलभूत अधिकारों को समाप्त करना चाहती है।

Shri S.A. Shamim : There are two parties in smuggling business—the smugglers and those who allowed them to carry on their trade. Now, the latter are equally guilty. If they do not allow the smugglers to carry on their trade, the smugglers will never be able to do it. If the smugglers are sought to the proceeded against, why are their accomplices being left untouched ?

We also condemn the smuggling business. But what have they done to check smuggling after arresting the smugglers ?

What will they do if the courts hold their arrests illegal after 6 or 8 months? As a matter of fact, they have encouraged corruption. Is if not a fact that a Chief Minister of a State against whom charge of embezzlement of Rs. 4 crores was substantiated, was allowed to escape by giving him a congress ticket for Parliament. Hazi Mastan, when I met him last told me that who can claim that money was not demanded from him by the Ministers and it was not given to them.

श्री सेझियान : इस संकल्प में सरकार द्वारा तस्करों को दंड देने और कठोर उपायों द्वारा समाज-विरोधी तत्वों को समाप्त करने में असमर्थ रहने, जिसके कारण नागरिकों को न्यायालय में जाने के मूलभूत अधिकार से वंचित करने का राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश 16 नवम्बर, 1974 को जारी करना पड़ा, का उल्लेख किया गया है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि तस्करों को दंडित किया जाना चाहिये। यदि सरकार के पास सांविधिक शक्तियां नहीं हैं तो हम उन्हें और शक्तियां देने को तैयार हैं। परन्तु और सांविधिक उपबंध करने तथा वर्तमान उपबन्धों को लागू करने के बजाये सरकार अनुच्छेद 359 का उपयोग करने का यत्न कर रही है और एक नागरिक को न्यायालय में जाने से रोक रही है।

सरकार द्वारा इस प्रकार मुलभूत अधिकारों को छीनने का अन्धाधुंध समर्थन नहीं किया जा सकता। उन शक्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है तथा हो रहा है। इसी कारण हमने समझा है कि वर्तमान आदेश असंवैधानिक है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसके द्वारा आप एक व्यक्ति को कानून के मामले में समानता के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। इसके द्वारा तो एक पुलिस इन्स्पेक्टर अथवा गृह मंत्रालय का एक अतिरिक्त गृह सचिव, बिनां जांच बिना मुकदमे के किसी की रिवाल्वर से हत्या करके कह सकता है कि मैंने यह कार्यवाही धारा 359 के अन्तर्गत की है। अतः ऐसा किया जा सकता है।

1971 में सरकार ने कहा था कि 'आंसुका' राष्ट्रविरोधी लोगों, विदेशियों, जासूसों आदि को काबू में करने के लिए है। 30 जून तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब तक 16,825 लोग पकड़े गये हैं। उनमें से 15,000 कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी हैं। तस्करी आदि के लिये गिरफ्तार किये गये लोगों की संख्या 474 है। इससे सरकार की नियत का पता चलता है।

इसमें संदेह नहीं है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की पूरी स्वतन्त्रता है। परन्तु वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। एक अध्यादेश अथवा आदेश के द्वारा उसका उल्लंधन नहीं किया जा सकता।

गृह मंत्री ने 4 नवम्बर को कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच सितम्बर, 1974 में हुई बातचीत तथा 15 अक्तूबर, 1974 से दोनों देशों के बीच पुनः चालू हुये दूर-संचार सम्बन्धों और यात्रा सुविधाओं के बहाल हो जाने से पूरी स्थिति में सुधार हुआ है तथा इस बात पर विचार करने का प्रस्ताव है कि क्या वर्तमान स्थिति के अन्तर्गत आपात स्थिति को समाप्त करने के प्रश्न की समीक्षा की जाए अथवा नहीं ? परन्तु अब उन्होंने यह आदेश जारी करके देश में मानवीय स्वतंत्रता को सवर्था समाप्त कर दिया है। यह बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है।

उन एफिडेविटों और साक्ष्यों को हम देखना चाहते हैं जो इन मामलों के मुकदमों के दौरान पेश किये गये थे।

इस मामन्ले में बड़े बड़े शक्तिशाली व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं। हम इस आदेश का विरोध करते हैं। किसी व्यक्ति को उस पर मुकदमा चलाए बिना नज़रबंद नहीं किया जाना चाहिये। यदि यह शक्ति इस सरकार को दी गई तो वह इसका प्रयोग अपने स्वार्थ और दलगत स्वार्थ के लिए ही करेगी। इसलिये मेरे स्थगन प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I have also given a notice.

Mr. Speaker : Not on this subject.

Shri Atal Bihari Vajpayee : You can at least listen to me.

अध्यक्ष महोदय : हमने कभी किसी समय अध्यादेश पर स्थगन प्रस्ताव नहीं देखा है । सदस्य निरनुमोदन प्रस्ताव पेश कर सकते हैं । मैं उस पर चर्चा करने से इन्कार नहीं करूंगा । लेकिन मैं यह स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं करूंगा । सदन में चर्चा की जा सकती है जिसका नोटिस श्री बसु और श्री वाजपेयी तथा अन्य सदस्यों ने दे दिया है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : We are leaving the House as a token of protest against this order. This is murder of the Constitution. Court doors have been closed on them. Kindly listen to me for a while.

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही दो घंटे ले चुके हैं । हम अधिसूचना तथा अध्यादेश सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कर सकते।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Government do not want to try these smugglers in the court of law. We are expressing our resentment against this order and leaving the house...... (*Interruptions*).

(तत्पश्चात् श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।)

(Shri Atal Bihari Vajpayee and some Hon. Members then left the House.)

श्री इन्द्रजीत गुप्त: सदन में इस पर चर्चा करने के लिये यथाशीघ्र अवसर प्रदान किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार के प्रश्न अनिर्णीत पड़े हैं । फिर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है। क्या इस पर चर्चा करें ?

कुछ माननीय सदस्य : मध्याह्न भोजन के बाद।

अध्यक्ष महोदयः: अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) तथा (सिविल)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1970-71 के प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक)—के निम्नलिखित भागों की एक-एक प्रति:—

भाग सात	ारतीय तेल निगम लिमिटेड के विपणन प्रभाग के कार्यकरण का मूल्यांकन (हिन्दी संस्करण) ।
भाग आठ	ोडर्न बैकरीज (इण्डिया) लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन (हिन्दी संस्करण) ।

भाग नौ — हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन (हिन्दी संस्करण)।

भाग बारह — नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स एण्ड ग्रोफथाल्मिक ग्लास लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

भाग तेरह . . लेखापरीक्षा बोर्ड द्वारा व्यापक मूल्यांकन हेतु नहीं लिये गये उपक्रमों में पाई गई व्यष्टिक अनियमितताएं तथा कम्पनी लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदनों का सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8477/74]

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1973 संबंधी प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग 1—प्रस्तावना (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 8478/74]

(3) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1972-73 संबंधी प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 8479/74]

(4) संघ सरकार के वर्ष 1972-73 विनियोग लेखा (सिविल) (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 8480/74]

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 3 तथा 4 पर मध्याह्न भोजन के बाद चर्चा करेंगे क्योंकि सम्बन्धित माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं। अब हम मद संख्या 5, 6 तथा 7 पर चर्चा करते हैं।

कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL

श्री सी० सुब्रह्मण्यम की प्रवर समिति में नियुक्ति

श्री नरेन्द्र कुमार सपल्वे (बेतूल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि यह सभा आयकर अधिनियम, 1961, धनकर अधिनियम, 1957, दानकर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति में श्री यशवंतराव चव्हाण के त्यागपत्र के कारण रिक्त हुए स्थान पर श्री सी० सुब्रह्मण्यम को नियुक्त करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा आयकर अधिनियम, 1961, धनकर अधिनियम, 1957, दानकर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति में श्री यशवंतराव चव्हाण के त्यागपत्र के कारण रिक्त हुए स्थान पर श्री सी० सुब्रह्मण्यम को नियुक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

संविधान (32 वां संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (32nd AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति में दो सदस्य नियुत करने के लिये राज्य सभा की सिफारिश ।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति से सर्वश्री रामनिवास मिर्धा और उमाशंकर दीक्षित द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर राज्य सभा के दो सदस्य नियुक्त करे तथा राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बधी संयुक्त समिति से सर्वश्री रामनिवास मिर्धा और उमाशंकर दीक्षित द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर राज्य सभा के दो सदस्य नियुक्त करे तथा राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : कार्यसूची की मद संख्या 5 के बारे में मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ।

प्रवर समिति के तीस सदस्य हैं जिसमें से दो सदस्यों श्री चव्हाण, तत्कालीन वित्त मंत्री और श्री के० आर० गणेश तत्कालीन वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने त्यागपत्र दिया है लेकिन केवल एक स्थान पर ही नियुक्ति की जा रही है ।

श्री के० रघुरामैया : हम दूसरे रिक्त स्थान पर शीघ्र ही नियुक्ति करेंगे ।

श्री सेझियान : अब नियुक्ति करने में क्या कठिनाई है? राज्य सभा का इससे कोई संबंध नहीं है । यह कोई संयुक्त समिति नहीं है । यह इस सभा की प्रवर समिति है । क्या मंत्रालय का राज्य मंत्री इस योग्य नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आपका कहना ठीक है।

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) 1974-75

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1974-75

विवरण प्रस्तुत

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं वर्ष 1974-75 के बजट (सामान्य) संबंधी अनुदानों की पूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : हमने मद संख्या 5, 6, 7 को निपट लिया है । श्री मधु लिमये यहां नहीं है । उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मद संख्या 4 को मध्याह्न भोजन के उपरान्त लिया जाएगा।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए तीन बज कर 30 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty minutes past fifteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा तीन बज कर 33 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at thiry-three minutes past fifteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy Speaker in the chair]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने विधि मंत्री श्री एच० आर० गोखले से कई प्रश्न पूछे थे । हमने सरकार के विरूद्ध जो कुछ कहा है उस के लिए वह पर्याप्त उत्तर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : उचित अवसर पर उचित मद संख्या को लिया जायेगा।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में भारी विद्युत उपकरणों का जमा हो जाने का समाचार

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्रीमन, मैं उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"राज्य विधुत बोर्डों द्वारा जिनके लिए भारी विधुत उपकरण बनाए गए थे उनको लेने से इन्कार किए जाने के कारण भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल में लगभग 14 करोड़ रुपये के भारी विद्युत उपकरणों के जमा हो जाने के कथित समाचार" ।

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : महोदय, अक्तूबर, 1974 के अंत में भोपाल में तैयार पड़े उपकरणों का मूल्य 15.74 करोड़ रुपये था । ये सम्पूर्ण उपकरण विशिष्ट ग्राहकों के आर्डरों पर निर्मित किये गये हैं । इसमें से 8.60 करोड़ रुपये के मूल्य के उपकरण सामान्य तरीके से भेजे जाने वाले हैं । बी० एच० ई० एल० के भोपाल स्थित एकक ने चालू वित्त वर्ष अर्थात 1974-75 में 95 करोड़ रुपये के मूल्य के उपकरण का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है । अब तक औसत मासिक उत्पादन 6 से 7 करोड़ रुपये तक का रहा है । उपकरणों के लिये विशेष प्रकार की पैकिंग और प्रेषण पद्धतियों की आवश्यकता होती है । 8.6 करोड़ रुपये का उपकरण जो भेजा जाने वाला है, वह लगभग एक मास का उत्पादन है और मोटे तौर पर किसी निश्चित समय के सामान्य भाण्डागार माल सूची के अनुरूप हैं ।

2. 7.14 करोड़ रुपये के मूल्य की बाकी वस्तु में से 2.76 करोड़ रुपये के मूल्य के उपकरणों को विभिन्न स्थानों को भेजने के लिए मालगाड़ी के डिब्बों के आवंटन की प्रतीक्षा की जा रही थी और 0.87 करोड़ रुपये के मूल्य के उपकरण अधिक मात्रा में भेजे गये उपकरण हैं जिनके लिए चढ़ाने व भेजने के लिए रेलवे की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। माल डिब्बों और स्वीकृति के मिलते ही ये भेज दिए जायेंगे।

3. 3.51 करोड़ रुपये के मूल्य के शेष उपकरणों में 2.99 करोड़ रुपये के मूल्य की ट्रैक्शन मोटरें, जनरेटर, कन्ट्रोल गियर आदि हैं, जोकि रेलवे के लिए हैं और 0.52 करोड़ रुपये के मूल्य के ट्रान्सफामर पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के लिए हैं। अब यह पता लगा है कि रेलवे के लिए जो उपकरण हैं वे उनकी वर्तमान आवश्यकता से अधिक हैं, क्योंकि उनके इंजन निर्माण कार्यक्रम में कुछ संशोधन हो गया है। बी० एच० ई० एल० इस उपकरण की डिलीवरी की संशोधित तालिका के बारे में रेलवे बोर्ड के साथ विचार विमर्श कर रहा है। पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड धन की कमी या अपने सिविल निर्माण कार्य में विलम्ब होने के कारण उनके लिए तैयार कराए गए उपकरण की डिलीवरी लेने में असमर्थ है। इस मामले पर बी० एच० ई० एल० और पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के बीच बातचीत हो रही है।

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य को देखकर मैं काफी हैरान हुआ हूँ। उन्होंने अभी-अभी यह विभाग संभाला है शायद इसीलिए उन्हें तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं। वक्तव्य में जितनी जानकारी दी गई है उससे समाचार पत्रों में दी जाने वाली जानकारी कहीं अधिक विस्तृत होती है।

मैं मंत्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूँ। क्या विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा विद्युत उपकरणों के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० को दिए गए आर्डरों में कुछ कमी रह गई थी? दूसरे यह भी कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक द्वारा वित्त कम कर देने की नीति के कारण राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा महत्वपूर्ण उपकरणों जैसे ट्रांसफार्मर इत्यादि को खरीदना कठिन हो गया है। उनके द्वारा दिए गए आर्डर केवल भारत हैवी इलैक्ट्रानिक्स लि० के पास ही नहीं अपितु अन्य कम्पनियों के पास भी निलंबित पड़े हैं। इस संदर्भ में मैं यह भी जानना चाहता हुं कि क्या उपकरण इसलिए नहीं उठाए जा रहे क्योंकि राज्य विद्युत बोर्ड में काफी अनियमित प्रक्रियाएं चल रही हैं और इसके परिणामस्वरूप उनकी वित्तीय स्थिति खराब होती जा रही है। यही वजह है कि यह भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के पास जमा हो गये माल को छुड़ाने में समर्थ नहीं हैं। क्या 8 सदस्यों की एक जांच समिति ने बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उपकरणों की खरीद में की जाने वाली गंभीर अनियमितताओं का पता लगाया है? क्या इस कार्य में उच्च अधिकारी भी लगे हुए हैं? क्या यह भी सच है कि उन्होंने भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के अतिरिक्त अन्य फर्मों को भी आर्डर दिए थे? क्या यह भी सच है कि कदाचार के कारण उन्होंने भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स को सारे आर्डर न देकर अन्य फर्मों को बिना उनकी वास्तविक क्षमता का पता लगाए आर्डर दिए जिसके कारण उन्हें बाद में बहुत हानि का सामना करना पड़ा? मैं मंत्री महोदय का ध्यान राज्य विद्युत बोर्डों की खेदजनक स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूँ।

उत्तर प्रदेश के संबंध में भी मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश रेलवे को प्रति दिन एक लाख रुपया विलम्ब शुल्क के रूप में अदा कर रहा है क्योंकि उसका 7 करोड़

रुपये का माल विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर उठाने हेतु पड़ा है? एक लाख रुपये कोई छोटी मोटी राशि नहीं है। 7 करोड़ रुपये के माल के पीछे वह रोजाना 1 लाख रुपये का विलम्ब-शुल्क अदा कर रहे हैं। मंत्री महोदय ने स्वयं इस बात को वक्तव्य में स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि अक्टूबर, 1974 के अंत में तैयार पड़े उपकरणों का मूल्य 15.74 करोड़ रुपये था। इसमें से 8.60 करोड़ रुपये के मूल्य के उपकरण सामान्य तरीके से भेजे जाने वाले हैं। उन्हें यह मालूम नहीं है कि क्या उन लोगों को जिन्होंने आर्डर दिए हैं माल प्राप्त हुआ है या नहीं। दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि 7.14 करोड़ रुपये के मूल्य की बाकी वस्तु में से 2.76 करोड़ रुपये के मूल्य के उपकरणों को विभिन्न स्थानों को भेजने के लिए मालगाड़ी के डिब्बों के आवंटन की प्रतीक्षा की जा रही थी और 20.87 करोड़ रुपये के मूल्य के उपकरण अधिक मात्रा में भेजे गए उपकरण है जिनके लिए चढ़ाने व भेजने के लिए रेलवे की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। अतः यह स्पष्ट है कि 7 करोड़ रुपये के मूल्य के विद्युत उपकरण विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर उठाने के लिए पड़े हैं। इस संबंध में मुझे विशिष्ट उत्तर चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि विकास और विस्तार योजनाओं हेतु चालू वर्ष में 60 करोड़ रुपये का अग्रिम धन 5 करोड़ रुपया प्रति माह के हिसाब से दिया जायेगा लेकिन अगस्त 1974 तक केवल 9 करोड़ रुपया ही दिया गया। क्या माल को न उठा पाने की एक वजह यह भी है और मंत्री महोदय कृपया यह बताएं कि अगस्त तक केवल 9 करोड़ रुपये ही क्यों दिए गए? मंत्री महोदय कह सकते हैं कि यह आश्वासन चुनाव के अवसर पर दिया गया था तब तो और प्रश्न पूछने की गुंजाइश नहीं है? यदि इसके लिए कोई अन्य कारण उत्तरायी हैं तो कृपया उन्हें स्पष्ट करिए।

इसी संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि विभिन्न विद्युत बोर्डों को, उनके द्वारा विद्युत उपकरणों के लिए आर्डर देने तथा माल को न उठा पाने के कारण, कितनी क्षति हुई है? यह भी पता लगा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को वर्ष 1973-74 के दौरान 33.3 करोड़ रुपये की हानि हुई है क्या यह हानि पड़ौसी राज्यों से ऊंचे मूल्य पर बिजली प्राप्त करने के परिणामस्वरूप हुई है?

अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों से संबद्ध इंजीनियरों ने अपनी उचित मांगों को पूरा कराने हेतू कई बार हड़ताल की। क्या इसके परिणामस्वरूप राज्य विद्युत बोर्डों की कुशलता और लाभप्रदता कम हुई है? उनकी आय में कमी हुई मंत्री महोदय इन सब बातों का मुझे विशिष्ट उत्तर दें।

श्री ए० सी० जार्ज : भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल का एक बड़ा कारखाना समूह है और इस वर्ष के लिए हमारा प्रस्तावित उत्पादन लक्ष्य 95 करोड़ रूपये है। इतने बड़े उद्योग में यह समझा जा सकता है कि उत्पादन से एक महीने पहले की स्थिति का पता चलेगा जोकि लदान आदि के लिए होगा। इसे स्टाक जमा होना नहीं कहा जा सकता। इतने बड़े उद्योग में तो इसे सामान्य ही समझा जाना चाहिए कि 7 करोड़ रूपये या 8.6 करोड़ रुपये का माल भेजा जा रहा होगा। माननीय सदस्य ने कहा है कि राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा माल नहीं उठाया जा रहा है किन्तु वास्तविक स्थिति यह नहीं है 15.74 करोड़ रुपये के जमा माल में से 8.6 करोड़ रुपये का माल सामान्य रूप से भेजने की प्रक्रिया में है। 7.14 करोड़ रुपये के माल में से 2.76 करोड़ रुपये के माल के लिए रेलवे वैगनों की प्रतीक्षा है। फिर 0.87 करोड़ रुपये की बड़े आकार की मशीनरी है जिसके लिए लदान के लिए रेलवे की अनुमति प्राप्त की जानी है। बड़े आकार की मशीनरी के लिए विशेष आकार के बैगनों की आवश्यकता है। हम ठीक प्रकार के वैगन प्राप्त करने के लिए रेल मंत्रालय से संपर्क स्थापित किए

हुए हैं । 3.51 करोड़ रुपये की ट्रैक्शन मोटरों आदि में केवल 0.52 करोड़ रुपये के माल को प्रेषित नहीं किया जा रहा क्योंकि एक बिजली बोर्ड अर्थात् पंजाब राज्य बिजली बोर्ड की कठिनाई है । शेष माल पहले ही भेजा जा चुका है और प्राप्त किया जा रहा है ।

8.60 करोड़ रुपये का माल जो हर महीने लिया जाता है उसमें बिहार को केवल 6 प्रतिशत दिया जाता है । प्राप्त करने वाले भुगतानों के बारे में स्थिति ऐसी है कि हालांकि विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों से 84 करोड़ रुपये लिए जाने हैं बिहार के नाम केवल 5.54 करोड़ रुपये बकाया हैं। माननीय सदस्य ने राज्य विद्युत बोर्ड में अपनाई जाने वाली अनियमितताओं का उल्लेख किया है । मेरे विचार में यह प्रश्न उन्हें संबद्ध मंत्री से करना चाहिए ।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा प्रश्न संगत है। कदाचार के कारण वह भारत हैवी इलैक्ट्रीक्लस को आर्डर न देकर अन्य फर्मों को देते हैं जिसके परिणामस्वरूप उनकी वित्तीय स्थिति खराब हो गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय ने बताया है कि इतने बड़े उद्योग के पास स्टाक का जमा हो जाना कोई असामान्य बात नहीं है । राज्य विद्युत बोर्ड राज्य के भीतर क्या करता है इसका इस प्रश्न से कोई संबन्ध नहीं है ।

श्री ए० सी० जार्ज० : राज्य विद्युत बोर्डों की आर्थिक स्थिति या किसी अन्य कठिनाई के कारण वहां से माल नहीं उठाया गया ऐसा कहना ठीक नहीं है । कार्यकरण में हमारी अपनी वित्तीय कठिनाईयां हो सकती हैं माननीय सदस्य तथा सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भारत हैवी इलैक्ट्रीक्लस का उत्पादन और लाभप्रदता दोनों में ही पिछले दो वर्षों में वृद्धि हुई है । 1972-73 में 143 करोड़ रुपये के उपकरणों का उत्पादन हुआ है । 1973-74 में इस एकक ने 90 करोड़ रुपये के मूल्य के अधिक उपकरणों का उत्पादन किया लाभ के मामले में 1973-74 में 27 करोड़ रुपये था जबकि 1972-73 में यह केवल 13 करोड़ रुपये था। राज्य विद्युत बोर्डों को भुगतान की कठिनाई के बावजूद भी हमने कोई स्टाक प्रेषण से रोककर नहीं रखा ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (रोहतक) : सरकार के प्रायः सभी विभागों और उद्योगों ने अपनी जिम्मेवारी अन्य विभागों पर डालने की प्रक्रिया सी बना ली है । उदाहरण के लिए रेलवे मंत्री ने कई बार सदन में बताया है कि हड़ताल के बाद स्थिति काफी सामान्य हो गई है लेकिन खाद्य विभाग को लीजिए या पूर्ति विभाग को या भारत हैवी इलैक्ट्रीक्लस लिमिटेड को वो सब अपनी कमियों के लिए रेलवे प्रशासन को ,जम्मेवार ठहराते है इस प्रकार वह अपने जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। यह सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है अतः उनमें किसी प्रकार का समन्वय अवश्य होना चाहिए।

मंत्री महोदय ने भारत हैवी इलैक्ट्रिक्लिस लिमिटेड की बहुत सुन्दर तस्वीर खींची है । पर समाचारों में प्रकाशित हो रहे समाचारों के अनुसार वहां की स्थिति काफी चिन्ताजनक है । प्रो० मधु दण्डवते ने विभिन्न विद्युत बोर्डों द्वारा विद्युत उपकरणों के लिए दिए गए आर्डरों में कुछ कमी के बारे में पूछा है लेकिन मंत्री महोदय ने कहा है कि वह राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण के बारे में कुछ नहीं कह सकते । मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि विद्युत बोर्डों द्वारा दिए गए आर्डरों के अनुसार बी० एच० ई० एल० द्वारा माल तैयार कर दिया जाता है और अगर वे माल नहीं उठाते तो उसके लिए क्या जुर्माने की कोई व्यवस्था है ? बी० एच० ई० एल० उनकी खातिर क्यों हानि का सामना करे इस संबन्ध में मैं विशिष्ट उत्तर चाहता हूं ।

रेलवे मंत्रालय पर यह भी आरोप लगाया गया है कि वह वैगन समय पर सप्लाई नहीं कर रहे मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि विभिन्न प्रकार के वैगनों को प्राप्त करने के लिए बी० एच० ई० एल० और रेलवे मंत्री का आपस में कोई समन्वय है और क्या रेलवे द्वारा समय पर वैगन न दिए जाने पर कोई उन पर जुर्माना लगाया जाता है या कोई दण्ड की धारा की व्यवस्था है? अगर बी० एच० ई० एल० को रेलवे मंत्रालय समय पर वैगन नहीं सप्लाई करता तो वह क्यों इसका नुकसान भुगतें ?

भारत हैवी इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड को बड़े ग्राहकों से काफी राशि लेनी बाकी है और यह भुगतान 35 करोड़ रुपये के लगभग है। इनका मूल्य भारत हैवी इलेक्ट्रानिक्स के मूल्य उत्पादन के मूल्य का 50 प्रतिशत है इसके कारण भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड की वित्तीय स्थिति काफी खराब हो गई है क्या इसके कारण सहायक उद्योगों की वित्तीय स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा है। क्योंकि उन्हें बी० एच० ई० एल० से समय पर पैसा नहीं मिल रहा? मंत्री महोदय इन तीनों प्रश्नों का विशिष्ट उत्तर दें।

श्री ए० सी० जार्ज : भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड दिए गए डिजाइन के अनुरूप माल तैयार करता है। राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा माल उठाए जाने से इंकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि हम न तो अधिक उत्पादन करते हैं और न विभिन्न किस्म का माल देते है। यह सच है कि भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स को 35 करोड़ रुपये की बकाया राशि विभिन्न विद्युत बोर्डों से लेनी है पर इससे हमारे उत्पादन कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ता। इससे वित्तीय कठिनाइयां अवश्य उत्पन्न हो सकती है पर हमारा बाकी सारा काम सूची अनुसार हो रहा है भोपाल एकक बड़ी अच्छी तरह कार्य कर रहा है। पिछले महीने 6.1 करोड़ रुपये के उपकरणों के उत्पादन के लक्ष्य के बदले इस एकक में 8.37 करोड़ रुपये के मूल्य के उपकरणों का उत्पादन किया गया। इसी प्रकार पहले 7 महीनों में 40 करोड़ रुपये के मूल्य के उपकरणों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया था और 43.93 करोड़ रुपये के मूल्य के उपकरणों का उत्पादन हुआ है। कई कठिनाइयां के बावजूद भी उत्पादन 109 प्रतिशत हुआ हम वित्तीय कठिनाईयों के संबन्ध में वित्त मंत्रालय से बात-चीत कर रहे हैं। इन्होंने रेलवे का भी उल्लेख किया है। हम रेलवे के साथ पूर्ण सहयोग करते हुये कार्य कर रहे हैं......... **(व्यवधान)**

जहां तक वहां एकत्रित होने वाले उपकरणों का संबन्ध है उसके बारे में मुझे यही निवदन करना है कि कुछ असामान्य प्रकार के उपकरण है जिनका आकार काफी बड़ा है। उनको ले जाने के लिए रेलवे को विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। परन्तु हमें आशा है कि रेलवे प्राधिकारियों के सहयोग से यह समस्या सुलझ जायेगी।

अन्त में इन्होंने सहायक एककों की बात भी की है। अपनी वित्तीय कठिनाईयों के उपरान्त भी हमारा सदैव यह प्रयत्न रहता है कि जो छोटे-छोटे एकक सहायक उपकरणों के उत्पादन में लगे हुये हैं, उन्हें समय पर भुगतान कर दिया जाये। कुछ एककों को हम सामान्य प्रयोगों से पूर्व ही भुगतान कर देते हैं। छोटे एककों की सहायता करने को हम सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि हम यह मानते हैं कि इन सभी के सामूहिक उत्पादन पर ही भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड की प्रगति निर्भर करती है।

रेल मंत्री द्वारा 5 सितम्बर, 1974 को सभा में दी गई जानकारी के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य

STATEMENT BY MEMBER RE : INFORMATION GIVEN BY RAILWAY MINISTER ON 5th SEPTEMBER, 1974

Shri Madhu Limaye (Banka) : During the course of his speech on Shri Piloo Mody's Privilege Motion against the Editor of "Pratipaksha" on 5th September 1974, I had referred to four confidential Government documents on the abuse of licence facilities by certain firms. Subsequently, those documents were placed on the Table of the House. The abuses of import licences which these documents revealed amount to rupees 3 crores and 15 lakhs. The commission and investigation of those abuses covered the period from 1970 to 1974.

It was also stated by me that Shri Lalit Narayan Mishra was the Minister incharge for Foreign Trade Ministry at that time. But some of my friends from Congress benches, said that if Shri Mishra was not incharge of Foreign Trade at that time, would I withdraw my statement. At that movement Shri L.N. Mishra, who had just entered the House and taken his seat, too interrupted me by saying that he was not incharge of Foreign Trade in 1972.

Subsequent enquiries have, however, revealed that Shri Mishra was incharge of the Foreign Trade Ministry from June 1970 to January 1973. During this span of 30 months when Shri Mishra was Minister there, there were numerous import licence scandals some of which have been enumerated in the secret documents quoted by me

It is evident that Shri Mishra made an incorrect statement by saying that he was not incharge of Foreign Trade during 1972. My submission is that he should apoligise for this serious lapse and openly acknowledge his responsibility for misuse of licences.

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : अध्यक्ष महोदय, 5 सितम्बर, 1974 को प्रतिपक्ष के सम्पादक के विरुद्ध श्री पीलू मोदी के विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर बोलते हुए श्री मधु लिमये ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा था कि "उनके लाइसेंस, आबंटन और अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्रों का निबटारा कर दिया गया।" यह निर्णय जनवरी, 1970 में किया गया जबकि श्री ललित नारायण मिश्र विदेश व्यापार मंत्री थे (पृष्ठ संख्या 15205 दिनांक 5-9-74 असंशोधित)। मैंने इस भ्रामक धारणा को दूर कर देना अपना कर्तव्य समझा था और इसीलिए मैंने कहा था कि मैं जनवरी, 1970 में विदेश व्यापार मंत्री नहीं था। वास्तव में, मैंने 27 जून, 1970 को विदेश व्यापार मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। शब्दश: रिपोर्ट की असंशोधित प्रति में जनवरी 1970 की जगह 1972 दिया गया था।

6 सितम्बर, 1974 को जब शब्दश: रिपोर्ट की असंशोधित प्रति आवश्यक संशोधन करने के लिए मेरे पास भिजवायी गयी तो मैंने '1972' की जगह जनवरी, 1970 करके वह असंशोधित प्रति एडिटर डिबेट्स को, इस प्रयोजन के लिए निर्धारित अवधि के भीतर ही लौटा दी।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सदन में किसी प्रकार की गलत बयानी करने का मेरा कतई कोई इरादा नहीं था।

Shri Madhu Limaye : I rise on a point of order. The directions under which submitted my notice has got a lengthy procedure.

उपाध्यक्ष महोदय : और आपने वह सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाई।

श्री मधु लिमये : जी हां, उसमें यह भी कहा गया है कि फिर सदस्य अपने आरोप से सम्बद्ध जो भी साक्ष्य हो, वह अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करे। लोक सभा सचिवालय द्वारा जो 'सदस्य परिचय' प्रकाशित किया गया, उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि इनके पास जून 1970 से जनवरी 1973 तक विदेश व्यापार मंत्रालय का कार्यभार रहा।

श्री एल० एन० मिश्र : यह तो मैंने कहा है।

Shri Madhu Limaye : That means the factual position is that he was a Minister in 1972. But, according to him, he was a Minister in January, 1970. But still factual position can be well verified from the tape record so as to ascertain. Whether it was a mistake on the part of Reporter or otherwise.

Shri L.N. Mishra : I said that I was a Minister in 1972. I was a Minister for Foreign Trade from June 1970 to 4th January, 1973. That day also I said the same thing.

Shri Madhu Limaye : Then you must admit as your slip of tongue. May I know if hon. Deputy Speaker will make some observation.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं जरा स्थिति स्पष्ट कर दूं। मंत्री महोदय ने यही कहा कि बिना शुद्धि के जो रिपोर्ट छपी थी उसमें 1972 ही छापा था परन्तु जब उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया तो उन्होंने इसे ठीक करके 1972 से 1970 कर दिया। यही बात उन्होंने यहां कही है। अतः यह स्पष्ट है कि इनकी सभा को गुमराह करने का कोई इरादा नहीं था।

भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक

RESERVE BANK OF INDIA (AMENDMENT) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार आरम्भ किया जायेगा। श्री मूलचन्द डागा बोल रहे थे।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I rise on a point of order. On Friday, when I spoke on the Reserve Bank of India (Amendment) Bill, then I wanted to know the position of deposits. In this connection, the documents supplied to me through the Reserve Bank were of two types and I could not make out which of them was inforce. I had sought a clarification which was not given by the Reserve Bank authorities.

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। उपमंत्री महोदय ने आप की बात नोट कर ली होगी तथा वह उत्तर देते समय इसका भी उत्तर दे देंगे।

Shri M.C. Daga (Pali) : While speaking on the Bill, I had submitted that the Reserve Bank has proved to be a failure and this fact can be varified from the reports of the Bank. The Reserve Bank, in one of its reports, has admitted that big money lenders and the vested interests have been receiving huge amounts as loans in the name of Co-operative Societies. Most of the amounts have not been recovered so far. As a matter of fact, the Co-operative movement has proved to be a failure in a number of States. There has been misappropriation and bungling of cooperative funds on a very large scale. On the other hand, Reserve Bank has failed to provide credit to small farmers.

It has been said that loan is being increased for animal husbandry. But no heed is being paid to the hundreds of aplications relating to scheduled castes and scheduled tribes. Something must be done about these applications also and a report should be presented as to how much loan was given to poor people. Regarding the loan policy of the Reserve Bank of India, I feel that a uniform policy should be adopted by the Bank. The present policy being followed by the Reserve Bank is far from being satisfactory.

In the present Bill, a number of safeguards have been provided by the Government for Government Officials. I do not consider it to be fair. My personal feeling is that there should be no distinction between a Government official and a common man. They must be treated at par.

Shri Hukam Chand Kachwai : There is no quorum in the House.

अपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजायी जाय ......अब सभा में गणपूर्ति है ।

श्री इरास्मो दि सकेरा : (मारमागोआ) : वर्तमान विधेयक द्वारा 1934 में अधिनियमित अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है । उस समय से लेकर अब तक देश में अनेक घटनायें घट चुकी हैं । यह बहुत विचित्र बात है कि सरकार ने मूल अधिनियम की जांच नहीं की है, उसे परिस्थितियों के अनुरूप बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है । वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, खण्ड 8 में नयी धारा 18 'क' अन्तःस्थापित की जा रही है । इस धारा के अन्तर्गत, यह व्यवस्था की जा रही है कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये ऋण की वैधता को चुनौती नहीं दी जायेगी । इसका कारण केवल यह है कि ज्ञापन या संस्था-अन्तर्नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है । इससे बहुत ही गंभीर तथा खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जायेगी । इसी प्रकार का इस विधेयक का एक अन्य उपबन्ध है जिसकी व्यवस्था खण्ड 24 के अन्तर्गत की गई है । यह व्यवस्था भी सरकार ही के नियमों को खण्डित करने वाली जान पड़ती है । सम्पूर्ण व्यवस्था को देखने से ऐसा लगता है कि सरकार एक ही दल के शासन की ओर अग्रसर हो रही है । बैंक की व्यवस्था इस प्रकार की रखी जानी चाहिए कि इस पर किसी भी दल का प्रभुत्व न बना रहे । इसे सदैव ही एक स्वतन्त्र संस्था के रूप में माना जाना चाहिये । आज इस संस्था से स्वतन्त्रतापूर्वक राय देने का अधिकार छीना जा रहा है, परन्तु मेरा विचार यह है कि इसकी स्वतन्त्रता को बरकरार रखना हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के ही अनुरूप होगा ।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : विधेयक पर हुई चर्चा के संबंध में यह बात मोटे रूप से कही जा सकती है कि अधिकांश सदस्यों ने संशोधनों का स्वागत किया है । सदस्यों द्वारा यह विचार भी व्यक्त किया गया है कि रिजर्व बैंक की क्रियान्वयन व्यवस्था का कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है । मैं भी यह स्वीकार करती हूं कि इसमें कुछ सुधार अपेक्षित हैं परन्तु मैं यह भी स्पष्ट कर रही हूं कि परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप हमने इसमें अनेक परिवर्तन किये भी हैं । अब भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकरण पहले से बेहतर चल रहा है ।

हमारा पहला संशोधन सहकारी बैंकों को ऋण देने के बारे में है । यह संशोधन तो साधारण सा है । दूसरा संशोधन मत्स्य विकास के लिए कृषि संबंधी ऋणों के बारे में है । इसका भी मोटे रूप से सदस्यों द्वारा स्वागत ही किया गया है । जहां तक जानकारी एकत्रित करने का प्रश्न है, उसके लिए

हम आज भी व्यवस्था बनाये हुए हैं। इसमें कुछ अपेक्षित परिवर्तन कर दिये गये हैं। इसे बैंकिंग आयोग की आवश्यकताओं के अनुरूप बना दिया गया है।

अगला संशोधन गैर-बैंकिंग संस्थाओं के संबंध में है। अब गैर-बैंकिंग के लक्षण को अधिक संक्षिप्त बना दिया गया है। इसके अन्तर्गत, रिजर्व बैंक को गैर-बैंकिंग संस्थाओं का निरीक्षण करने का अधिकार भी दे दिया गया है। इस व्यवस्था की मांग काफी देर से की जाती रही है, जिसे अब मान लिया गया है।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा ऋण संबंधी नीति का भी उल्लेख किया गया है। अपनी वित्तीय संसाधनों की सीमा के अन्तर्गत हमें पता चला है कि हमारे लिए सभी प्रकार के ऋण चालू रखना कठिन है। अतः इसीलिए हमने इसके लिए प्राथमिकतायें अपनाई हैं। इनमें प्रथम प्राथमिकता कृषि को दी गई है। उपलब्ध धन को प्राथमिकताओं के आधार पर वितरित कर दिया गया है। ऋण संबंधी यह वर्तमान नीति भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकरण तथा अन्य सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद बनाई गई है।

एक माननीय सदस्य द्वारा चिट फंडों का प्रश्न भी उठाया गया है। यह राज्य सरकारों का विषय है तथा इसके बारे में राज्य सरकारों द्वारा कानून बनाये गये हैं। बैंकिंग आयोग ने इसके बारे में सुझाव दिया है कि रिजर्व बैंक द्वारा ऐसा समान विधेयक बनाया जाना चाहिये जो सभी राज्यों को मान्य हो तथा समान रूप से लागू किया जा सके।

चर्चा के दौरान हुंडी व्यापार का प्रश्न भी उठाया गया है। इसके बारे में भी बैंकिंग आयोग की सिफारिशें हमें प्राप्त हो गई हैं। इसके बारे में सरकार ने अपना नीतिपरक निर्णय ले लिया है। राष्ट्रीयकरण के उपरान्त, इसके बारे में नया दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें मुलतानियों तथा अन्यों को वर्तमान स्तर पर रखा गया है।

बैंकों के निदेशकों की व्यवस्था का प्रश्न भी उठाया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में कई बार नये निदेशकों को नियुक्त नहीं किया जाता है परन्तु फिर भी हमारा भरसक प्रयत्न यही रहता है कि उनके पद को अधिक देर तक खाली न रखा जाये।

Shri Madhu Limaye: Can't he appoint a new man within 4 years? Is it that no decision can be taken about new director within 4 years?

श्रीमती सुशीला रोहतगी: ऐसी ही प्रक्रिया राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपनाई जाती है।

श्री मधु लिमये: यह गलत प्रक्रिया है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी: श्री मधु लिमये द्वारा गैर-बैंकिंग कंपनियों संबंधी मांगी गयी सूचना एकत्र करने के लिये मैं यथासंभव प्रयत्न कर रही हूं। मेरे विचार में गैर-बैंकिंग कंपनियां लोगों से 25 प्रतिशत तक के पूंजी-निक्षेप स्वीकार कर सकते हैं। मेरी सूचना के अनुसार मारुति कंपनी इस सीमा से आगे नहीं बढ़ी है।

श्री मधु लिमये: यह गलत है, मैं इसे सिद्ध करूंगा।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इन्हें इस सूचना से संतुष्ट होना चाहिये। बैंकिंग आयोग ने इस बारे में कुछ सिफारिशें की हैं जिनके अनुसार गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा पूंजी निवेश संबंधी नियमों को सख्त बनाया जायेगा। इन सारे मामलों पर सविस्तार विचार करने के लिये एक अध्ययन दल की नियुक्ति भी की गयी है ।

रिजर्व बैंकों के आदेशों के अनुसार गैर-बैंकिंग कंपनियां अपनी प्रदत्त पूंजी को 25 प्रतिशत की राशि को अपने यहां जमा कर सकते हैं। परन्तु यदि कोई पूंजी, मामला अथवा पूंजी खरीदने के लिए वितरकों द्वारा दिये जायेंगे तो वह इसमें शामिल नहीं होगी। यह आदेश रिज़र्व बैंक द्वारा पहली बार 1966 में जारी किया गया था और यह भी प्रभावी है। नारियल जटा उद्योग के बारे में निवेदन है कि रिजर्व बैंक ने इस उद्योग को पुनः पूंजी देने की बात स्वीकार कर ली है। उस पर विस्तार से छानबीन की जा रही है। इसके लिये योजना आयोग में अध्ययन दल नियुक्त किया गया है और वे इस मामले में सभी पहलुओं पर सविस्तार विचार कर रहे हैं।

निदेशक मंडल में कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल करने का उल्लेख किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक नीति निर्धारण करने वाला निकाय है, जहां आर्थिक पृष्ठभूमि रखने वाले लोगों ऋण संबंधी नीति की जानकारी और अनुभव रखने वाले तथा आर्थिक मामलों का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारा किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड-वार चर्चा करेंगे। खंड 2 से 24 संबंधी कोई संशोधन नहीं है।

श्री मधु लिमये : मैं खंड 17 पर बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 16 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 से 16 विधेयक में जोड़ दिय गय

Clauses 2 to 16 were added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 17 पर विचार करेंगे।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The hon. Deputy Minister has said that the non-banking companies could accept deposits upto 25 per cent of the aggregate of the paid-up capital and free reserves of the company and that Maruti Limited has not committed any irregularity. The fact is that Maruti Ltd., has violated the directives given by the Reserve Bank.

It is clear from the Reserve Bank documents, that non-banking companies could accept deposits upto 25 per cent of the paid-up capital plus reserves minus accummulated losses. According to this, if calculations were made from the figures given in the last balance sheet of Maruti Ltd., the deposits of this company could be upto 25 lakhs, 40 thousands. But the deposits shown in the balance sheets amounted to 30 lakhs, 50 thousands.

The Auditor has given a note that share application money Rs. 46,41,000 included sums aggregating Rs. 20,43,000 received by the company upto 31 March, 1974 in respect of which formal applications had yet to be received from the applicants concerned. This amount of Rs. 20,43,000 is black money with the company and should be treated as deposit.

This company has more than 50 per cent of the paid-up capital as deposits. This is more than the limit of 25 per cent laid down by the Reserve Bank of India.

Deposits accepted for commercial transaction do not come within the 25 per cen limit. According to balance sheet, an amount of Rs. 2 crores, 18 lakhs has been shown as dealers deposit. In a commercial transaction, the selling agent or distributors always expected a net return of 10 per cent Ho.v are these deposits made even when prototype was not tested or industrial licence was not given to Maruti? These deposits do not appear to be *bonafide*. This amount should also be treated as deposits. If that is done, the total amount of deposits will be Rs. 2 crores, 68 lakhs and paid up capital would be Rs. 1 crore. This company is not functioning in a proper manner. Government should make inquiry about each share-holder of this company. One of the share-holders is an economic offender and two of the share-holders are smugglers.

Shrimati Sushila Rohtagi: According to the information available with me, the Maruti Ltd. has not in any way, contravened any direction of the Reserve Bank of India. (*Interruption*)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 17 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 17 was added to the Bill

खण्ड 18 से 24 विधेयक में जोड़ दिए गए

Clauses 18 to 24 were added to the Bill

खंड 25

श्री मूलचंद डागा (पाली) : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

I do not know the reasons for which you are bringing this amendment. Please delete these lines as proposed in my amendment. The courts should not be debarred otherwise bank employees will become more negligent and careless.

Shrimati Sushila Rohtagi: I tried to conceive the hon. member but in vain. All we are doing is in good faith. We are not providing for any different think. It is already provided for the nationalised banks (*Interruption*)

It should not be pressed further.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 3 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 25 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 25 was added to the Bill

खण्ड 26

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं कि पृष्ठ 13, पंक्ति 12 और 13 में

"No court inferior to that of a presideney magistrate or a magistrate of the first class."

(प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नस्तर का कोई न्यायालय नहीं)

के स्थान पर

"No court other than that of a metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class or a court superior thereto"

(मैट्रोपोलीटन मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा उससे उच्च स्तर के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य कोई न्यायालय नहीं)

रखा जाये ।

(संशोधन संख्या 1)

पृष्ठ 13, पंक्ति 15 में—

"1898" के स्थान पर "1973" रखा जाए ।

(संशोधन संख्या 2)

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं । मेरे इस संशोधन का आशय यह है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता या उसे छुपाता है तो उसको दण्डित किया जाये ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 13, पंक्ति 12 और 13 में—

"No court inferior to that of a Presidency Magistrate or a "magistrate of the first class"

(प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नस्तर का कोई न्यायालय नहीं)

के स्थान पर

"No court other than that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of first class or a court superior there to'

(मैट्रोपोलीटन मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा उससे उच्च स्तर के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य कोई न्यायालय नहीं)

रखा जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 13, पंक्ति 15 में—

"1898" के स्थान पर "1973" रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 4 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 26, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 26, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 26, as amended , was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गये ।

Clause 1, the enacting formula and the Title were also added to the Bill.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

Shri Ramavatar Shastri (Patna): I would like to submit two-three points. First of all I would like to point out that the policy of the Government regarding the advance of

loan by the Nationalised Banks in quite defective. Above 70—75 percent of the amount advanced by there banks has gone to the big industrialists, Farmers, landless labourers, unemployed educated person and small industrialist have got very little financial help from there bank.

Secondly, I would like to suggest that the Committee on Public under taking should be empowered to look into the affairs of the Reserve Bank and the Nationalised Banks in the country. The Public undertakings Committee has also repeatedly demanded that it should be empowered to look into the functions of their bank. But Government have not aceeded to this demand of the committee.

I was shocked to hear the remarks of the home Minister to the affect that employees could not be taken in the Board of Directors becaus: they would not be able to understand the Credit policy. It is nothing but rediculing the employees and their representatives. Actually, these people know much more than the Directors themselves I therefore strongly demand that the employees should be given representation in the Board of Directors.

Thirdly, I would also like to suggest that Government should take immediate decision on the charter of demands submitted by the All India Employees Association of the Reserve Bank to remove the unrest from the employees. I would also like to point out that the S.C./S.T employees of the Patna Branch of the Reserve Bank have not been given departmental promotions for a long time. I demand that these employees should not be given step-motherly treatment by the authorities of the Reserve Bank.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु ! आपने कई विधेयकों के नाम लिखे हैं जिन पर आप बोलना चाहते हैं। अब आप किस विधेयक पर बोलना चाहते हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (संशोधन) विधेयक पर बोलना चाहता हूं। रिजर्व बैंक को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह देश के अन्य बैंकों पर निगरानी रखे। बैंक राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उसका यह दायित्व और भी बढ़ जाता है।

रिजर्व बैंक अपने दायित्वों का निर्वाह करने में नितांत असफल रहा है। विदेशी बैंकों ने और विशेषकर नेशनल एण्ड ग्रिडलेज़ बैंक ने एक वर्ष में एक करोड़ रुपये से भी अधिक मुनाफा कमाया है तथा इसने भारत से सभी कानूनों और नियमों का उल्लंघन करते हुये बहुत बहुत अधिक राशि विदेश भेजी है। किन्तु रिजर्व बैंक ने इसे रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठाया।

हाल में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपये का मूल्य 19 प्रतिशत गिर गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार निकट भविष्य में रुपया का अवमूल्यन करना चाहती है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि भारत के नियंत्रक तथा महां-लेखापरीक्षक को रिजर्व बैंक की लेखापरीक्षा करने का अधिकार क्यों नहीं है तथा संसदीय समिति को इस बैंक के कारण की परीक्षा करने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता ?

एक चिंताजनक समाचार यह भी है कि रिजर्व बैंक के बड़े अधिकारियों का हाथ विदेशी मुद्रा की जालसाजी में है। सरकार इन घटनाओं पर परदा क्यों डालना चाहती है? अंत में, मैं रिजर्व बैंक के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये मांग-पत्र का समर्थन करता हूं तथा मांग करता हूं कि उनकी न्यायसंगत मांगों को स्वीकार किया जाये।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं श्री बसु की कल्पना शक्ति की सराहना करती हूं जिन्होंने अवमूल्यन की कल्पना करनी है। श्री रामावतार शास्त्री ने मेरी बात गलत समझी है। मेरा यह आशय नहीं था कि कर्मचारियों को निदेशक-मण्डल में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं है।

An attempt was made to have workers representation in the Central Board but the proposal was opposed by the persons of his party.

It is correct to say that loans have been advanced to big industrialists and needy persons ca nnot be provided with adequate amout of loans. In this respect a Bill is before the S ec Committee of both the Houses. A high power group in thc form of Farmers Service S ociety has been appointed to look after the needy perons in all respects. I hope this is a good step and the hon. Minister will welcome it.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopt:d

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक

Indian Telegraph (Amendm:nt Bi)

संचार मंत्री (श्री शंकर दयाल शर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय तार अधिनियम की धारा सात का संशोधन करना है तथा इसके द्वारा आवेदनपत्र या 10 रुपया फीस रखने की व्यवस्था की गई है। इसमें केवल तीन खण्ड हैं; पहला खण्ड विधेयक के नाम से संबंधित है दूसरे में संशोधन किया गया निहित है तथा तीसरे में पहली दिसम्बर, 1969 से प्रति फ़ार्म 10 रुपया वसूल किये जाने की व्यवस्था है।

[श्री नवल किशोर सिंह पीठासीन हुये]

Shri Naval Kishore Sinha in the Cha r

श्री दिनेश जोरदर (माल्दा) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि इसके माध्यम से डाक-तार विभाग के अवैध कार्य को कानूनी बनाया जा रहा है। 10 रुपया वसूल किया जाना नितांत अवैध था तथा डाक और तार विभाग तथा इस मंत्रालय के अधिकारी इस गलती को भलीभांति समझते थे। वास्तव में यह गलती जानबूझकर की गई है। टेलीफोन के लिये आवेदनपत्र देने वाले व्यक्तियों से 10 रुपया प्रति फार्म वसूल किया जाना एक नया कर है। टेलीफोन कनेक्शन देना इस मंत्रालय और इस विभाग का दायित्व है किन्तु सरकार इस दायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रही है। वर्षों तक आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति में फार्म की कीमत 10 रुपया नितांत अवैध है। यह कर

1969 से लगातार वसूल किया जा रहा है यद्यपि अधीनस्थ विधान समिति ने इसका विरोध किया था। मैं जानना चाहता हूं कि 1969 से अब तक सरकार ने इस रूप में कितनी धनराशि एकत्र की है तथा कुल कितने व्यक्तियों को टेलीफोन दिये हैं।

डाक तथा तार विभाग ने डाक शुल्क में वृद्धि करने की मांग की थी तथा सभा ने उदारता-पूर्वक विभाग को इसकी अनुमति दी थी। किन्तु इस विभाग का कार्यकरण असंतोषजनक रहा है तथा उपभोक्ताओं को भारी कठिनाई हो रही है। दिल्ली से कलकत्ता को काल नहीं मिलती। डाक कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है तथा डाक के लिये वाहनों की संख्या भी बहुत कम है। 1969 में केवल 72 वैन थीं जिनमें से केवल 22 काम कर रही थीं और शेष खराब थीं। इसी कारण डाक वितरण में विलम्ब होता है। पिछले वर्ष से समयोपरि भत्ते की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है। यद्यपि कर्म-चारियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की गई। ऐसी स्थिति में डाक का भारी संख्या में जमा हो जाना स्वाभाविक है।

जहां तक कलकत्ता का संबंध है वहां 250 चैनलों की आवश्यकता है बशर्ते कि वे ठीक-ठीक काम करते रहें। किन्तु इस समय वहां केवल 136 चैनल हैं जिनमें से केवल 116 काम कर रहे हैं।

कलकत्ता में 15 टेलीफोन एक्सचेंज हैं तथा इनमें लगी मशीनरी 20 वर्ष पुरानी है। इन मशीनों को बदले जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

(उसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 19 नवम्बर, 1974/28 कार्तिक 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई)

(The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 19th November, 1974/Kartika 28, 1896 (Saka).

MGIPRRND—IV N.S.—43-LSS/74—20-1-74—200